सत्यमेव जयते

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

वार्षिक रिपोर्ट
2017-18

आधार

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
बंगला साहिब रोड, गोल मार्किट
नई दिल्ली - 110001

आधार

सत्यमेव जयते

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
(भाविपप्रा)

वार्षिक रिपोर्ट
2017-18

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
बंगला साहिब रोड, गोल मार्किट
नई दिल्ली – 110001

भाविपप्रा © 2018
यह रिपोर्ट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है।

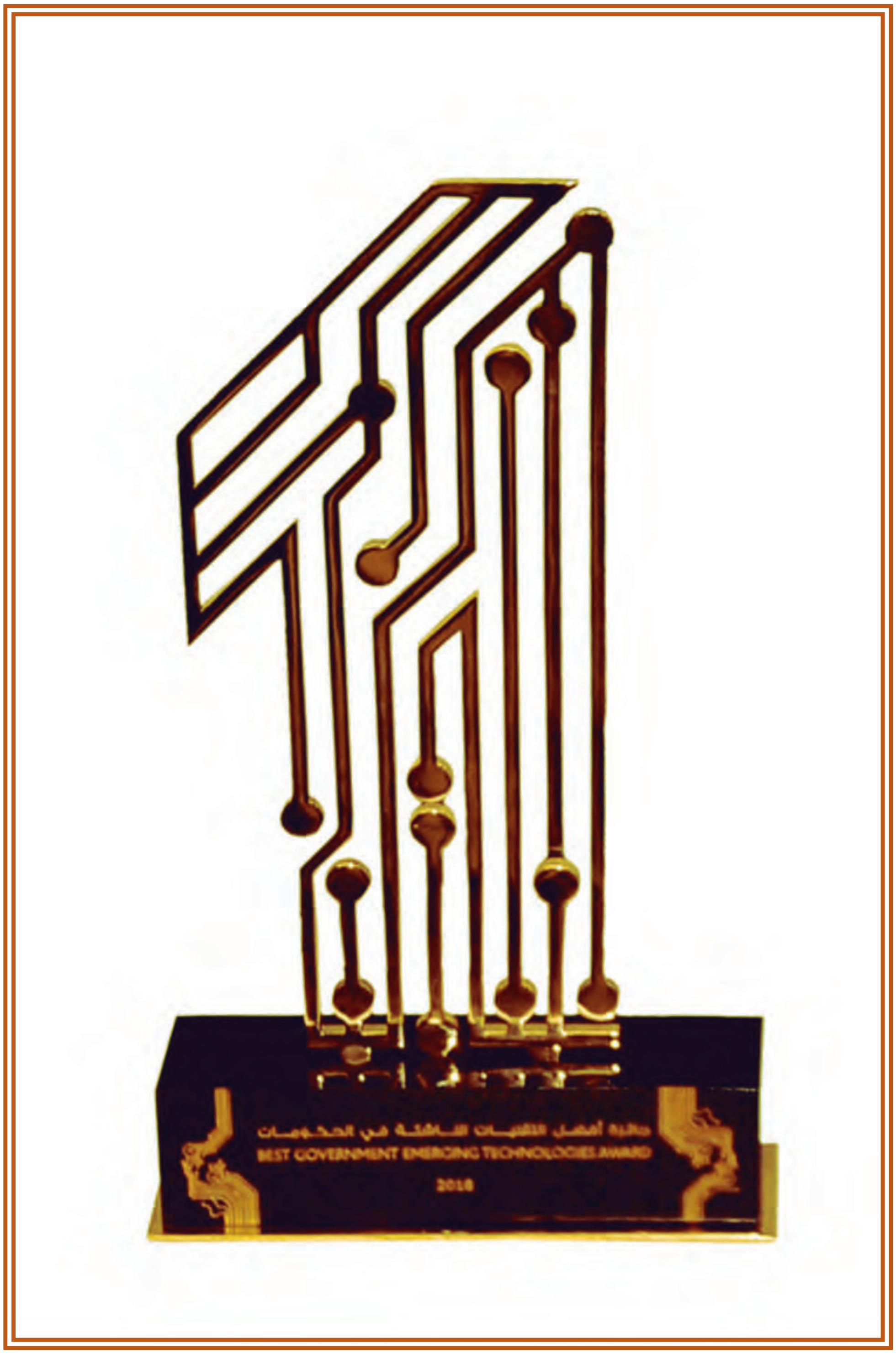

दुबई में आयोजित ''छठे विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2018'' में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को ''सर्वश्रेष्ठ सरकारी उभरती प्रौद्योगिकी पुरस्कार'' प्रदान किया गया।

आधार

अनुप्रेषण पत्र

माननीय मंत्री इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत सरकार के लिए अनुप्रेषित

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भाविपप्रा) की वर्ष 2017–18 की वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आपको इस पत्र के साथ अग्रेषित करने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 27 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना का समावेश है।

इस रिपोर्ट में भाविपप्रा के कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण एवं आधार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत सौंपे गए क्रियाकलाप शामिल हैं। भाविपप्रा का लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण भी इस रिपोर्ट का भाग है।

(डॉ. अजय भूषण पांडे)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

निवेदन

अध्यक्ष
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भाविपप्रा) की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट (2017–18) प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। भाविपप्रा ने भारत के प्रत्येक निवासी को जारी की जा सकने वाली ऐसी विशिष्ट पहचान संख्या की संकल्पना को साकार कर दिया जिससे वह कभी भी, कहीं भी अपनी पहचान सत्यापित कर सकता है। आधार विश्व में सबसे बड़ी बॉयोमीट्रिक पहचान प्रणाली के रूप में उभरा है।

इस स्वीकारोक्ति में मुझे प्रसन्नता है कि भारत में ई–शासन की बहुल परिवर्तनकारी पहल को प्रोत्साहित करने में भाविपप्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आधार से सरकार अपनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे एलपीजी–पहल, छात्रवृत्ति, मनरेगा, पेंशन में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए करोड़ों लोगों तक पहुंच बनाने और भ्रष्टाचार, हेराफेरी और रिसाव व लीकेज पर अंकुश लगाकर हितलाभ और सहायिकी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचा सकी है। आधार सक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) यह सुनिश्चित करती है कि खाद्यान्न वास्तविक लाभार्थी को आसानी से उपलब्ध और प्राप्त हो तथा बेईमान तत्व उनके हक को न छीन पाएं।

आधार सुशासन और जन सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन प्रमाणित हुआ है। नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाकर आधार ऑनलाइन सेवाओं की सहायता से भारत के निवासियों के जीवन में परिवर्तन लाया है। आधार अपनी डिजाइन में सुरक्षित है और यह निजता के सभी मापदंडों का पालन करता है।

इस अवसर पर, मैं भाविपप्रा और इसकी क्षमताओं पर अपने अविचल भरोसे को बनाए रखने के लिए आधार के सभी हितधारकों और परिव्यवस्था भागीदारों का आभार प्रकट करता हूं। साथ ही, मैं हमारे सभी कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं जिनके अथक प्रयासों से हम लक्ष्यों को प्राप्त कर सके।

जे. सत्यनारायण

निवेदन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भाविपप्रा) जो भारत के निवासियों को 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या – आधार – जारी करने के लिए आज्ञापित एक सांविधिक प्राधिकरण है, ने अब तक 120 करोड़ से अधिक आधार जारी किए हैं, जिससे मिली एक भरोसेमंद पहचान ने इस ग्रह पर रहने वाले हर छठे व्यक्ति का सशक्तिकरण किया है। आधार आज भारत में सबसे अधिक लोगों के पास उपलब्ध उनकी पहचान का सर्वाधिक विश्वसनीय एक ऐसा प्रमाण बन चुका है जिससे वे कभी भी, कहीं भी अपनी पहचान का ऑनलाइन या ऑफलाइन सत्यापन कर सकते हैं।

आधार ने निवासियों को अपनी उस पहचान कि वह वही है जिसका वह दावा करता/ती है, को प्रमाणित करने में सक्षम बना दिया है । आधार ने व्यक्ति का व्यक्ति पर और व्यक्ति का व्यवस्था में विश्वास और भरोसा बखूबी बढ़ाया है। सही में, आधार ही नए भारत – डिजिटल भारत – की नींव है। आधार गरीबों और वंचितों के लिए व्यवस्था–समीकरण रूपांतरक साबित हो रहा है। आज वे आधार से मिली एक भरोसेमंद पहचान के जरिए सहायिकी और अन्य लाभ व रोजगार पा सकते हैं। वे अपनी मजदूरी, बकाये, सेवाएं और भुगतान बिना किसी बिचौलिए के सीधे अपने बैंक खातों में प्राप्त कर सकते हैं। आधार एक संरक्षित एवं सुरक्षित पहचान प्रणाली है जिसे दूरगामी दृष्टि, ठोस रणनीति और उभरती अभिनव प्रौद्योगिकी से हमने भारत में खुद ही निर्मित किया है और यह सुशासन, समावेशन और जनसशक्तिकरण की एक महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना के रूप में उभरी है।

आधार अपने तीन मूलभूत सिद्धांतों ''न्यूनतम डेटा, इष्टतम अनभिज्ञता और संघित डेटाबेस'' के अनुपालन में एक निवासी की केवल उतनी ही सूचना एकत्रित करता है जो वह पंजीकरण और अद्यतनीकरण के लिए साझा करता/ती है। आधार के पास उस व्यक्ति विशेष की कोई अन्य सूचना जैसे उसका बैंक खाता/विवरण, पैन, मोबाइल, प्राप्त किए गए लाभों की जानकारी, इत्यादि नहीं होती। हालांकि, आधार के जरिए लाभार्थियों को बिना बिचौलिए के सीधे प्रदान/अंतरित की जाने वाली सेवाएं अधिक सार्थक, पारदर्शी और भ्रष्टाचार रहित बन गई हैं। आधार ने व्यवस्था से नक्काल, छद्म व भूत लाभुकों को बाहर करके उसे साफ–सुथरा किया है और सार्वभौम वित्तीय समावेशन और घर–द्वारे बैंकिंग को सक्षम बनाया है।

सरकार की 252 से अधिक कल्याणकारी योजनाओं जिनमें कुछ प्रमुख जैसे पीडीएस, एलपीजी–पहल, मनरेगा, पेंशन, स्कॉलरशिप, मिड–डे मील आदि हैं, के अंतर्गत लाभ पाने के लिए आधार से सत्यापन कराना जरूरी है। कुछ अन्य उपयोगिता सेवाओं जैसे पैन–आईटीआर, मोबाइल सिम, बैंक खाता, संपत्ति पंजीकरण आदि के लिए भी आधार सत्यापन निर्धारित है। आधार सरकारी सहायिकी के रिसाव पर अंकुश लगाने, काले धन पर लगाम कसने, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने, कर चोरी घटाने और बेनामी सौदों, बैंकिंग धोखाधड़ी व धनशोधन पर रोकथाम में काफी कारगर है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) में यह आधार के उपयोग का ही परिणाम है कि सरकारी खजाने में 90,000 करोड़ रुपए की बचत इस वर्ष मार्च तक हुई है।

भाविपप्रा ने निजता की संरक्षा, डेटा की सुरक्षा और आधार धारकों का समावेशन सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं तथा अनेक सुविधाएं जैसे कि वर्चुअल आईडी, यूआईडी टोकन, सीमित केवाईसी, बॉयोमीट्रिक लॉक, चेहरे से पहचान सत्यापन, ऑफलाइन सत्यापन, फोटो क्यूआर कोड, इत्यादि शुरू की हैं।

आधार को आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं एवं सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 द्वारा कानूनी संबल प्राप्त है, जिसमें आधार सूचना की निजता, सुरक्षा और उसे साझा करने के प्रावधान के साथ ही उल्लंघन के लिए कठोर दंड जिसमें तीन वर्ष तक का कारावास शामिल है, का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में निजता सुरक्षा उपायों के मूल सिद्धांतों जैसे सूचित सहमति, संग्रहण सीमा एवं उपयोग तथा उद्देश्य सीमा और साझा करने संबंधी प्रतिबंध शामिल हैं।

भाविपप्रा ने समस्त हितधारकों को सुनिश्चित तौर पर संरक्षित एवं सुरक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक, तकनीकी और कानूनी उपाय किए हैं।

डॉ. अजय भूषण पांडे

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की संरचना

श्री जे. सत्यनारायण
अध्यक्ष (अंशकालिक), भाविपप्रा

भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1977 बैच के आन्ध्र प्रदेश कॉडर के अधिकारी रहे श्री जे. सत्यनारायण, भाविपप्रा के अंशकालिक अध्यक्ष हैं। चार दशकों से अधिक के समृद्ध प्रशासनिक अनुभव से सम्पन्न श्री सत्यनारायण भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव पद से 2014 में लगभग दो वर्षों का कार्यकाल पूरा कर सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने ई–सेवा, पासपोर्ट सेवा और एमसीए 21 समेत अनेक प्रमुख ई–शासन पहलों का अभिकल्पन और क्रियान्वयन किया है।

डॉ. आनंद देशपांडे
सदस्य (अंशकालिक), भाविपप्रा

डॉ. आनंद देशपांडे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स के संस्थापक, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, डॉ. देशपांडे आईआईटी, खड्गपुर से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बीटेक (ऑनर्स) तथा इंडियाना यूनिवर्सिटी, ब्लूमिंगटन, इंडियाना, अमेरिका से एमएस और पीएचडी हैं। 1990 में परसिस्टेंट सिस्टम्स को शुरू कर आज उसे एक वैश्विक व्यापारिक कंपनी के रूप में खड़ा करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

डॉ. अजय भूषण पांडे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और सदस्य सचिव, भाविपप्रा

डॉ. अजय भूषण पांडे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सदस्य सचिव हैं। आधार कार्यक्रम की शुरूआत से ही वह वर्ष 2010 से इससे जुड़े रहे हैं। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी हैं। उन्हें राज्य एवं भारत सरकार में विभिन्न पदों पर 34 से अधिक वर्षों का कार्य करने का संवर्धित अनुभव है। आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक डॉ. पांडे यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से कंप्यूटर साइंस में एमएस और पीएचडी हैं। अपने प्रोफेशनल करियर में उत्कृष्ट लीडरशिप उपलब्धियों के लिए उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा द्वारा वर्ष 2009 में 'डिस्टिंग्युइस्ड लीडरशिप अवार्ड फॉर इंटरनेशनल्स' से सम्मानित किया गया।

आधार

विषय सूची

1. **अवलोकन** **1–7**

1.1 प्रस्तावना 1

1.2 भाविपप्रा का सृजन 2

1.3 भाविपप्रा का अधिदेश 4

1.4 भाविपप्रा की यात्रा 4

1.5 दृष्टिकोण एवं मिशन 5

1.6 भाविपप्रा के उद्देश्य 5

1.7 मूल मंत्र 5

1.8 भाविपप्रा को सौंपे गए कार्यकलाप 6

2. **संगठनात्मक संरचना** **8–11**

2.1 प्राधिकरण की संरचना 8

2.2 मुख्यालय की संरचना 8

2.3 संरचना–चित्र – मुख्यालय 9

2.4 क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना 10

2.5 संरचना–चित्र – क्षेत्रीय कार्यालय 11

3. **भाविपप्रा के कार्यकलाप** **12–30**

3.1 पंजीकरण एवं अद्यतनीकरण परिव्यवस्था 12

3.1.1 पंजीकरण सहभागी 14

3.1.2 पंजीकरण प्रक्रिया 14

3.1.3 आधार पंजीकरण प्रगति 15

3.1.4 आधार डाटा अद्यतनीकरण 18

3.2 अधिप्रमाणन परिव्यवस्था 20

3.2.1 अधिप्रमाणन सहभागी 20

3.2.2 आधार अधिप्रमाणन सेवा 21

3.2.3 नई पहल 26

3.3 प्रचालन परिव्यवस्था 27

3.3.1 आधार पत्र मुद्रण तथा परिदान 27

3.3.2 ई–आधार 27

3.4 प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणन परिव्यवस्था 27

3.4.1 प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणन कार्यकलाप 28

3.5 ग्राहक सम्पर्क प्रबंधन 29

3.5.1 आधार सहायित सेवाएं – आधार सम्पर्क केंद्र 29

4. डाटा सुरक्षा एवं निजता 31–34

4.1 सुरक्षित प्रक्रिया के माध्यम से आधार पंजीकरण 32

4.2 सुरक्षित प्रक्रिया के माध्यम से आधार अधिप्रमाणन 32

4.3 संयोजन रहित न्यूनतम डाटा 32

4.4 डाटा एकीकरण नहीं 33

4.5 इष्टतम अनभिज्ञता 33

4.6 स्थिति अपरिज्ञान 33

4.7 विकेंद्रित डाटा तथा एक–मार्गी संयोजन 33

4.8 आधार डाटा की सुरक्षा 34

4.9 भाविपप्रा आईएसओ 27001 प्रमाणित 34

4.10 सीआईडीआर संरचना घोषित रक्षित व्यवस्था 34

4.11 संचालन, जोखिम, अनुपालन एवं निष्पादन व्यवस्था (जीआरसीपी) 34

4.12 भाविपप्रा में धोखाधड़ी प्रतिरोधन व्यवस्था 34

5 आधार – शासनिक व्यवस्था सुधार हेतु एक उपकरण 35–40

5.1 वित्तीय समावेशन के लिए आधार 35

5.1.1 आधार–शक्त भुगतान व्यवस्था (एईपीएस) 35

5.1.2 आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी) 35

5.1.3 भीम आधार 35

5.1.4 पे टू आधार 37

5.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में आधार 37

5.2.1 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं हेतु जारी अधिसूचनाएं 38

5.2.2 एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई एवं अपवाद प्रबंधन के लिए स्पष्टीकरण निर्गमन 38

5.3 उपयोगी पहल 39

6. भाविपप्रा के संगठनात्मक मामले 41–44

6.1 यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी 41

6.2 राजभाषा प्रोत्साहन 41
6.3 सिटिजन/ग्राहक चार्टर (सीसीसी) 42
6.4 इंटरानेट एवं ज्ञान प्रबंधन पोर्टल 42
6.5 नोडल सूचना का अधिकार कक्ष 42
6.6 भाविपप्रा वेबसाइट 42
6.6.1 सामान्य निधान के रूप में भाविपप्रा वेबसाइट 44
6.6.2 आधार ऑनलाइन सेवाओं तथा अन्य पोर्टलों के लिए एकल–पहुंच अभिगमन 44

7. भावी योजनाएं 45–46

7.1 पंजीकरण एवं अद्यतनीकरण परिव्यवस्था 45
7.2 अधिप्रमाणन परिव्यवस्था 45
7.3 प्रचालन परिव्यवस्था 45
7.4 प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणन परिव्यवस्था 46
7.5 ग्राहक संपर्क प्रबंधन 46
7.6 भाविपप्रा वेबसाइट 46

8. वित्तीय कार्य निष्पादन 47–48

8.1 वित्तीय परामर्श/सहमति 47
8.2 बजट निर्माण 47
8.3 व्यय एवं रोकड़ प्रबंधन 47
8.4 आंतरिक लेखापरीक्षा 47
8.5 अन्य कार्यकलाप 47
8.6 बजट एवं व्यय 47

9. भाविपप्रा का वर्ष 2017–18 का लेखापरीक्षित विवरण 49–91

10. अनुलग्नक 92–97

10.1 अनुलग्नक 1 – आधार अधिनियम 92
10.2 अनुलग्नक 2 – आधार विनियम 93
10.3 अनुलग्नक 3 – आधार परिपूर्णता (राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार) 94
10.4 अनुलग्नक 4 – पहचान प्रमाण/पता प्रमाण दस्तावेज 97

11. शब्द लघुरूपण 98–102

आकृतियों की सूची

आकृति 1 – संगठनात्मक संरचना 8
आकृति 2 – भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की संरचना 8
आकृति 3 – भाविपप्रा मुख्यालय का संरचना–चित्र 9

आकृति 4 – भाविपप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना 10
आकृति 5 – भाविपप्रा क्षेत्रीय कार्यालयों का संरचना–चित्र 11
आकृति 6 – यथा 31 मार्च 2018, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में आधार परिपूर्णता 13

रेखाचित्रों की सूची

रेखाचित्र 1 – वर्षवार आधार सृजन (सितम्बर 2010 – मार्च 2018) 16
रेखाचित्र 2 – संचयी आधार सृजन (सितम्बर 2010 – मार्च 2018) 16
रेखाचित्र 3 – वर्षवार आधार अद्यतन 19
रेखाचित्र 4 – वर्षवार आधार अधिप्रमाणन संव्यवहार 22
रेखाचित्र 5 – संचयी अधिप्रमाणन संव्यवहार 23
रेखाचित्र 6 – वर्षवार ई–केवाईसी संव्यवहार 24
रेखाचित्र 7 – संचयी ई–केवाईसी संव्यवहार 24
रेखाचित्र 8 – विगत पांच वर्षों में एईपीएस की प्रगति 36
रेखाचित्र 9 – आधार भुगतान ब्रिज से संव्यवहार की प्रगति 36
रेखाचित्र 10 – आधार भुगतान ब्रिज से मूल्य में संव्यवहार की प्रगति 37
रेखाचित्र 11 – आधार की बैंक खातों से संयोजन की प्रगति 38

तालिकाओं की सूची

तालिका 1 – वर्षवार एवं संचयी आधार सृजन 15
तालिका 2 – माहवार आधार सृजन (2017–18) 17
तालिका 3 – पंजीकरण सांख्यिकी 17
तालिका 4 – वर्षवार आधार अद्यतनीकरण 18
तालिका 5 – विभिन्न आधार पंजीकरण एवं अद्यतन सेवाओं के लिए प्रभार 19
तालिका 6 – वर्षवार एवं संचयी अधिप्रमाणन संव्यवहार 22
तालिका 7 – माहवार अधिप्रमाणन संव्यवहार (2017–18) 23
तालिका 8 – वर्षवार एवं संचयी ई–केवाईसी संव्यवहार 24
तालिका 9 – माहवार ई–केवाईसी संव्यवहार (2017–18) 25
तालिका 10 – प्रदत्त प्रशिक्षण का विवरण (2017–18) 28
तालिका 11 – कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निरोधन की वार्षिक रिपोर्ट (2017–18) 41
तालिका 12 – बजट एवं व्यय (संस्थापन के पश्चात् से) 48
तालिका 13 – बजट एवं व्यय (2017–18) 48

1. अवलोकन

1.1 प्रस्तावना

आधार – अत्यधिक भरोसेमंद पहचान के बतौर भारत के सामाजिक आर्थिक विकास की वह संवृध्दि युक्ति है, जिससे देश में निवासियों का सार्वभौम सशक्तिकरण हुआ है एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती मिली है। आधार से भारत ने अपने निवासियों को विश्वसनीय पहचान के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत रूप से कुछ इस प्रकार सशक्त किया है कि विकास के पथ पर कोई भी पीछे न छूटने पाए। यह सीमित उपलब्ध संसाधनों में सेवाओं, लाभों एवं सहायिकियों के पारदर्शी एवं लक्षित वितरण की सर्वोत्तम तकनीक है। इससे एक ऐसी शासनिक व्यवस्था तैयार की जा सकी है जिसमें वंचितों और हाशिए पर छूट गए लोगों का औपचारिक समावेशन इस प्रकार सुनिश्चित हो सके कि वे अपने वास्तविक प्राप्यों को मात्र अपना अंगूठा लगाकर प्राप्त कर सकें।

आधार से भारत में जहां एक ओर तीन सुविधाएं – सशक्तिकरण, संतुष्टि एवं सुगमता – प्रत्येक व्यक्ति को अंगूठा लगाकर उपलब्ध है, वहीं दूसरी ओर जनधन–आधार–मोबाइल (जाम) के माध्यम से आधार ने जनजीवन में सामाजिक एवं डिजिटल खाई को पाट कर नए भारत के निर्माण के लिए विकास के डिजिटल युग में ऊंची छलांग लगाना संभव कर दिया है।

भारत में किसी भी अन्य पहचान दस्तावेज की तुलना में आधार कहीं अधिक विश्वास और भरोसा उत्पन्न करता है। विश्व में लगभग हर छठा व्यक्ति आधार धारक है। आधार – 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या – में रूपांतरण की अपार क्षमताएं हैं क्योंकि यह विभिन्न तरह से लोगों को इस प्रकार सशक्त बनाता है कि उनके जीवन में परिष्कृत सुरक्षा की भावना और भरोसा अधिक प्रबलता से अभिभावित होता है। और यह सब आधार, इसकी प्रौद्योगिकी, इसके प्लेटफॉर्म, इसकी अधिप्रमाणन अवसंरचना तथा सत्यापन योग्य पहचान के रूप में इसके उपयोग से संभव हो सका है।

आधार–पूर्व के दिनों में, किसी के लिए भी अपनी पहचान सत्यापित करने की अशक्तता एक बड़ी चुनौती थी जिसके कारण गरीब एवं समाज के वंचित वर्गों के लोग सरकार द्वारा समय–समय पर उपलब्ध कराए जाने वाले लाभों, सहायिकियों एवं अन्य अनुदानों आदि को पाने के लिए अभिगम और अपनी दावेदारी स्थापित नहीं कर पाते थे। भूत/छद्म एवं नकली पहचानों के जरिए संसाधनों की हेराफेरी और रिसाव आम चलन था। विभिन्न सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की एजेंसियां निवासियों को सेवाएं प्रदान के लिए पहचान का प्रमाण मांगती थीं, लेकिन नकली पहचान दस्तावेजों और पहचान सत्यापन के अभाव में, प्रायः बनावटी पहचान दस्तावेजों के कारण, छद्म अभ्यावेदन एवं सुविधाओं के दुरुपयोग से सीमित सरकारी संसाधनों का भारी मात्रा में रिसाव होता रहा। सही मायनों में कहा जाए तो राष्ट्रीय तौर पर स्वीकृत ऐसी कोई सत्यापित पहचान/संख्या नहीं हुआ करती थी जिसका उपयोग निवासी और सेवा प्रदाता एजेंसियां भरोसे, सुगमता एवं विश्वास के साथ कर सकें।

विविध एजेंसियां नाना प्रकार के पहचान पत्र जारी करतीं थीं और विभिन्न सेवा प्रदाता विविध सेवाओं के लिए कुछ अलग ही पहचान दस्तावेजों की अपेक्षा करते थे, इसलिए एक ही व्यक्ति को हर बार किसी सेवा का लाभ उठाने के लिए अनेक प्रकार के दस्तावेजों पर आधारित पहचान सत्यापन के पूरे दौर से बार–बार गुजरना पड़ता था। प्रयासों के ऐसे दोहराव एवं 'पहचान निर्जनता' के कारण न केवल सेवाओं की परिदान लागत में बढ़ोतरी होती थी बल्कि लोगों को भारी असुविधा झेलनी पड़ती थी जो प्रायः अपवर्जन और रिसाव का कारण बन जाती थी।

यह मुद्दा सरकार के लिए चिंता का विषय रहा है क्योंकि निवासियों की विशिष्ट पहचान का अभाव न केवल गरीबों और वंचित वर्गों के सामाजिक व आर्थिक अपवर्जन में परिणित हुआ बल्कि इससे परिदान व्यवस्था में रिसाव की

वजह से सरकारी खजाने पर भारी बोझ बढ़ा। इसलिए एक ऐसे वास्तविक समयापेक्ष सत्यापनीय प्लेटफॉर्म अथवा पहचान प्रणाली के सृजन की आवश्यकता अनुभव की गई, जो विशिष्ट हो एवं जिसमें नकल–निरोधन अंतर्निहित हो, जो यादृच्छ और रूपरेखण–विहीन हो, जो पूरे देश में वहनीय एवं आजीवन वैध हो, जो देश की सभी क्षेत्रीय, भाषायी एवं अन्य परिमितियों में स्वीकार्य हो, जो व्यवस्थाओं से भूत, छद्म व नक्काल लाभुकों का सफाया कर उनका शोधन कर सके, जो वास्तविक लाभार्थियों को सहायिकियों, लाभों एवं सेवाओं का लक्षित परिदान सुनिश्चित कर सके, जो न्यूनतम डाटा संग्रह इष्टतम अनभिज्ञता से करे और डाटा की निजता और वैयक्तिक निजता की संरक्षा करे।

अतः आधार परियोजना की संकल्पना भारत के निवासियों के लिए सार्वभौमिक रूप से विशिष्ट पहचान संख्याएं निर्मित करने के उद्देश्य से की गई जो (क) इतनी पुष्ट हों कि उनसे नकली और छद्म पहचानों का शोधन किया जा सके तथा (ख) जिनका सत्यापन और अधिप्रमाणन सरल एवं लागत–प्रभावी ढ़ंग से हो सके। अतएव भारत के प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट पहचान संख्या, जो आधार नाम से ख्यात है, जारी करने के लिए वर्ष 2009 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के संबद्ध कार्यालय के रूप में दिनांक 28 जनवरी 2009 के राजपत्र अधिसूचना संख्या ए–43011/02/2009–प्रशासन–1 से की गई। तदनन्तर, कैबिनेट सचिवालय की दिनांक 12 सितम्बर 2015 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2492(ई) (एफ. सं.1/21/24/2015–कैब.) द्वारा भाविपप्रा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कर दिया गया।

तत्पश्चात् वर्ष 2016 में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को कैबिनेट सचिवालय की दिनांक 16 जुलाई 2016 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2449(ई) (एफ.सं. 1/21/16/2016–कैब.) से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय बना दिया गया। इसके बाद, संसद ने भाविपप्रा को सांविधिक दर्जा प्रदान करने के लिए आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम (2016 का 18) पारित किया तथा भारत सरकार ने 26 मार्च 2016 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी।

इसके बाद, आधार अधिनियम के अनुच्छेद 11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने एक सांविधिक प्राधिकरण के रूप में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना नई दिल्ली मुख्यालय व बंगलुरू, चंडीगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई तथा रांची में आठ क्षेत्रीय कार्यालयों तथा हेब्बल (बंगलुरू) एवं मानेसर (गुरूग्राम) में दो केंद्रीय पहचान डाटा निधानों के साथ की जिसकी अधिसूचना एस.ओ. 2358(ई) संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिनांक 12 जुलाई 2016 को जारी की।

1.2 भाविपप्रा का सृजन

विशिष्ट पहचान की अवधारणा पर पहली बार चर्चा एवं कार्य वर्ष 2006 में तब शुरू हुआ जब 'गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए विशिष्ट पहचान' परियोजना को तत्कालीन संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 3 मार्च 2006 को प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया। इस परियोजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) को 12 माह में करना था। तद्न्तर 3 जुलाई 2006 को एक प्रक्रिया समिति का गठन किया गया जिसे गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए विशिष्ट पहचान परियोजना के मूल डाटाबेस में डाटा अद्यतन, सुधार, संवर्धन एवं उच्छेदन की प्रक्रियाओं पर सुझाव देने थे।

तत्पश्चात्, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट (एनआईएसजी) और डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (डीआईटी) के तत्वावधान में 'निवासियों की विशिष्ट पहचान के लिए रणनीतिक दृष्टिपत्र' तैयार कर इसे प्रक्रिया समिति को प्रस्तुत किया गया। इसमें विशिष्ट पहचान की निकटतम अनुलग्नता निर्वाचन डाटाबेस के साथ परिकल्पित थी। समिति ने तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के तत्वावधान में एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सृजन की आवश्यकता जताई थी जिससे प्राधिकरण की अखिल–विभागीय एवं तटस्थ पहचान सुनिश्चित

की जा सके और साथ ही, ग्यारहवीं योजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए केंद्रित उपागम किए जा सकें। प्रक्रिया समिति की 30 अगस्त 2007 को हुई सातवीं बैठक में निर्णय लिया गया कि तत्कालीन योजना आयोग के सम्मुख ''सैद्धांतिक अनुमोदन'' की प्राप्ति के लिए संसाधन मॉडल पर आधारित एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

इसी दौरान, भारत के महापंजीयक राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका के सृजन एवं भारत के नागरिकों को बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने में लगे थे। अतएव तत्कालीन प्रधानमंत्री के अनुमोदन से यह तय पाया गया कि एक अधिकार–प्राप्त मंत्री समूह (ईजीओएम) का गठन किया जाए जो दोनों योजनाओं – नागरिकता अधिनियम, 1955 के अधीन राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका और तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (अब इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) की विशिष्ट पहचान संख्या परियोजना – का समानुक्रमन कर सके।

तत्पश्चात् सचिवों की समिति की अनुशंसा और अधिकार–प्राप्त मंत्री समूह के निर्णय से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन किया गया और तत्कालीन योजना आयोग ने 28 जनवरी 2009 को इसे अपने एक संबद्ध कार्यालय के रूप में इसकी भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों का उल्लेख करते हुए अधिसूचना संख्या ए–43011/02/2009–प्रशासन–1 द्वारा अधिसूचित किया। श्री नदंन नीलेकणि को अधिसूचना (संख्या ए–43011/02/2009–प्रशासन–1) (खंड 2) द्वारा 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट मंत्री के समकक्ष एवं पदस्थ पांच वर्ष के प्रारंभिक कार्यकाल के लिए भाविपप्रा का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी वर्ष जुलाई में श्री राम सेवक शर्मा, भा.प्र.से., ने भाविपप्रा के प्रथम महानिदेशक का पदभार संभाला।

28 जनवरी 2009 को स्थापना के पश्चात् भाविपप्रा को उसके कार्यक्रम, कार्यविधि एवं कार्यान्वयन से संबंधित परामर्श देने के लिए 30 जुलाई 2009 को भाविपप्रा संबद्ध प्रधानमंत्री परिषद का गठन किया गया ताकि मंत्रालयों/विभागों, हितकारियों एवं सहभागियों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। भाविपप्रा संबद्ध प्रधानमंत्री परिषद की 12 अगस्त 2009 को आयोजित पहली बैठक में भाविपप्रा द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट पहचान व्यवस्था की वृहद कार्यनीति एवं उपागम का अनुमोदन कर दिया गया।

बाद में, इस परिषद का स्थान भाविपप्रा संबद्ध कैबिनेट समिति ने ले लिया, जिसका गठन भारत सरकार के आदेश संख्या 1/11/6/2009 से 22 अक्तूबर 2009 को किया गया। इस समिति के कार्यकलापों में, इस अधिसूचना के अनुसार, भाविपप्रा से संबंधित संगठन, व्यवस्था, नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं, निधियन एवं भाविपप्रा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यविधि सहित सभी मामले शामिल किए गए थे।

भाविपप्रा संबद्ध प्रधानमंत्री परिषद ने भाविपप्रा को इसके जनांकिक एवं बॉयोमीट्रिक डाटा के मानक निर्धारित करने के लिए शीर्ष निकाय घोषित किया। इस अधिदेश के अनुरूप, भाविपप्रा ने इन मानकों की अनुशंसा के लिए दो समितियों – (1) जनांकिक डाटा मानक एवं सत्यापन प्रक्रिया समिति तथा (2) बॉयोमीट्रिक मानक समिति – का गठन किया। जनांकिक डाटा मानक एवं सत्यापन प्रक्रिया समिति ने श्री एन. विठ्ठल की अध्यक्षता में अपनी रिपोर्ट 9 दिसम्बर 2009 को प्रस्तुत की जिसे बाद में भाविपप्रा ने स्वीकार कर लिया। बॉयोमीट्रिक मानक समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय सूचना केंद्र के तत्कालीन महानिदेशक श्री बी.के. गैरोला की अध्यक्षता में 7 जनवरी 2010 को प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट भी भाविपप्रा ने स्वीकार कर ली।

कैबिनेट के अनुमोदन के अनुसार, आधार पंजीकरण का कार्य भाविपप्रा एवं भारत के महापंजीयक के बीच भौगोलिक तौर पर विभाजित कर दिया गया। तदनुसार, भाविपप्रा को 24 राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों और भारत के महापंजीयक को 12 राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में आधार पंजीकरण का कार्य सौंपा गया। तथापि, गृह मंत्रालय ने भारत के महापंजीयक को सौंपे गए 12 में से 10 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों – अरूणाचल प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली, जम्मू व कश्मीर, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल (असम एवं

मेघालय के अलावा) – में पंजीकरण का कार्य अपने 5 मई 2016 के अ.शा. पत्र संख्या आरजी(पी)/एनपीआर/आरजीआई से भाविपप्रा को सौंप दिया।

पुनः, गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल 2017 के अपने पत्र में सूचित किया कि आधार अधिनियम, 2016 के प्रवर्तन के पश्चात् भाविपप्रा द्वारा सॉफ्टवेयर में किए बदलाव के कारण राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका योजना के अंतर्गत बॉयोमीट्रिक पंजीकरण का कार्य 23 सितम्बर 2016 से रोक दिया गया है। अतः भाविपप्रा विधिक प्रावधानों के अंतर्गत असम एवं मेघालय सहित पूरे देश के लिए पंजीकरण कार्य हेतु सक्षम है।

1.3 भाविपप्रा का अधिदेश

भाविपप्रा प्राप्त अधिदेश के अनुसार प्रत्येक निवासी व्यक्ति को आधार संख्या जारी करने एवं उसका अधिप्रमाणन करने के लिए नीति, प्रक्रिया एवं व्यवस्था विकसित कर सकता है। साथ ही उस पर केंद्रीय पहचान डाटा निधान में भंडारित सूचना की सुरक्षा तथा उस तक अनधिकृत पहुंच या उसके दुरुपयोग को रोकना सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की जिम्मेदारी है।

1.4 भाविपप्रा की यात्रा

पहली विशिष्ट पहचान संख्या, ख्यात नाम आधार, 29 सितम्बर 2010 को जारी की गई थी। उसके बाद से 31 मार्च 2018 तक 120 करोड़ से अधिक भारत निवासियों को आधार संख्या दी जा चुकी है। आधार की, एक विशिष्ट पहचान के बतौर निम्न विशेषताएं हैं –

- यह 12 अंकों की यादृच्छ संख्या है।
- यादृच्छ संख्या में कोई आसूचना या रूपरेखण नहीं है।
- विशिष्टता का सुनिश्चयन बॉयोमीट्रिक गुणधर्म से होता है।
- इसमें केवल संख्याएं हैं, यह स्मार्ट कार्ड नहीं है।
- इसका पंजीकरण व अद्यतनीकरण देश में कहीं से भी किया जा सकता है।
- इसका ऑनलाइन अधिप्रमाणन देश में कभी भी, कहीं से भी किया जा सकता है।
- यह पूरे देश में संवहनीय पहचान है जो क्षेत्र व भाषा की अड़चनों से परे है।
- एक बार सृजित और निर्गत संख्या फिर कभी भी पुनःसृजित और पुनर्निर्गत नहीं की जा सकती।
- यह नागरिकता, अधिकार एवं पात्रता प्रदान नहीं करता।
- संग्रहित सूचना की निजता एवं सुरक्षा – निवासी की सहमति के बिना किसी से डाटा सहभाजन नहीं।

पंजीकरण के संदर्भ में भाविपप्रा लगभग पूरे देश को समाविष्ट करता है। भाविपप्रा की संकल्पना देश के सभी निवासियों के पंजीकरण की है जिसमें बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगों, गरीबों एवं समाज के वंचित वर्गों के प्रति विशेष ध्यान दिया गया है। अब तक 120 करोड़ से अधिक आधार सृजित किए गए हैं तथा इसमें प्रतिदिन निरंतर वृद्धि हो रही है। भाविपप्रा अपने सेवा परिदान में उन्नयन के निरंतर उपाय कर रहा जिससे आम तौर पर लोगों की सुविधा के लिए जीवन सुगमता और व्यवसाय सुगमता उपलब्ध हो सके। आधार का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं में सहायिकियां, लाभ एवं सेवाएं देने में किया जा रहा है, जिससे लाभुकों को सहायिकियां, लाभ एवं सेवाएं देने में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके अलावा, आधार ने रिसाव पर अंकुश और विभिन्न डाटाबेसों से भूत/नकली लाभार्थियों के शोधन से राजकोष में महती बचत की है।

1.5 दृष्टिकोण एवं मिशन

दृष्टिकोण

भारत के निवासियों का एक विशिष्ट पहचान से सशक्तिकरण और कभी भी, कहीं भी अधिप्रमाणन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म।

मिशन

- एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान कर भारत में रहने वाले व्यक्तियों को सुशासन, सहायिकियों, लाभों और सेवाओं जिनके लिए भारत की समेकित निधि से व्यय किया गया हो, का कुशल, पारदर्शी और लक्षित परिदान उपलब्ध कराना।
- व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली का विकास करना ताकि इसके लिए अनुरोध करने वाले अपनी जनांकिक व बॉयोमीट्रिक जानकारी प्रस्तुत कर पंजीकरण प्रक्रिया अपना सकें।
- आधार धारकों के अपनी डिजिटल पहचान के अद्यतनीकरण और अधिप्रमाणन के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली का विकास करना।
- प्रौद्योगिकी अवसंरचना की उपलब्धता, मापक्रमणीयता और तन्यता सुनिश्चित करना।
- भाविपप्रा के दृष्टिकोण व मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक सतत् संगठन बनाना।
- व्यक्तियों की पहचान सूचना एवं अधिप्रमाणन रिकॉर्ड की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना।
- आधार अधिनियम का सभी व्यक्तियों और एजेंसियों से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराना।
- आधार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए आधार अधिनियम के अनुरूप विनियम और नियम बनाना।

1.6 भाविपप्रा के उद्देश्य

भाविपप्रा का सृजन भारत के निवासियों के लिए सार्वभौमिक रूप से ''आधार'' नामक विशिष्ट पहचान संख्याएं निर्मित करने के उद्देश्य से किया गया था, जो –

- इतनी पुष्ट हों कि उनसे नकली और छद्म पहचानों का शोधन किया जा सके, तथा
- जिनका सत्यापन और अधिप्रमाणन कभी भी, कहीं भी सरल एवं लागत–प्रभावी ढ़ंग से हो सके।

1.7 मूल मंत्र

- हम सुशासन सुगम बनाने में विश्वास रखते हैं।
- हम सत्यनिष्ठा को महत्व देते हैं।
- हम समावेशी राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- हम सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण का अनुसरण करते हैं और अपने सहभागियों को महत्व देते हैं।
- हम निवासियों और सेवा प्रदाताओं को सेवाओं में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए उद्यम करेंगे।

- हम हमेशा निरंतर सीखने और गुणवत्ता सुधार पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
- हम नवोन्मेष से प्रेरित हैं और नवोत्थान के लिए अपने सहयोगियों को प्लेटफॉर्म प्रदान करेंगे।
- हम एक पारदर्शी और उदार संगठन में विश्वास करते हैं।

1.8 भाविपप्रा को सौंपे गए कार्यकलाप

आधार अधिनियम, 2016 के अनुच्छेद 23 के अनुसार भाविपप्रा व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया एवं प्रणाली का विकास करेगा और आधार अधिनियम के अंतर्गत उसका अधिप्रमाणन करेगा। प्राधिकरण के कार्यकलापों में, अन्य विषयों के साथ, शामिल हैं –

- पंजीकरण के लिए अपेक्षित जनांकिक सूचना एवं बॉयोमीट्रिक सूचना और उसके संग्रहण एवं सत्यापन की प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से विनियमों में विनिर्दिष्ट करना;
- आधार संख्या चाहने वाले व्यक्ति से जनांकिक सूचना एवं बॉयोमीट्रिक सूचना का संग्रहण विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रविधि के अनुरूप करना;
- केंद्रीय पहचान डाटा निधान के प्रचालन के लिए एक अथवा अधिक संस्थाओं की स्थापना करना;
- व्यक्तियों के लिए आधार संख्याओं का सृजन एवं निर्धारण करना;
- आधार संख्याओं के अधिप्रमाणन का निष्पादन करना;
- केंद्रीय पहचान डाटा निधान में व्यक्तियों की सूचना का अनुरक्षण एवं अद्यतनीकरण विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रविधि के अनुरूप करना;
- विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रविधि के अनुरूप, एक आधार संख्या व उससे संबद्ध सूचना को निरस्त और निष्क्रिय करना;
- आधार संख्या के उपयोग की विधि विनिर्दिष्ट विभिन्न सहायिकियों, प्रसुविधाओं, सेवाओं को प्राप्त करने तथा अन्य उद्देश्यों के लिए करना;
- विनियमों में रजिस्ट्रारों, पंजीकरण एजेंसियों एवं सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति एवं ऐसी नियुक्तियों को समाप्त करने से संबंधित नियम एवं शर्तों का ब्यौरा विनिर्दिष्ट करना;
- केंद्रीय पहचान डाटा निधान की स्थापना, प्रचालन एवं अनुरक्षण करना;
- आधार अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में विनियमों में विनिर्दिष्टि के अनुरूप आधार संख्या धारकों से संबद्ध सूचना का सहभाजन करना;
- आधार अधिनियम के अनुपालन में केंद्रीय पहचान डाटा निधान, अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त रजिस्ट्रारों, पंजीकरण एजेंसियों एवं अन्य एजेंसियों से सूचना व रिकार्ड की मांग, उनका निरीक्षण तथा प्रचालन लेखा परीक्षण करना;
- आधार अधिनियम के अंतर्गत डाटा प्रबंधन, सुरक्षा नयाचार एवं अन्य प्रौद्योगिकी संरक्षण से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं को विनियमों में विनिर्दिष्ट करना;
- विनियमों के अनुपालन में शुल्क लगाना एवं एकत्रित करना अथवा रजिस्ट्रारों, पंजीकरण एजेंसियों अथवा अन्य सेवा प्रदाताओं को इस अधिनियम के अंतर्गत उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए ऐसे शुल्क की विनिर्दिष्ट रूप से प्राप्ति के लिए अधिकृत करना;
- इस अधिनियम के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा कार्यकलापों के निर्वहन में सहायता के लिए आवश्यतानुरूप समितियों की नियुक्ति करना;
- बॉयोमीट्रिक एवं संबद्ध क्षेत्रों उत्तरोत्तर विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रक्रियाओं व समुचित प्रक्रियाओं से आधार संख्या के उपयोग को प्रोत्साहित करना;
- रजिस्ट्रारों, पंजीकरण एजेंसियों एवं अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए विनियमों, नीतियों एवं व्यवहारों को विकसित एवं विनिर्दिष्ट करना;

- सुविधा केंद्रों की स्थापना करना और व्यक्तियों, रजिस्ट्रारों, पंजीकरण एजेंसियों एवं सेवा प्रदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण व्यवस्था बनाना;
- आधार अधिनियम के प्रयोजन में जैसा भी आवश्यक हो, सूचना के संग्रहण, भंडारण, सुरक्षण या प्रक्रमण से संबंधित किसी क्रियाकलाप अथवा व्यक्तियों को आधार संख्या की सुपुर्दगी अथवा अधिप्रमाणन सम्पन्न करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ शासित क्षेत्रों या अन्य एजेंसियों के साथ, जैसा भी मामला हो, समझौता ज्ञापन अथवा करार करना;
- आधार अधिनियम के प्रयोजन से जैसा भी आवश्यक हो, अधिसूचना द्वारा अपेक्षित संख्या में रजिस्ट्रारों की नियुक्ति करना एवं सूचना के संग्रहण, भंडारण, सुरक्षण, प्रक्रमण या अधिप्रमाणन करने या उससे संबद्ध अन्य कार्यकलापों के लिए एजेंसियों की नियुक्ति तथा उन्हें प्राधिकृत करना;
- आधार अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों के सम्यक निर्वहन के लिए जैसे आवश्यक हों, वैसे परामर्शदाताओं, सलाहकारों एवं अन्य व्यक्तियों की सेवाएं, भत्तों या पारिश्रमिक तथा अनुबंध में विनिर्दिष्ट नियम एवं शर्तों के अनुसार प्राप्त कर सकना।

2. संगठनात्मक संरचना

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ("प्राधिकरण/भाविपप्रा") का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित हैं तथा यह बंगलुरू, चंडीगढ, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली तथा रांची स्थित अपने आठ क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ कार्य करता है। भाविपप्रा के दो डाटा केंद्र – एक हेब्बल (बंगलुरू) कर्नाटक तथा दूसरा मानेसर (गुरूग्राम) हरियाणा में हैं।

आकृति 1. संगठनात्मक संरचना

2.1 प्राधिकरण की संरचना

भाविपप्रा एक अध्यक्ष, दो अंशकालिक सदस्यों तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो प्राधिकरण के सदस्य सचिव भी हैं, से युक्त है। वर्तमान में प्राधिकरण के रूप में भाविपप्रा की संरचना को आकृति–2 में दर्शाया गया है।

2.2 मुख्यालय की संरचना

मुख्यालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ कार्य–सहयोग के लिए भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के उपमहानिदेशक कार्यरत हैं, जो भाविपप्रा के विभिन्न कार्य–अनुभागों के प्रभारी हैं। उपमहानिदेशकों के साथ कार्य–सहयोग के लिए सहायक महानिदेशक, उप निदेशक, अनुभाग अधिकारी एवं सहायक अनुभाग अधिकारी नियुक्त हैं। भाविपप्रा मुख्यालय के संरचना चित्र को आकृति–3 में दर्शाया गया है।

क्र.सं.	सदस्य का नाम तथा विवरण	पदनाम
1	**श्री जे. सत्यनारायण** भा.प्र.से.(सेवानिवृत्त) (आं.प्र.1977)	**अध्यक्ष** (अंशकालिक)
2	**डॉ. आनन्द देशपांडे** पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के संस्थापक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**सदस्य** (अंशकालिक)
3	**श्री राजेश जैन** नेटकोर साल्यूशंस के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक	**सदस्य** (अंशकालिक) (10 अक्तूबर 2017 को त्यागपत्र दिया)
4	**डॉ. अजय भूषण पांडे** भा.प्र.से. (महाराष्ट्र 1984)	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव**

आकृति 2. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की संरचना

2.3 संरचना चित्र – मुख्यालय*

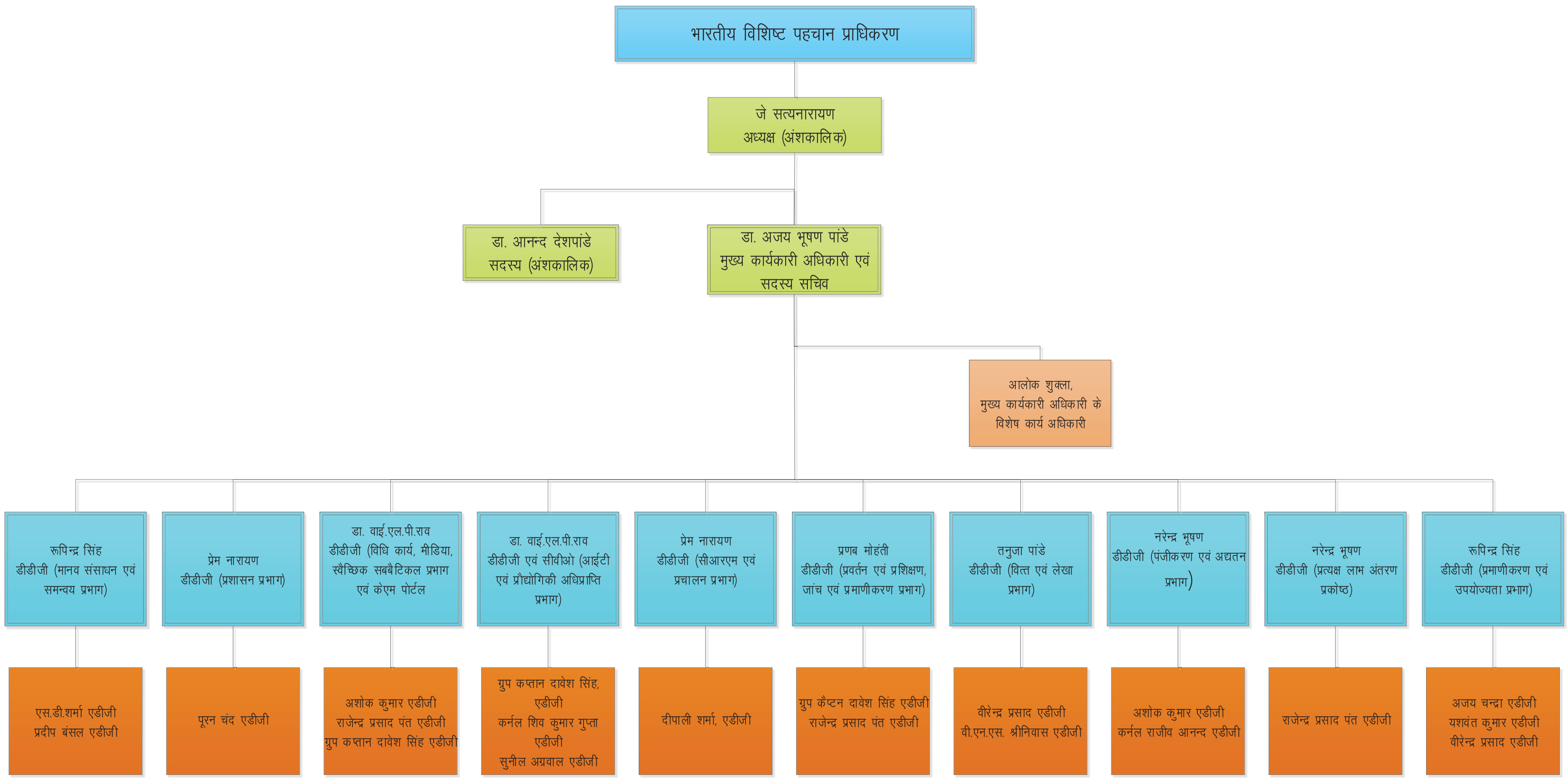

आकृति 3. भाविपप्रा मुख्यालय का संरचना चित्र

*यथा 31 मार्च, 2018

2.4 क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना

भाविपप्रा के आठ क्षेत्रीय कार्यालयों में से प्रत्येक का प्रमुख एक उपमहानिदेशक है तथा उनकी कार्य–सहायता के लिए सहायक महानिदेशक, उप निदेशक, अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखाकार एवं वैयक्तिक कर्मचारी कार्यरत हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में आने वाले राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का विवरण नीचे आकृति–4 में दर्शाया गया है। भाविपप्रा क्षेत्रीय कार्यालयों के संरचना चित्र को आकृति–5 में दर्शाया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय	क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में आने वाले राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र
बंगलुरू	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु
चंडीगढ़	चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, पंजाब
नई दिल्ली	मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड
गुवाहाटी	अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा
हैदराबाद	अंडमान एवं निकोबार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना
लखनऊ	उत्तर प्रदेश
मुंबई	दादरा व नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र
रांची	बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल

आकृति 4. भाविपप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना

2.5 संरचनाचित्र – क्षेत्रीय कार्यालय*

आकृति 5. भाविपप्रा क्षेत्रीय कार्यालयों का संरचना चित्र

*यथा 31 मार्च 2018

3. भाविपप्रा के कार्यकलाप

कालांतर में व्यवहार्यतः अनेक विभाग अपने कार्यक्षेत्र से संबद्ध विर्निदिष्ट पहचानक दस्तावेज जारी करते रहे हैं, जिनका उपयोग प्रायः बतौर पहचान किया जाता रहा है। परन्तु उनका उपयोग जारीकर्ता के क्षेत्र या उद्देश्य या कार्यक्षेत्र तक ही सीमित है। इसके साथ ही इनमें समाप्ति तिथि एवं वय सीमा की बाध्यताएं भी हैं। तथापि भाविपप्रा द्वारा विशिष्ट पहचान प्रणाली के अंतर्गत जारी 12 अंकों की यादृच्छ संख्या आधार न केवल विशिष्ट और ऑनलाइन एवं ऑफलाइन अधिप्रमाणन योग्य है बल्कि यह किसी भी विर्निदिष्ट कार्यक्षेत्र या क्षेत्र या उद्देश्य या समाप्ति तिथि एवं वय सीमा आदि से भी मुक्त है। वस्तुतः भारत के निवासियों को जारी सबसे अधिक विश्वसनीय और सशक्तिकारक 12 अंकों की विशिष्ट पहचान – आधार ने उन्हें बिना किसी शंका के यह प्रमाणित करने योग्य बनाया है कि वे वही हैं जो होने का वह दावा कर रहे हैं। अतएव, भाविपप्रा ने उच्च प्रवाहिता, समावेशन एवं पूरे वर्ष प्रभावी एवं कुशल सेवाओं की उपलब्धता व कभी भी–कहीं भी अधिप्रमाणन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न परिव्यवस्थाएं सृजित की हैं और निवासियों की आवश्यकताओं के अनुरूप आधार अधिनियम व उसके विनियमों के अनुपालन में उनका प्रचालन करता है। आधार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत अधिसूचित विनियम निम्न हैं (संलग्नक II):–

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (प्राधिकरण की बैठकों में कार्य संचालन), विनियम (2016 का संख्या 1)
- आधार (पंजीकरण एवं अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 का संख्या 2)
- आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 (2016 का संख्या 3)
- आधार (डाटा सुरक्षा) विनियम, 2016 (2016 का संख्या 4)
- आधार (सूचना का सहभाजन) विनियम, 2016 (2016 का संख्या 5)
- आधार (पंजीकरण एवं अद्यतन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का संख्या 1)
- आधार (पंजीकरण एवं अद्यतन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2017
- आधार (पंजीकरण एवं अद्यतन) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2017
- आधार (पंजीकरण एवं अद्यतन) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का संख्या 5)
- आधार (पंजीकरण एवं अद्यतन) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का संख्या 1)

भाविपप्रा की परिव्यवस्थाएँ निम्न हैं–

- पंजीकरण एवं अद्यतन परिव्यवस्था
- अधिप्रमाणन परिव्यवस्था
- प्रचालन परिव्यवस्था
- प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणन परिव्यवस्था
- ग्राहक सम्पर्क प्रबंधन

3.1 पंजीकरण एवं अद्यतन परिव्यवस्था

भाविपप्रा का प्राथमिक अधिदेश आधार पंजीकरण होने के कारण उसके कार्यकलापों में निवासियों के पंजीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। आधार (पंजीकरण एवं अद्यतन) विनियम, 2016 के अनुसार, विशिष्ट पहचान संख्या आधार की पंजीकरण प्रक्रिया की शुरूआत एक निवासी द्वारा पंजीकरण केंद्र में पंजीकरण एजेंसी को समर्थित दस्तावेजों के साथ भरा हुआ पंजीकरण प्रपत्र प्रस्तुत करने, जनांकिक एवं बॉयोमीट्रिक डाटा देने तथा अनुबंध–4 में विनिर्दिष्ट सांकेतिक सूची के अनुरूप अपनी पहचान एवं पते के प्रमाण स्वरूप स्वीकार्य दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रस्तुत करने से होती है। पंजीकरण/अद्यतन के लिए प्राप्त सूचना की

परिशुद्धता का सत्यापन निवासी स्वयं करता है एवं पंजीकरण पूरा होने पर पावती लेता है जिसमें पंजीकरण आईडी होती है। यथा 31 मार्च 2018, भाविपप्रा 120 करोड़ (118 करोड़ जीवंत आधार) से अधिक आधार जारी कर चुका है। 25 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में आधार का परिपूर्णता स्तर 90 प्रतिशत से भी अधिक है, जबकि 7 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इसका परिपूर्णता स्तर 75 से 90 प्रतिशत है। आकृति–6 में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की परिपूर्णता स्थिति दर्शाई गई है।

उच्च आधार–परिपूर्णता वाले राज्यों में प्रचालन की दृष्टि से अब 'पंजीकरण' से ज्यादा जोर 'अद्यतनीकरण' पर है। राज्यों में आधार–परिपूर्णता में वृद्धि और सरकारी एवं अन्य सेवाओं में आधार संबद्धता बढ़ने के साथ ही अद्यतनीकरण की आवश्यकता भी बढ़ने की संभावना है। आने वाले समय में आधार की सफलता का मूल उसका अद्यतनीत डाटाबेस होगा, जिसको अद्यतन बनाए रखना भाविपप्रा का एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप होगा।

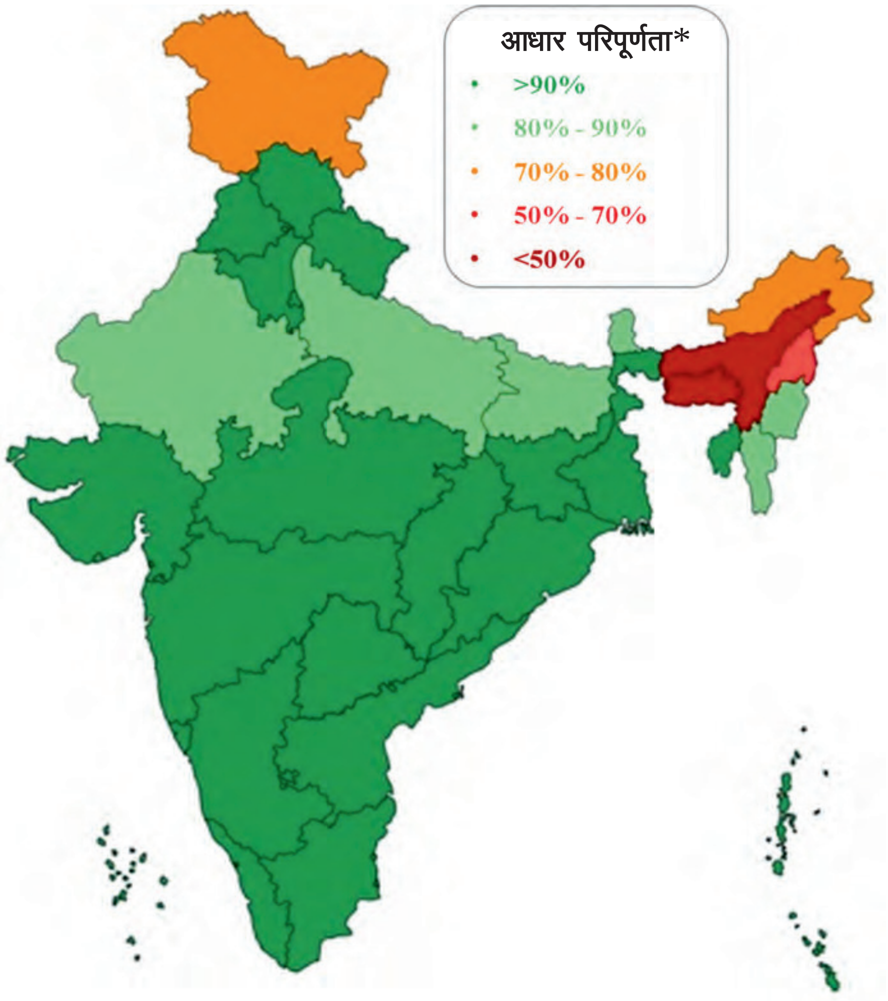

** यथा 31 मार्च, 2018*

आकृति 6. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में आधार परिपूर्णता

3.1.1 पंजीकरण सहभागी

भाविपप्रा में आधार पंजीकरण व अद्यतन करने के लिए सहभागियों से युक्त एक परिव्यवस्था है जैसा कि आधार (नामांकन एंव अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 का संख्या 2) में विर्निदिष्ट हैः–

1. **रजिस्ट्रार :** कोई इकाई जो आधार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत व्यक्तियों के पंजीकरण के उद्देश्य से भाविपप्रा से प्राधिकृत अथवा मान्यता प्राप्त हो।
2. **पंजीकरण एजेंसी :** एक एजेंसी जिसे प्राधिकरण अथवा रजिस्ट्रार ने, जैसा भी मामला हो, आधार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत व्यक्तियों का जनांकिक एवं बॉयोमीट्रिक विवरण प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया हो।
3. **पंजीकरण केंद्र :** एक स्थाई अथवा अस्थाई केंद्र जिसकी स्थापना पंजीकरण एजेंसी ने निवासियों के पंजीकरण एवं उनकी संबंधित सूचना को अद्यतन करने के लिए की हो।
4. **परिचायक :** ऐसे व्यक्ति जिनके पास वैध आधार हो और जिन्हें रजिस्ट्रार ने उन निवासियों को परिचय पत्र देने के लिए प्राधिकृत किया हो जिनके पास निर्धारित सक्षम दस्तावेज नहीं हैं।
5. **प्रचालक :** पंजीकरण एजेंसियों द्वारा नियुक्त प्रमाणित कर्मी जिन्हें पंजीकरण केंद्रों में पंजीकरण के लिए नियुक्त किया गया हो।

आधार पंजीकरण की प्रक्रिया

6. **पर्यवेक्षक :** पंजीकरण एजेंसियों द्वारा नियुक्त प्रमाणित कर्मी जिन्हें पंजीकरण केंद्रों के प्रचालन एवं प्रबंधन के लिए नियुक्त किया गया हो।
7. **अधिप्रमाणनकर्ता :** पंजीकरण केंद्रों में दस्तावेजों के सत्यापन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किया गया कर्मी।

3.1.2 पंजीकरण प्रक्रिया

एक निवासी के लिए आधार पंजीकरण प्रक्रिया में पंजीकरण केंद्र जाकर पंजीकरण प्रपत्र भरना, जनांकिक एवं बॉयोमीट्रिक डाटा, अपनी पहचान एवं पते के दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी सूचित सहमति प्रदान करना एवं पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् पंजीकरण आईडी युक्त पावती प्राप्त करना शामिल है। पंजीकरण प्रपत्र में भरे गए पंजीकरण डाटा को समर्थित दस्तावेजों के साथ सत्यापित किया जाता है और सिस्टम में अपलोड किया जाता है जहां डाटा विभिन्न परीक्षणों और वैधीकरण प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है जिसके बाद आधार संख्या का सृजन होता है।

भाविपप्रा की निर्धारित पंजीकरण एवं अद्यतन प्रक्रिया विविध प्रकार के पहचान एवं पता दस्तावेज जो अनुलग्नक–4 में उल्लिखित हैं, प्रमाण के रूप में स्वीकार करती है। फिर भी यदि किसी परिवार का कोई व्यक्ति, जिसके पास अपना कोई वैयक्तिक वैध दस्तावेज नहीं है, परिवार पात्रता दस्तावेज में अपना नाम होने पर पंजीकरण करवा सकता है। ऐसे किसी मामले में, परिवार पात्रता दस्तावेज में वर्णित परिवार के मुखिया को वैध पहचान एवं पते के दस्तावेज के साथ पहले अपना पंजीकरण करवाना होता है। इसके पश्चात् परिवार का मुखिया आधार पंजीकरण के लिए परिवार के अन्य सदस्यों का परिचय दे सकता है। भाविपप्रा संबंध प्रमाणन के बतौर अनेक दस्तावेज स्वीकार करता है जिनका उल्लेख अनुलग्नक–4 में है। यदि कोई भी वैध दस्तावेज उपलब्ध न हो तो निवासी रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत परिचायक की सहायता ले सकता है।

संक्षेप में, आधार पंजीकरण के लिए तीन उपागम हैं –

दस्तावेज आधारित	परिवार मुखिया आधारित	परिचायक आधारित
पहचान और पते से संबंधित वैध दस्तावेजों की प्रस्तुति	परिवार का मुखिया अपना पंजीकरण कराने के पश्चात् अपना संबंध प्रमाणित करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत कर परिवार के शेष सदस्यों का परिचायक बन सकता है।	पहचान एवं पते का वैध दस्तावेज न होने पर किसी ऐसे परिचायक की सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं जिसे रजिस्ट्रार ने नियुक्त किया हो।

आधार पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान केवल न्यूनतम जनांकिक सूचना जैसे नाम, लिंग, आवासीय पता, जन्म तिथि और बॉयोमीट्रिक सूचना – सभी दस अंगुलियों के निशान, दोनों पुतलियों की स्कैनिंग तथा चेहरे की फोटो ली जाती है। साथ ही, वैकल्पिक तौर पर निवासी चाहे तो अपना ई–मेल एवं मोबाइल नम्बर दे सकता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मामले में केवल नाम, लिंग, जन्म तिथि एवं बच्चे के चेहरे का फोटो लेकर माता–पिता में से किसी एक का आधार/पंजीकरण पहचान दर्ज की जाती है।

आधार एक पूर्णतः समावेशी कार्यक्रम है, अतः भाविपप्रा ने उन व्यक्तियों के लिए भी पंजीकरण प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं, जो किसी कारणवश अपने सभी या कुछ बॉयोमीट्रिक देने में असमर्थ हैं। अतएव, किसी भी निवासी को आधार से वर्जित नहीं रखा गया है।

3.1.3 आधार पंजीकरण प्रगति

सितम्बर 2010 में प्रथम आधार सृजन के बाद आधार पंजीकरण में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है एवं यथास्थिति 31 मार्च 2018, अब तक 120 करोड़ से अधिक आधार सृजित हो चुके हैं। स्थापना से अब तक का आधार का इतिवृत्त एवं विभिन्न उपलब्धियां तालिका – 1 एवं रेखाचित्र – 1 में प्रदृश्य हैं। संचयी आधार सृजन को रेखाचित्र–2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1. वर्षवार एवं संचयी आधार सृजन

वर्ष	आधार सृजन (करोड़ में)	संचयी सृजित आधार (करोड़ में)
2010–11*	0.42	0.42
2011–12	15.59	16.01
2012–13	15.17	31.18
2013–14	29.83	61.01
2014–15	19.46	80.47
2015–16	19.45	99.92
2016–17	13.37	113.29
2017–18	7.42	120.71
*सितम्बर से मार्च		

रेखाचित्र 1. वर्षवार आधार सृजन (सितम्बर 2010 – मार्च 2018)

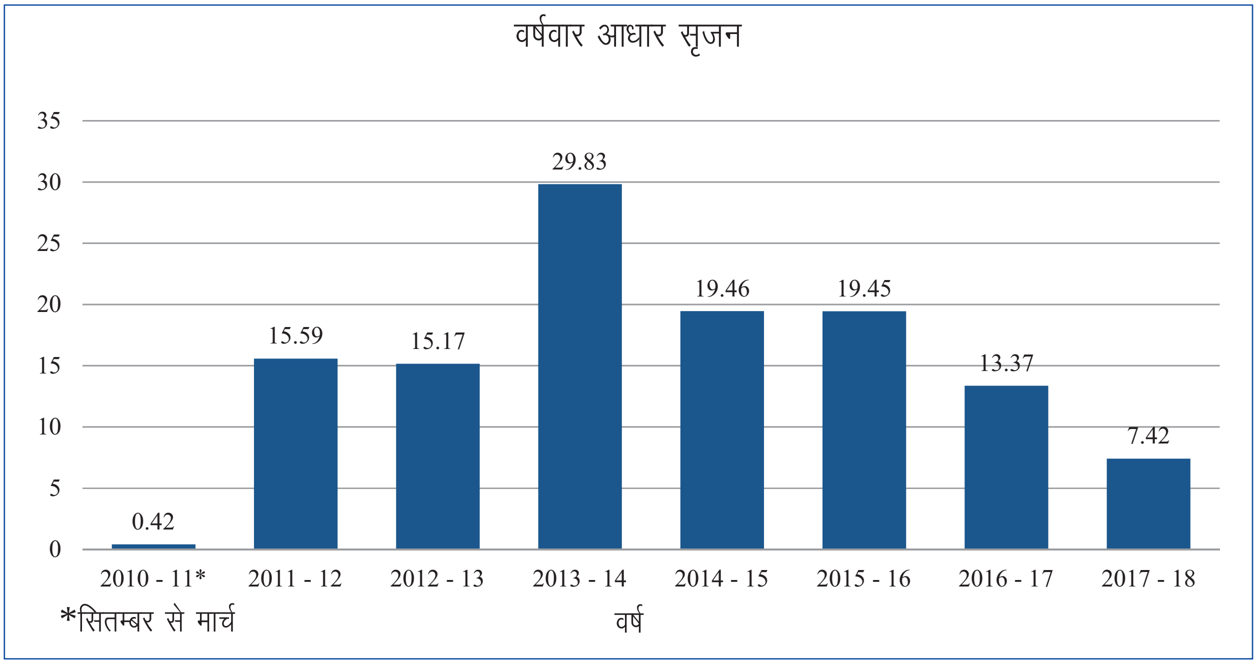

रेखाचित्र 2. संचयी आधार सृजन (सितम्बर 2010 – मार्च 2018)

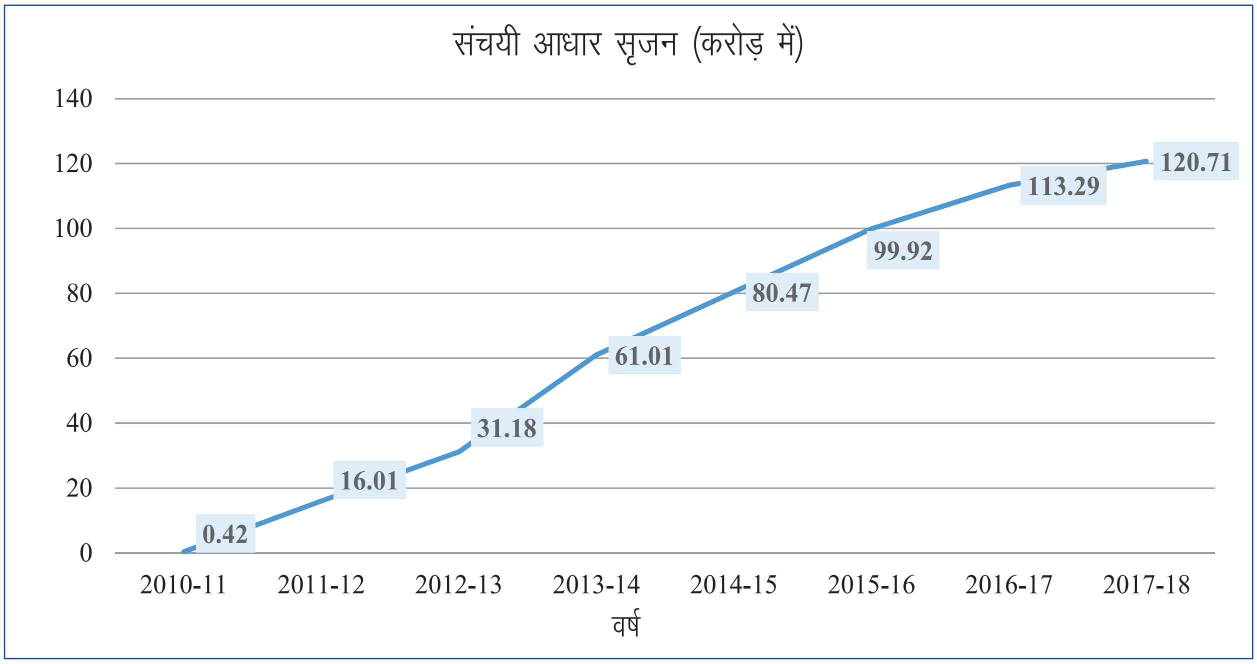

वर्ष 2017–18 के दौरान माहवार आधार सृजन का डाटा तालिका–2 में प्रदृश्य है।

तालिका 2. माहवार आधार सृजन (2017-18)

माह	माहवार आधार सृजन (लाख में)
अप्रैल–17	79.63
मई–17	94.10
जून–17	79.07
जुलाई–17	85.88
अगस्त–17	86.45
सितम्बर–17	74.06
अक्तूबर–17	40.79
नवम्बर–17	35.37
दिसम्बर–17	18.60
जनवरी–18	73.12
फरवरी–18	37.29
मार्च–18	37.97
योग	**742.33**

आधार पंजीकरण प्रगति के आकलन के लिए जारी किए गए आधार की संख्या की भारिता जनसंख्या के प्रतिशत से की जानी चाहिए। सरकारी जनसंख्या आंकड़े वर्ष 2011 के हैं। अतः औचित्यपरक आकलन के लिए अनुमानित जनसंख्या का उपलब्ध जनसंख्या आंकड़ों एवं जन्म तथा मृत्यु की दर के अनुरूप गणन करना उचित होगा। यथा मार्च 2017 प्रेक्षित जनसंख्या लगभग 131.7 करोड़ है।

एक आधार संख्या केवल एक बार जारी की जाती है तथा इसे कभी पुनः जारी नहीं किया जाता है। तथापि, वास्तविक आधार धारकों की संख्या होने वाली मृत्युओं के कारण सदैव कम ही रहेगी। इसीलिए ''आधार – लाइव'' की अवधारणा की गई है ताकि जीवित आधार धारकों की संख्या का पता लग सके। यथा 31 मार्च 2018, लाइव आधार की संख्या 118 करोड़ है। यथा 31 मार्च 2018, लाइव आधार के सापेक्ष प्रेक्षित जनसंख्या का विवरण तालिका–3 में दर्शाया गया है तथा 31 मार्च 2018 को राज्य वार लाइव आधार की परिपूर्णता अनुलग्नक–3 में दर्शाई गई है।

तालिका 3. पंजीकरण सांख्यिकी

आयु वर्ग	वर्ष 2017 में प्रेक्षित जनसंख्या (करोड़ में)	आधार सृजन (करोड़ में)	आधार – लाइव (करोड़ में)	आधार–लाइव परिपूर्णता
समग्र	131.7	120.7	118.0	89.6 प्रतिशत
जनसंख्या 0 < 5 वर्ष	12.3	5.9	5.8	47.2 प्रतिशत
जनसंख्या 5 < 18 वर्ष	36.1	28.9	28.3	78.4 प्रतिशत

3.1.4 आधार डाटा अद्यतन

आधार संख्या किसी निवासी को जारी की जाने वाली एक जीवनपर्यन्त संख्या है। भाविपप्रा के डाटाबेस में निवासी के बॉयोमीट्रिक चित्रण के अलावा जनांकिक विवरण – निवासी का नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग एवं वैकल्पिक तौर पर मोबाइल नम्बर/ई–मेल का संग्रहण किया जाता है।

चूंकि जनांकिक विवरण किसी निवासी के जीवनकाल में उसके निवास परिवर्तन करने, मोबाइल नंबर बदलने, विवाह के बाद नाम परिवर्तित होने/करने इत्यादि के कारण समय के साथ बदलता है, और बॉयोमीट्रिक चित्रण में परिवर्तन या अद्यतन की जरूरत, बच्चों के 5 तथा 15 वर्ष की वयसीमा में पहुंचने अथवा किसी अपरिहार्य स्थिति में ही पड़ती है। तदनुसार, आधार से जुड़े जनांकिक एवं बॉयोमीट्रिक क्षेत्र का अद्यतन आवश्यक है, जिससे अधिप्रमाणन के उद्देश्य से डाटाबेस में संग्रहित सूचना की सटीकता सुनिश्चित की जा सके।

डाटा अद्यतन (अपडेट) करने की विधि

निवासियों को अपने आधार डाटा अपडेट के लिए निम्न दो माध्यम उपलब्ध हैं:

- **ऑनलाइन माध्यम से स्वयं सेवा अद्यतन पोर्टल (एसएसयूपी) :** यह एक ऑनलाइन तरीका है जिसमें समर्थित दस्तावेजों के साथ निवासी अपना डाटा अपडेट कर सकते हैं। इस सुविधा का उपयोग केवल वही निवासी कर सकते हैं, जो पहले ही अपने आधार में मोबाइल नंबर दर्ज करा चुके हैं।
- **स्थाई पंजीकरण केंद्र (पीईसी) जाकर :** निवासी किसी भी स्थाई पंजीकरण केंद्र जाकर अपना जनांकिक अथवा बॉयोमीट्रिक डाटा अपडेट करवा सकते हैं।

यथा 31 मार्च 2018, प्रारम्भ से लेकर अब तक कुल 13.79 करोड़ जनांकिक एवं 4.9 करोड़ बॉयोमीट्रिक डाटा अपडेट किए गए हैं। जनांकिक (स्वयं सेवा अद्यतन पोर्टल तथा स्थाई पंजीकरण केंद्र के माध्यम से) एवं बॉयोमीट्रिक अद्यतन में वर्ष 2012 से वर्षवार किए गए अपडेट तालिका 4 एवं रेखाचित्र 3 में प्रदृश्य हैं।

तालिका 4 : वर्षवार आधार अद्यतन

वर्ष	जनांकिक अद्यतन (लाख में)			बॉयोमीट्रिक अद्यतन (लाख में)
	स्वयं–सेवा अद्यतन पोर्टल के माध्यम से	स्थाई पंजीकरण केंद्र के माध्यम से	योग	
2012–13	0.26	0.23	0.49	0.07
2013–14	6.15	10.13	16.28	1.68
2014–15	28.81	38.16	66.97	8.70
2015–16	31.31	202.69	234	59.40
2016–17	58.97	358.00	416.97	155.40
2017–18	57.02	586.8	643.82	268.50
योग	**182.52**	**1196.01**	**1378.53**	**493.75**

रेखाचित्र 3. वर्षवार आधार अद्यतन

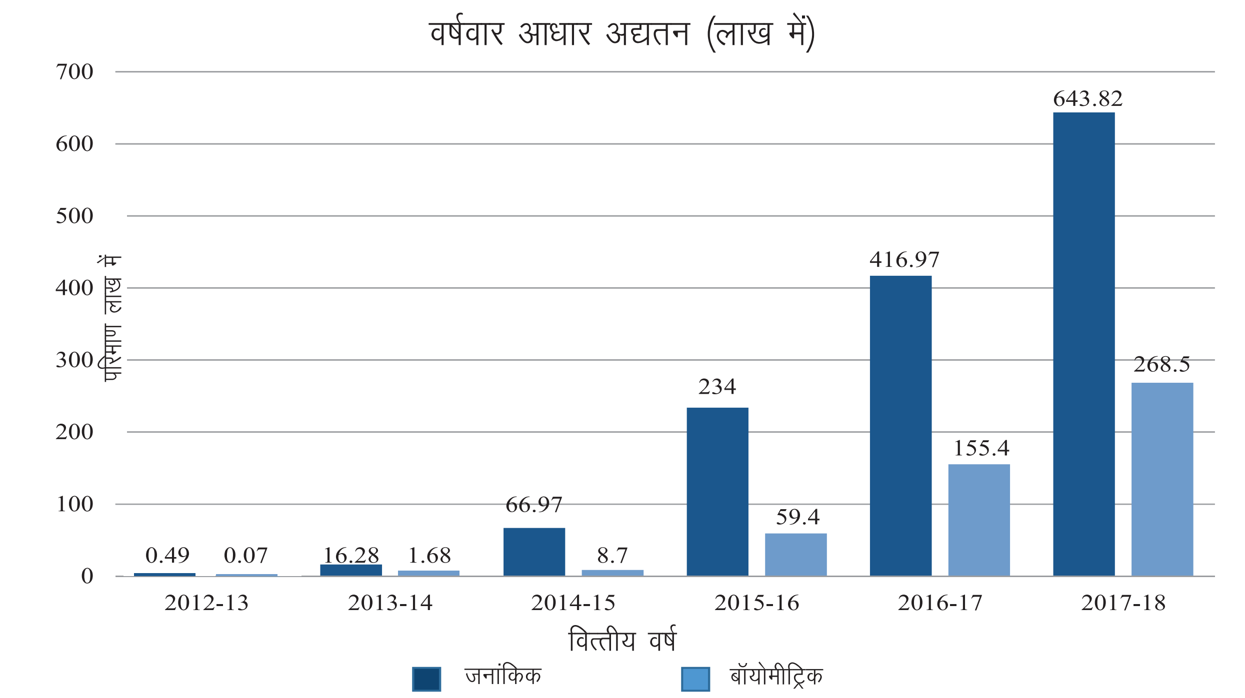

विभिन्न सेवाओं के लिए रजिस्ट्रारों को दिए जाने वाले प्रभार

भाविपप्रा पंजीकरण द्वारा आधार के सफल सृजन एवं अनिवार्य बॉयोमीट्रिक अद्यतन के लिए रजिस्ट्रारों को सहायता भुगतान करता है। अन्य प्रकार की अद्यतन सेवाओं के लिए उन्हें तालिका–5 में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निवासी से सामान्य प्रभार प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है –

तालिका 5. विभिन्न आधार पंजीकरण एवं अद्यतन सेवाओं के लिए प्रभार

क्र.सं.	सेवाएं	रजिस्ट्रारों को भुगतान की जाने वाली सहायता (रुपए में)	निवासी से वसूली जाने वाली अधिकतम फीस (रुपए में)*
1	सफल आधार सृजन पंजीकरण	50	शून्य
2	अनिवार्य बॉयोमीट्रिक अद्यतन (बच्चे की 5/15 वर्ष आयु पूरी होने पर)	25	शून्य
3	अन्य बॉयोमीट्रिक अद्यतन	शून्य	25
4	जनांकिक अद्यतन (किसी स्वरूप/किसी चैनल)	शून्य	25
5	ई–केवाईसी/आधार खोज/अन्य किसी टूल तथा ए–4 आकार में रंगीन प्रिंट आउट के लिए	शून्य	20
6	ई–केवाईसी/आधार पता करने/अन्य किसी टूल तथा ए–4 आकार में काले–सफेद प्रिंट आउट के लिए	शून्य	10
7	बेस्ट फिंगर डिटेक्शन (बीएफडी)/स्थिति जांच	शून्य	शून्य

* जीएसटी यथा लागू

3.2 अधिप्रमाणन परिव्यवस्था

आधार अधिप्रमाणन ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आधार संख्या संबंधित अन्य विवरण (जनांकिक/ बॉयोमीट्रिक/ ओटीपी) भाविपप्रा के केंद्रीय पहचान डाटा निधान को सत्यापन के लिए भेजी जाती है। केंद्रीय पहचान डाटा निधान प्रस्तुत डाटा का मिलान उपलब्ध डाटा से करता है तथा तदनुसार 'हां/नहीं' अथवा ई–केवाईसी, जैसी जरूरत हो, प्रत्युत्तर देता है।

अधिप्रमाणन का उद्देश्य निवासी को उसकी पहचान प्रमाणित करने की सुविधा प्रदान करना तथा बाधाविहीन सेवा, सहायिकी एवं लक्षित लाभ के लिए सेवा प्रदाता को यह पुष्टि करना है कि निवासी 'वही है जो वह कह रहा है'। भाविपप्रा ने औपचारिक रूप से फिंगरप्रिंट आधारित ऑनलाइन अधिप्रमाणन 07 फरवरी, 2012 से तथा पुतली एवं एकल समय पिन – ओटीपी – आधारित अधिप्रमाणन एवं ई–केवाईसी सेवाएं 24 मई 2013 से प्रारम्भ की थीं।

तदनन्तर, सेवा परिदान के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं जैसे जन वितरण प्रणाली, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, एलपीजी सहायिकी एवं बॉयोमीट्रिक उपस्थिति व्यवस्था का आधार के साथ एकीकरण किया गया। ई–केवाईसी सेवाएं विभिन्न प्रकार की सरकारी अनुप्रयोगों, जैसे जीवन प्रमाण, आय कर रिटर्न तथा अन्य अनेक सेक्टरों, जैसे बैंकिंग, बीमा तथा टेलीकॉम इत्यादि के लिए प्रदान की जा रही हैं। आधार ई–केवाईसी सेवा कागजविहीन केवाईसी उपलब्ध कराती है तथा इससे बार–बार केवाईसी, कागजी साज–संभाल व भंडारण की लागत तथा फर्जी दस्तावेजों के जोखिम से बचा जा सकता है। आधार ई–केवाईसी एक वास्तविक समय प्रकिया है तथा यह सेवा प्रदाताओं के लिए निवासियों को त्वरित सेवा दे पाना संभव बना देती है।

3.2.1 अधिप्रमाणन सहभागी

भाविपप्रा अधिप्रमाणन एवं ई–केवाईसी की सेवाएं अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी (एयूए), ई–केवाईसी प्रयोक्ता एजेंसी (केयूए) तथा अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी (एएसए) के माध्यम से प्रदान करता हैं, इनकी नियुक्ति आधार (अधिप्रमाणन) विनियम 2016 के विनियम–12 के अनुरूप की जाती है।

1. **अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी (एयूए) :** अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी वह अनुरोधी एकक है, जो भाविपप्रा द्वारा उपलब्ध कराई गई 'हां/नहीं' अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करता है। अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी सरकारी/सार्वजनिक/भारत में पंजीकृत निजी विधिक एजेंसी होती है, जो आधार अधिप्रमाणन का उपयोग कर निवासियों को सेवाएं उपलब्ध कराती है। एक अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी एक अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी के माध्यम से (या स्वयं अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी बनकर अथवा किसी विद्यमान अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी की सेवाओं का उपयोग कर) सुरक्षित प्रोटोकॉल के जरिए भाविपप्रा के डाटा केंद्र/केंद्रीय पहचान डाटा निधान से जुड़ी होती है। यथा 31 मार्च 2018, कुल कार्यशील अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसियों की संख्या 310 है। अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसियों ने स्थापना के बाद से 31 मार्च 2018 तक 501.98 करोड़ ई–केवाईसी संव्यवहार समेत 1816.10 करोड़ अधिप्रमाणन किए हैं।

2. **ई–केवाईसी प्रयोक्ता एजेंसी (केयूए) :** ई–केवाईसी प्रयोक्ता एजेंसी (केयूए) वह अनुरोधी एकक है, जो एक अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी होने के साथ ही प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवाई गई ई–केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करती है। भाविपप्रा ई–केवाईसी सेवा प्रदान करता है, जिससे कोई भी आधार संख्या धारक निवासी भाविपप्रा के पास उपलब्ध जनांकिक सूचना तथा फोटो के आधार पर ऑनलाइन, सुरक्षित, ऑडिटयोग्य स्वरूप में अपनी सुस्पष्ट सहमति के साथ अपना अधिप्रमाणन कर सकता है। यथा 31 मार्च 2018, कुल 255 ई–केवाईसी प्रयोक्ता एजेंसियां कार्य कर रही हैं तथा अब तक 501.98 ई–केवाईसी संव्यवहार निष्पादित किए गए हैं।

3. **अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी (एएसए) :** यह वह एजेंसी है, जो सुरक्षित नेटवर्क संयोजकता सुनिश्चयन के लिए आवश्यक अवसंरचना तथा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवाई गई अधिप्रमाणन सुविधा के उपयोग से अधिप्रमाणन सेवाएं प्रदान करने से संबद्ध सेवाएं अनुरोधी एजेंसी को उपलब्ध करवाता है। अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी ही अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त अधिप्रमाणन अनुरोध को केंद्रीय पहचान डाटा निधान को भेजती है। ये सुरक्षित माध्यम से केंद्रीय पहचान डाटा निधान के साथ संयोजन की भूमिका का निर्वहन करती हैं। अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी केंद्रीय पहचान डाटा निधान से प्राप्त प्रत्युत्तर को अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी को अग्रेषित कर देती है। यथा 31 मार्च 2018, कार्यशील अधिप्रमाणन सेवा एजेंसियों की संख्या 26 है।

आधार–शक्त सेवाएं उपलब्ध होने से बड़ी संख्या में केंद्र एवं राज्य सरकार के अनेक विभागों ने अनुप्रयोग तैयार कर आवश्यक अवसंरचना का निर्माण किया है जिससे सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं में सेवा परिदान, उत्तरदेयता एवं पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए आधार के उपयोग की पूर्ण संभावनाओं का लाभ मिल सके। भाविपप्रा आधार–शक्त अनुप्रयोगों एवं अवसंरचना विकसित करने में मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों को जरूरी सहयोग देकर आधार–शक्त संव्यवहार बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। भाविपप्रा राज्य सरकारों की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना में विद्यमान प्रक्रियाओं का पुनः अभियांत्रिकरण कर उनमें आधार एकीकरण एवं पंजीकरण किटों की अधिप्राप्ति के लिए सहायता भी प्रदान करता है। योजना प्रारम्भ होने के पश्चात् 31 मार्च 2018 तक 24 राज्यों, 5 संघ शासित क्षेत्रों, 1 विभाग तथा 2 केंद्रीय मंत्रालयों को 140.29 करोड़ रुपए की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान की जा चुकी है।

3.2.2 आधार अधिप्रमाणन सेवा

आधार अधिप्रमाणन सेवा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आधार संख्या संबंधित अन्य विवरण (जनांकिक/बॉयोमीट्रिक/ओटीपी) भाविपप्रा के केंद्रीय पहचान डाटा निधान को सत्यापन के लिए भेजी जाती है। केंद्रीय पहचान डाटा निधान प्रस्तुत डाटा का मिलान उपलब्ध डाटा से करता है तथा तदनुसार 'हां/नहीं' अथवा ई–केवाईसी, जैसी जरूरत हो, प्रत्युत्तर देता है। अधिप्रमाणन का उद्देश्य निवासी को उसकी पहचान प्रमाणित करने की सुविधा प्रदान करना तथा बाधाविहीन सेवा, सहायिकी एवं लक्षित लाभ के लिए सेवा प्रदाता को यह पुष्टि करना है कि निवासी 'वही है जो वह कह रहा है'।

मनरेगा कामगार मजदूरी प्राप्त करने के लिए आधार अधिप्रमाणन सेवा का उपयोग करते हुए

अधिप्रमाणन के प्रकार

भाविपप्रा अधिप्रमाणन के लिए निम्न दो प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है –

1. **'हां/नहीं' अधिप्रमाणन :** भाविपप्रा ने 'हां/नहीं' अधिप्रमाणन सुविधा फरवरी 2012 में प्रारम्भ की थी जिसके अंतर्गत अनुरोधी एकक आधार संख्या एवं आवश्यक जनांकिक डाटा तथा/अथवा ओटीपी तथा/अथवा आधार धारक की कूटकृत बॉयोमीट्रिक सूचना भेजता है। भाविपप्रा प्रेषित डाटा का मिलान केंद्रीय पहचान भंडारण निधान में संग्रहित डाटा से कर 'हां/नहीं' में प्रत्युत्तर देकर अधिप्रमाणन करता है।

तालिका 6. वर्षवार एवं संचयी अधिप्रमाणन संव्यवहार

वर्ष	अधिप्रमाणन संव्यवहार (करोड़ में)	संचयी संव्यवहार (करोड़ में)
2012–13	0.24	0.24
2013–14	6.45	6.69
2014–15	34.04	40.73
2015–16	109.81	150.54
2016–17	403.64	554.18
2017–18	1261.92	1816.10

रेखाचित्र 4. वर्षवार आधार अधिप्रमाणन संव्यवहार

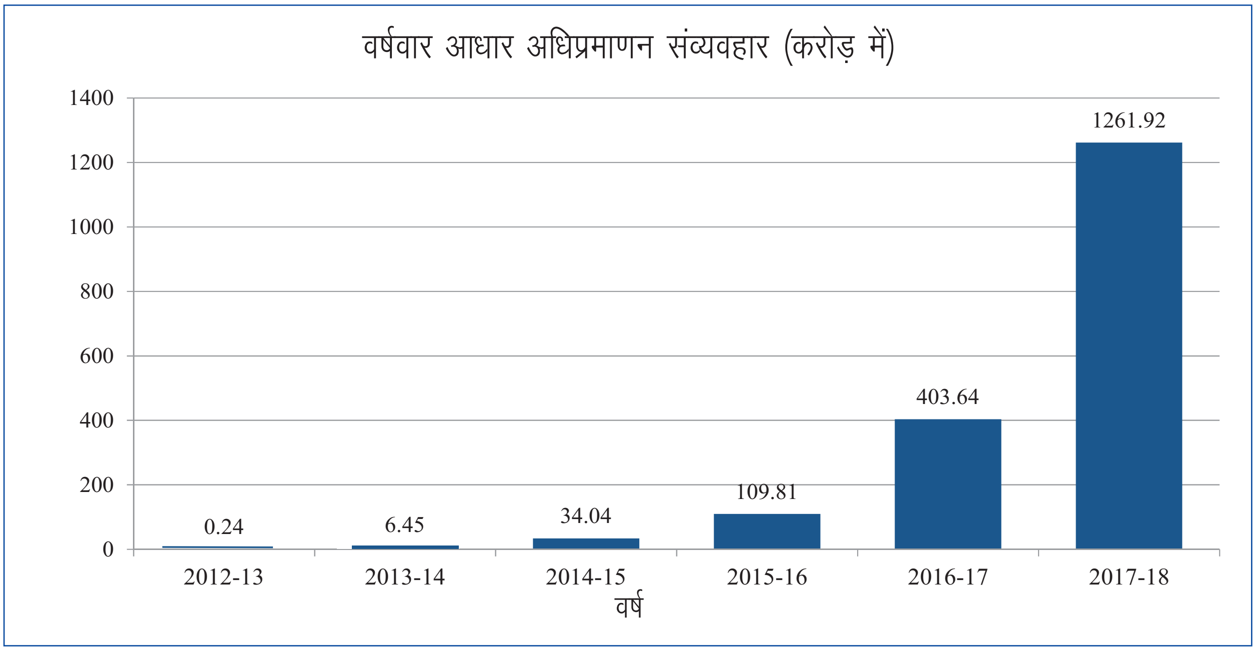

रेखाचित्र 5. संचयी अधिप्रमाणन संव्यवहार

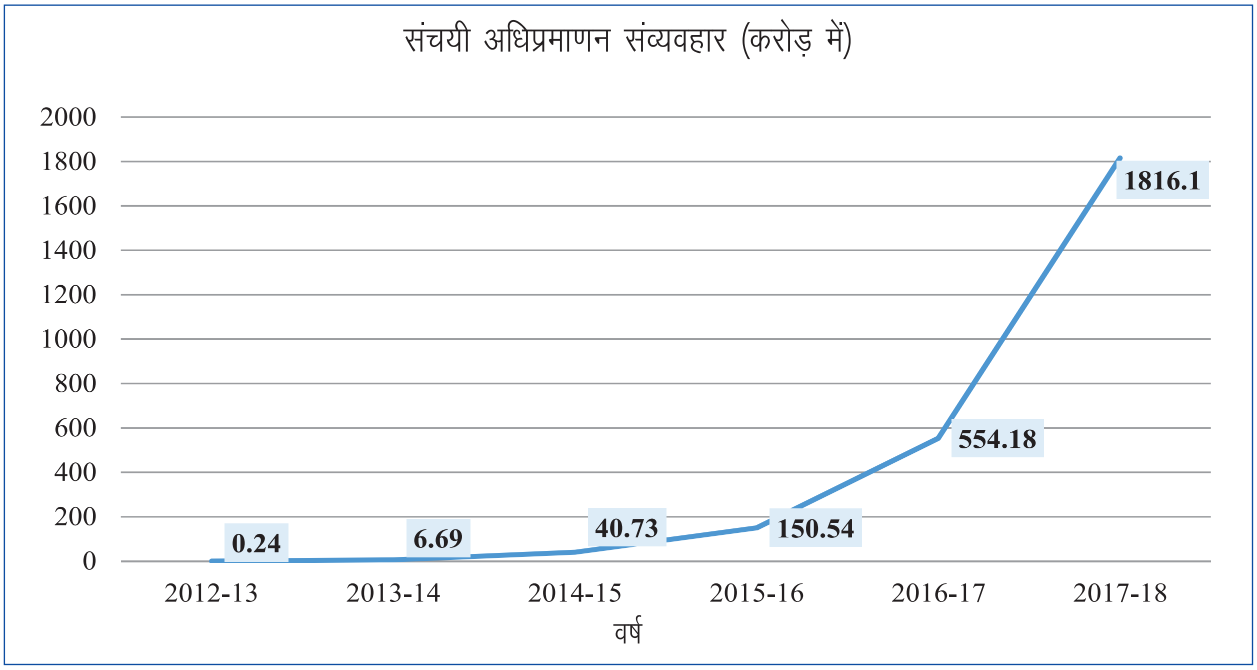

तालिका 7. माहवार अधिप्रमाणन संव्यवहार (2017-18)

माह	अधिप्रमाणन संव्यवहार (करोड़ में)
अप्रैल–17	46.39
मई–17	59.14
जून–17	81.45
जुलाई–17	96.58
अगस्त–17	103.92
सितम्बर–17	147.99
अक्तूबर–17	146.26
नवम्बर–17	136.18
दिसम्बर–17	112.30
जनवरी–18	109.36
फरवरी–18	102.64
मार्च–18	119.71
योग	1261.92

2. **ई–केवाईसी अधिप्रमाणन** : भाविप्रा ने ई–केवाईसी अधिप्रमाणन की सुविधा मई 2013 में प्रारम्भ की थी जिसके अंतर्गत अनुरोधी एकक आधार संख्या एवं आवश्यक जनांकिक डाटा तथा/अथवा ओटीपी तथा/अथवा आधार धारक की कूटकृत बॉयोमीट्रिक सूचना भेजता है। भाविप्रा प्रेषित डाटा का मिलान केंद्रीय पहचान भंडारण निधान में संग्रहित डाटा से कर प्रत्युत्तर में कूट डिजिटल हस्ताक्षरित ई–केवाईसी अधिप्रमाणन करता है।

तालिका 8. वर्षवार एवं संचयी ई-केवाईसी संव्यवहार

वर्ष	ई–केवाईसी संव्यवहार (करोड़ में)	संचयी संव्यवहार (करोड़ में)
2013–14	0.01	0.01
2014–15	2.98	2.99
2015–16	5.43	8.42
2016–17	108.60	117.02
2017–18	384.96	501.98

रेखाचित्र 6. वर्षवार ई-केवाईसी संव्यवहार

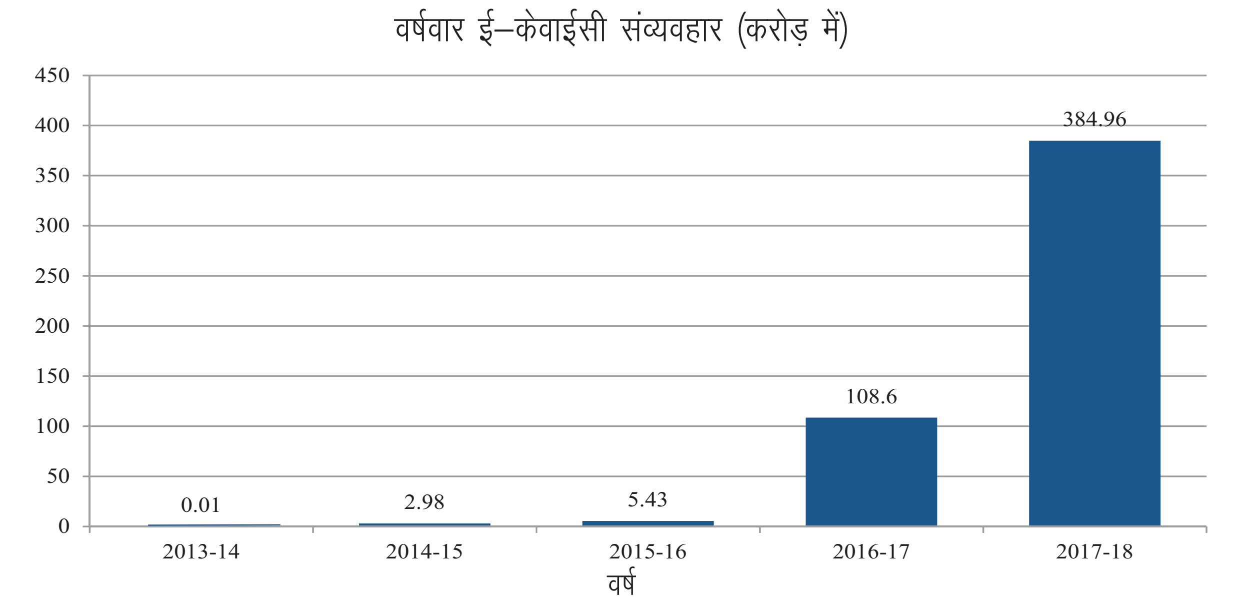

रेखाचित्र 7. संचयी ई-केवाईसी संव्यवहार

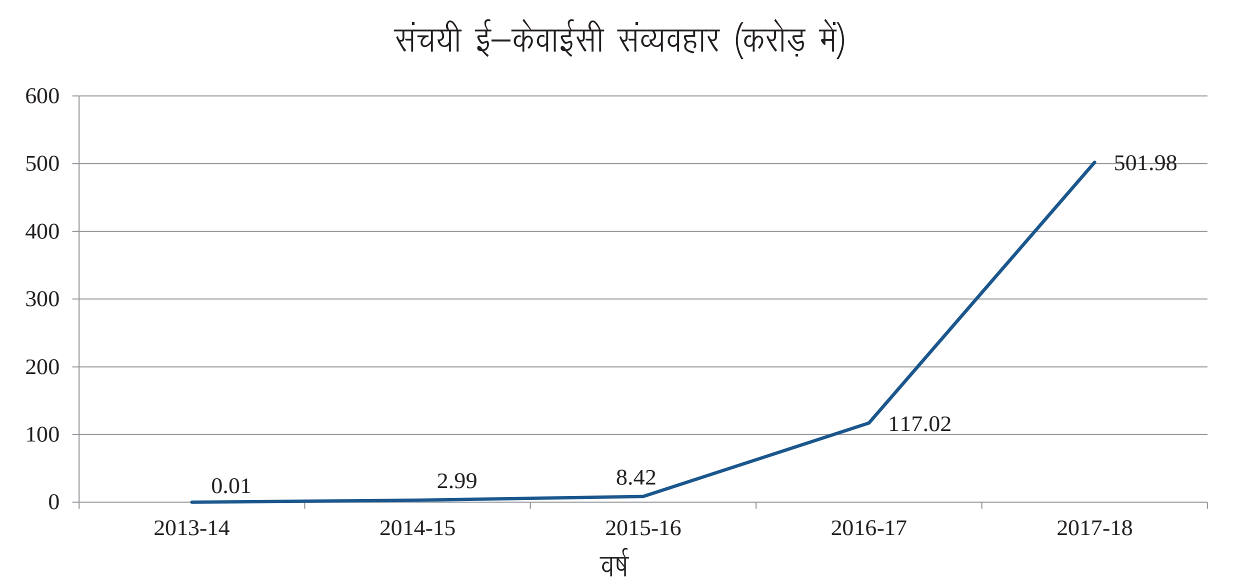

तालिका 9. माहवार ई-केवाईसी संव्यवहार (2017-18)

माह	ई–केवाईसी संव्यवहार (करोड़ में)
अप्रैल–17	16.52
मई–17	22.58
जून–17	36.79
जुलाई–17	42.61
अगस्त–17	37.20
सितम्बर–17	35.73
अक्तूबर–17	37.22
नवम्बर–17	35.74
दिसम्बर–17	29.87
जनवरी–18	27.13
फरवरी–18	26.46
मार्च–18	37.11
योग	384.96

अधिप्रमाणन की विधियां

प्राधिकरण के बतौर भाविपप्रा केवल आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 तथा प्राधिकरण के विनिर्दिष्ट दिशा–निर्देशों के अनुरूप अनुरोधी एकक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे गए अधिप्रमाणन अनुरोध ही स्वीकार करता है। अधिप्रमाणन निम्न विधियों से किया जा सकता है –

1. **जनांकिक अधिप्रमाणन :** आधार संख्या धारक से प्राप्त आधार संख्या और जनांकिक जानकारी का मिलान केंद्रीय डाटा पहचान निधान में दर्ज आधार संख्या धारक की जनांकिक जानकारी से किया जाता है।

2. **एकल समय पिन आधारित अधिप्रमाणन :** सीमित समय वैधता के साथ एक एकल समय पिन (ओटीपी) आधार संख्या धारक के पंजीकृत मोबाइल नंबर या ई–मेल पर भेजा जाता है या अन्य उपयुक्त माध्यमों से उत्पन्न किया जाता है। आधार संख्या धारक को अधिप्रमाणन के लिए अपने आधार नंबर के साथ यह ओटीपी देना होता है और इस ओटीपी का मिलान प्राधिकरण द्वारा दिए गए ओटीपी से कर अधिप्रमाणन किया जाता है।

3. **बॉयोमीट्रिक–आधारित अधिप्रमाणन :** आधार संख्या धारक द्वारा प्रस्तुत आधार संख्या और बॉयोमीट्रिक जानकारी का मिलान सीआईडीआर में दर्ज आधार नंबर धारक की बॉयोमीट्रिक जानकारी से किया जाता है। इसके लिए दी गई बॉयोमीट्रिक जानकारी, जो फिंगरप्रिंट–आधारित या आंखों की पुतलियों आधारित या अन्य बॉयोमीट्रिक आधारित हो, मिलान सीआईडीआर में संग्रहित बॉयोमीट्रिक जानकारी से किया जाता है।

4. **बहु–कारक अधिप्रमाणन :** अधिप्रमाणन के लिए दो या अधिक विधियों का एक संयोजन किया जा सकता है।

अनुरोधी एकक द्वारा अधिप्रमाणन के लिए उपलब्ध किसी भी विधि अथवा सुरक्षा में बढ़ोतरी के लिए विविध अधिप्रमाणन विधियों का उपयोग व्यावसायिक कार्यकलाप/संव्यवहार के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार किया जा सकता है।

अपवाद संचलन

भाविपप्रा द्वारा अधिप्रमाणन के लिए जनांकिक, बॉयोमीट्रिक (अंगुलियों के निशान तथा आंख की पुतली) एवं ओटीपी तथा विविध अधिप्रमाणन उपागम उपलब्ध करवाए गए हैं। अनुरोधी

ग्रामवासी बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने के लिए बॉयोमीट्रिक अधिप्रमाणन करते हुए

एकक अधिप्रमाणन के लिए ऐसे उपागमों में से किसी का भी उपयोग कर सकता है।

इसके अलावा, आधार (अधिप्रमाणन) 2016 के विनियम 14(1)(i) के अनुसार सभी अनुरोधी एककों से अपवाद संचलन तंत्र व्यवस्था तथा बैक–अप पहचान अधिप्रमाणन तंत्र व्यवस्था का कार्यान्वयन करने की अपेक्षा की गई है, जिससे आधार संख्या धारक को निर्बाध अधिप्रमाणन सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सके।

3.2.3 नई पहल

1- **पंजीकृत डिवाइस :** भाविपप्रा द्वारा प्रत्येक अधिप्रमाणन अनुरोध के लिए पंजीकृत डिवाइस का उपयोग करने की अनिवार्यता है। पंजीकृत डिवाइस से बॉयोमीट्रिक डाटा पर डिवाइस/पंजीकृत डिवाइस सर्विस में ही प्रदान किए गए कोड (कुंजी) से हस्ताक्षरित की जाती हैं, जिससे इनकी जीवंत प्राप्ति सुनिश्चित हो पाती है। पंजीकृत डिवाइस सर्विस में मूल अनुप्रयोग वैयक्तिक पहचान दर्ज कर वापस आने से पूर्व कूटित हो जाता है। पंजीकृत डिवाइस में प्राप्त किए गए बॉयोमीट्रिक का आवरण, बॉयोमीट्रिक हस्तांक्षन तथा कूटकरण इसके भीतर ही किया जाता है। इसलिए आधार अधिप्रमाणन व्यवस्था में पंजीकृत डिवाइस व्यवस्था लागू किए जाने से भंडारित या एकत्रित बॉयोमीट्रिक तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त किए गए बॉयोमीट्रिक को बार–बार उपयोग करने की संभावना समाप्त हो जाती है। यथा 31 मार्च 2018, उत्पादन परिवेश में एपीआई 2.0 का उपयोग करते हुए 48.25 लाख पंजीकृत उपकरणों से अधिप्रमाणित लेनदेन किया गया है।

2- **बॉयोमीट्रिक लॉकिंग :** बॉयोमीट्रिक के दुरुपयोग की संभावना को समाप्त करने तथा प्रत्येक बॉयोमीट्रिक को संवर्धित सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भाविपप्रा ने बॉयोमीट्रिक लॉकिंग की सुविधा प्रदान की है। इससे कोई भी निवासी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपना बॉयोमीट्रिक लॉक/अनलॉक कर सकता है। निवासी आधार अधिप्रमाणन के लिए जब चाहे अपना बॉयोमीट्रिक अनलॉक कर उपयोग के बाद इसे फिर से लॉक कर निश्चिंत हो सकता है। बॉयोमीट्रिक लॉक केवल निर्दिष्ट अवधि के लिए ही अनलॉक होता है। अधिक सुविधा के लिए भाविपप्रा ने बॉयोमीट्रिक लॉकिंग संबंधी सेवाएं अपने नए विकसित "एम आधार" मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध कराई हैं।

3.3 प्रचालन परिव्यवस्था

आधार संख्या का सम्प्रेषण निवासियों को आधार पत्रों के माध्यम से किया जाता है। अद्यतन आधार पत्र उन निवासियों को भेजा जाता है, जो अपनी सूचना अद्यतन करते हैं। यदि किसी कारण से निवासी को आधार पत्र प्राप्त नहीं होता है तो उसे मुद्रित पत्र पुनः भेजा जाता है।

3.3.1 आधार पत्र मुद्रण तथा परिदान

- भाविपप्रा का प्रचालन प्रभाग आधार पत्रों का मुद्रण तथा निवासियों को उनके परिदान का कार्य करता है। आधार सृजन के पश्चात् उसका मुद्रण करके एक निश्चित समय सीमा में आधार पत्र निवासी को भेज दिया जाता है। प्रत्येक आधार पत्र मुद्रित लेमिनेटेड दस्तावेज होता है, जिसमें निवासी का फोटो, जन्म तिथि, लिंग, जनांकिक सूचना तथा आधार संख्या (यूआईडी) एवं त्वरित प्रतिक्रिया कोड (क्यूआर) होता है।
- भाविपप्रा का प्रचालन प्रभाग अत्यंत विशाल एवं अत्यधिक जटिल परिव्यवस्था है, जिसमें पूर्णतः विविध डाटा मुद्रण कार्य किए जाते हैं तथा यह विश्वसनीयता एवं सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक उच्च स्तर का है।
- आधार पत्रों के मुद्रण कार्य के लिए भाविपप्रा के पास विभिन्न स्थानों पर तीन मुद्रण एजेंसियां हैं। वर्तमान में, भाविपप्रा की आधार पत्र मुद्रण क्षमता 13 विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में 7 लाख आधार पत्र प्रति दिन की है।
- निवासियों द्वारा पंजीकरण के समय दिए गए पते पर ही आधार पत्र परिदान के लिए डाक विभाग परिदान सहभागी हैं।
- प्रत्येक नए पंजीकरण एवं अद्यतन के लिए भाविपप्रा द्वारा आधार पत्र भिजवाए जाते हैं। स्थापना के पश्चात् से 31 मार्च 2018, तक कुल 119 करोड़ 91 लाख 97 हजार 175 आधार पत्र मुद्रित करके इंडिया पोस्ट के माध्यम से प्रथम श्रेणी डिजिटली फ्रेंक्ड आर्टिक्लस के रूप में प्रेषित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, निवासी अपनी आधार सूचना की अद्यतन जानकारी ऑनलाइन अथवा किसी भी पंजीकरण केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। कुल 11 करोड़ 30 लाख 7 हजार 614 आधार पत्र (ई–मेल/मोबाइल से अद्यतन के अलावा) निवासियों को इंडिया पोस्ट के माध्यम से प्रथम श्रेणी डिजिटली फ्रेंक्ड आर्टिकल्स के रूप में प्रेषित किए जा चुके हैं।

3.3.2 ई–आधार

- भाविपप्रा द्वारा अपनी वेबसाइट www.uidai.gov.in के माध्यम से पीडीएफ फॉर्मेट में आधार पत्र डाउनलोड करने की सुविधा ई–आधार पोर्टल पर नवंबर 2012 से उपलब्ध कराई गई है।
- ई–आधार एक प्रकार से आधार संख्या का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप है, जिसकी स्वीकृति अधिप्रमाणन एवं अन्य शर्तों, विनियमों में किए गए विनिर्देशनों के अनुसार, किसी भी उद्देश्य से आधार संख्या धारक की पहचान के तौर पर होती है। ई–आधार डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित एवं सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, जिसकी वैधता एवं अनुप्रयोग मुद्रित पत्र के समान ही होता है और दोनों समान रूप से मान्य हैं। अतः ई–आधार मान्य पहचान प्रमाण के तौर पर स्वीकार्य है। ई–आधार की वैधता पर जागरुकता का प्रसार आवश्यक आईईसी कार्यकलापों द्वारा सभी माध्यमों पर किया गया है। 31 मार्च 2018 तक लगभग 85.69 करोड़ ई–आधार डाउनलोड किए गए हैं।

3.4 प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणन परिव्यवस्था

आधार जैसे परिवर्तनकारी और व्यापक राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम जिसने इस ग्रह के प्रत्येक छठे व्यक्ति के जीवन को छुआ है, को ध्यान में रखते हुए यह स्वतः स्वाभाविक है कि पंजीकरण/अद्यतन के दौरान संग्रहित किए जाने वाले डाटा की गुणवत्ता पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए। साथ ही, यह भी समान रूप से महत्वपूर्ण है कि वे व्यक्ति जिन्हें डाटा एकत्रण की जिम्मेदारी दी गई है वे समुचित रूप से प्रशिक्षित तथा प्रमाणित हों। भाविपप्रा ने सावधानीपूर्वक कार्य करते हुए विभिन्न

परिव्यवस्था हितधारकों के सहयोग से प्रशिक्षण, परीक्षण तथा प्रमाणन परिव्यवस्था का निर्माण किया है। ऐसी परिव्यवस्था में (1) विषय वस्तु विकास एजेंसी तथा (2) परीक्षण एवं प्रमाणन एजेंसी शामिल हैं, जिनका नियोजन एवं प्रबंधन भाविपप्रा मुख्यालय का प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणन प्रभाग करता है।

3.4.1 प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणन कार्यकलाप

भाविपप्रा द्वारा आधार पंजीकरण/अद्यतन प्रक्रिया के लिए केवल प्रमाणित प्रचालकों, सुपरवाइजरों तथा बाल पंजीकरण लाइट क्लाइंट प्रचालकों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। भाविपप्रा की प्रशिक्षण तथा प्रमाणन एजेंसी पूरे देश में विनिर्दिष्ट परीक्षण केंद्रों में पंजीकरण स्टॉफ की प्रमाणन परीक्षा आयोजित करती है। भाविपप्रा अनुकूलन, पुनश्चर्या प्रशिक्षण, जिला स्तर अधिकारी (डीएलओ)/पंचायत राज संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा महती प्रशिक्षण एवं प्रमाणन शिविर द्वारा परिव्यवस्था के सहभागियों को उनकी भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों के साथ ही पंजीकरण केंद्रों की स्थापना, पंजीकरण उपकरणों के उपयोग, उत्तम व्यवहार, पंजीकरण प्रक्रिया में बदलाव एवं अद्यतन इत्यादि प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण प्रदान करता है। पंजीकरण परिव्यवस्था से संबंधित प्रशिक्षण एवं परीक्षण का सार–संक्षेप भाविपप्रा की वेबसाइट पर विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है।

इसके अलावा, भाविपप्रा द्वारा सेवा परिदान के लिए आधार का उपयोग बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी संगठनों में सरकारी कर्मियों के लिए आधार बीजन (सीडिंग), अधिप्रमाणन एवं ई–केवाईसी संबंधित मास्टर प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं।

भाविपप्रा द्वारा 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक उपयोग में लाई गई प्रशिक्षण परिदान विधियों के विभिन्न प्रकारों का सारांश तालिका 10 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 10. प्रदत्त प्रशिक्षण का विवरण (2017–18)

क्र. सं.	प्रशिक्षण का स्वरूप	प्रतिभागी	सत्रों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1	सीडिंग, अधिप्रमाणन एवं ई–केवाईसी के लिए मास्टर प्रशिक्षण	सरकारी कर्मी तथा अधिप्रमाणन एजेंसी कर्मचारी	188	9663
2	अनुकूलन कार्यक्रम	नए/अप्रशिक्षित पंजीकरण कर्मचारी	300	10999
3	पुनश्चर्या कार्यक्रम	विद्यमान पंजीकरण कर्मचारी	152	9487
4	पीआरआई/डीएलओ कार्यक्रम	पंचायती राज संस्थान कर्मचारी तथा जिला स्तर अधिकारी	62	1732
5	महती प्रशिक्षण तथा प्रमाणन कार्यक्रम	पंजीकरण कर्मचारी बनने के इच्छुक सरकारी कर्मी	506	34678
योग			1208	66559

यथा 31 मार्च 2018, भाविपप्रा ने परीक्षण एवं प्रमाणन एजेंसियों की सहभागिता से 7.6 लाख पंजीकरण प्रचालकों, सुपरवाइजरों तथा सीईएलसी प्रचालकों का प्रमाणन किया है जिनमें निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 12,000, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के 5000 तथा डाक विभाग के 24,000 वे कर्मचारी भी शामिल हैं, जिनको उनके संबंधित विभागों द्वारा वर्ष 2017–18 में आधार पंजीकरण कर्मचारी के बतौर नामित किया गया था।

3.5 ग्राहक सम्पर्क प्रबंधन

ग्राहक संपर्क प्रबंधन भाविपप्रा के लिए मूल महत्व का कार्य रहा है। आधार (पंजीकरण एवं अद्यतन) विनियम, 2016 की धारा 32, अध्याय 4 (शिकायत निवारण तंत्र व्यवस्था) में प्राधिकरण (भाविपप्रा) को निवासियों द्वारा की जाने वाली पूछताछ एवं शिकायतों के निवारण के समाधान के लिए केंद्रीय सम्पर्क बिंदु की तरह एक सम्पर्क केंद्र की स्थापना करनी है जहां टोल फ्री नम्बरों तथा/अथवा ई–मेल, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट हो, के माध्यम से निवासियों को सम्पर्क की सुविधा उपलब्ध हो।

ऐसे सम्पर्क केंद्र में –

- निवासियों द्वारा की जाने वाली पूछताछ अथवा शिकायतें दर्ज करने की व्यवस्था की जाएगी तथा निवासियों को मामले का समाधान होने तक के लिए एक विशिष्ट संदर्भ संख्या उपलब्ध कराई जाएगी।
- सहायता यथासंभव क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध करवाई जाएगी।
- निवासियों से उनकी पहचान के संबंध में प्राप्त किसी भी सूचना की संरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
- प्राधिकरण द्वारा इस उद्देश्य से निर्धारित की गई प्रक्रियाओं तथा प्रक्रिया विधि का अनुपालन किया जाएगा।

भाविपप्रा द्वारा उपर्युक्त के अनुसरण में निवासियों के लिए उल्लिखित प्रावधान किए गए हैं:

3.5.1 आधार सहायित सेवाएं – आधार सम्पर्क केंद्र

भाविपप्रा द्वारा आधार जीवन क्रम एवं संबद्ध सेवाओं के संबंध में निवासियों द्वारा की जाने वाली पूछताछ तथा शिकायतों के निवारण में सहायता के लिए आधार सम्पर्क केंद्र अथवा सम्पर्क केंद्र स्थापित किए गए हैं। आधार सम्पर्क केंद्रों का प्रमुख उद्देश्य निम्न है –

- अखिल भारतीय स्तर पर सम्पर्क साधने के लिए टोल फ्री नम्बर तथा ई–मेल उपलब्ध करवाना, जिसके उपयोग से निवासी आधार सम्पर्क केंद्र से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।
- भारत के प्रत्येक भाग से की जाने वाली पूछताछ एवं शिकायतों के लिए बहु क्षेत्रीय भाषी सहायता उपलब्ध करवाना।
- आधार सम्पर्क केंद्र में फोन करने वाले निवासियों के लिए इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम (आईवीआरएस) उपलब्ध कराना।
- निवासियों को उनकी इच्छानुसार आधार सम्पर्क केंद्र कर्मियों के साथ बात करने की सुविधा प्रदान करना।
- निवासी अपनी शिकायतें भाविपप्रा के रेजिडेंट पोर्टल के माध्यम से भी दर्ज करा सकते हैं।
- निवासियों को उनकी पूछताछ एवं शिकायतों के निवारण में सहायता के लिए समान ग्राहक सम्पर्क प्रबंधन (सीआरएम) अनुप्रयोग का सृजन तथा रखरखाव करना।

आधार सम्पर्क केंद्र की अवसंरचना तथा प्रौद्योगिकी

वर्तमान में, आधार सम्पर्क केंद्र में निम्न सुविधाएं हैं –

- **टोल फ्री नम्बर 1947 :** टोल फ्री नम्बर 1947 का उपयोग भारत में कहीं से भी किया जा सकता है। दूरसंचार विभाग ने शार्ट कोड '1947' श्रेणी 1 में भाविपप्रा को टोल फ्री नम्बर आबंटित किया है।
- **सम्पर्क केंद्र अवसंरचना :** सम्पर्क केंद्र अवसंरचना ट्रंक लाइनों, पीबीएक्स साल्यूशन, आईवीआरएस, ऑटोमैटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूटर (कॉल सेंटर सुविधा प्रदान कर्ता,

कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन यूनिट तथा वॉयस लॉगर सिस्टम के मध्य कॉल डिस्ट्रीब्यूशन (10 प्रतिशत कॉल की रिकार्डिंग तकनीकी मूल्यांकन के उद्देश्य से की जाती है)) से युक्त है। आईवीआरएस के माध्यम से काल करने वाले के साथ ड्यूप्लेक्स विधि में हिन्दी/अंग्रेजी या देशीय भाषाओं में उपयोक्ता द्वारा चयन की गई भाषा के अनुसार संपर्क किया जाता है। वर्तमान में आईवीआरएस से संपर्क में हिन्दी, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मराठी, तेलुगू, बंगाली, पंजाबी, ओडिया, तमिल, असमी तथा मलयालम भाषाएं उपलब्ध हैं। आईवीआरएस में उपलब्ध विशेषताएं निम्न हैं :–

- प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
- 14 अंकों की पंजीकरण आईडी खोज पर आधारित आधार पंजीकरण स्थिति
- 14 अंकों की यूआरएन संख्या से आधार अद्यतन की स्थिति
- कॉल करने वालों के क्षेत्रानुसार आईवीआरएस आधारित भाषा विकल्प का युक्तिसंगत चयन
- पहले से ही दर्ज शिकायतों की स्थिति
- अपनी आधार संख्या जानिए
- कॉल करने वालों की इच्छानुसार आधार सम्पर्क केंद्र कर्मी से सम्पर्क की सुविधा

- **सीआरएम सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन :** आधार सम्पर्क केंद्र के लिए माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स (एमएसडी) आधारित सीआरएम सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन का उपयोग किया जा रहा है। यह व्यवस्था का ह्रदय केंद्र है तथा इसका पृष्ठांकन एकीकरण भाविपप्रा के केंद्रीय पहचान डाटा निधान (सीआईडीआर) के जरिए सम्पर्क केंद्र फर्मों को संबद्ध सूचना प्रदान करने के लिए किया गया है जिससे निवासियों द्वारा की जाने वाली पूछताछ का निवारण संचलन हो सके। इसका एकीकरण एवं विस्तार भाविपप्रा के प्रभागों में निवासियों द्वारा की जाने वाली पूछताछ अथवा शिकायतों के प्राप्त होने और उनके अंतिम समाधान होने तक के लिए भी किया गया है। एमएसडी आधारित सीआरएम एप्लिकेशन का संचलन निवासियों को समाधान उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विविध प्रकार के एकीकरण के लिए भी किया जा सकता है। वर्तमान में सीआरएम एप्लिकेशन का विस्तार भाविपप्रा के निम्नलिखित प्रभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों में मामलों के समाधान के लिए किया गया है–

- सम्पर्क केंद्र फर्म
- वर्धित शिकायतों के लिए हेल्प 1 डेस्क टीम
- सभी आठ क्षेत्रीय कार्यालय
- मुख्यालय के प्रभाग तथा तकनीकी केंद्र

कॉल सेंटर सेवाएं प्रदान करने के लिए दो फर्मों के साथ करार किया गया है, जो विविध स्थानों से प्राप्त होने वाली कॉलों का संचलन करते हुए 12 भाषाओं अर्थात असमी, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल तथा तेलुगू भाषा में सहायता प्रदान करते हैं। ई–मेल सहायता *help@uidai.gov.in* पर केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है।

सीआरएम एप्लिकेशन सर्वरों को हेब्बल एवं मानेसर में स्थित डाटा केंद्रों में रखा गया है तथा डाटा केंद्र से बाहर उनकी प्रतिबंधित पहुंच केवल पी2पी अथवा सुरक्षित एमपीएलएस लाइनों से सीसीएफ सहभागियों तक ही है।

- **कॉल परिमाण**

सामान्यतः भाविपप्रा के सम्पर्क केंद्रों में प्रतिदिन 1.5/2 लाख कॉल एवं 2500–3000 ई–मेल प्रतिदिन प्राप्त होती है। तथापि, जनवरी 2015, जून 2016 तथा जुलाई 2017 में आधार आधारित डीबीटी, आधार के उपयोग से आयकर रिटर्न तथा पैन आधार द्वारा सत्यापन होने के कारण प्रतिदिन कुल मिलाकर लगभग 3 लाख कॉल प्राप्त की गई हैं।

इसका परिमाण केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट योजना/लाभ आधार के उपयोग/लिंकिंग/सीडिंग के संबंध में की जाने वाली घोषणा के परिणामस्वरूप होने वाली आकस्मिक वृद्धि पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार की योजनाओं/लाभों के साथ अधिक पंजीकरण, अद्यतन एवं अधिप्रमाणन तथा आधार की सीडिंग होने के साथ इसमें कम से कम 5 प्रतिशत (वर्ष से वर्ष के आधार पर) बढ़ोतरी होने की संभावना है।

4. डाटा सुरक्षा एवं निजता

भाविपप्रा में आधार डाटाबेस की तकनीकी तौर पर संरक्षा और सुरक्षा के लिए एक सुकल्पित, सुदृढ़ एवं विविध आयामों से युक्त सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार इस क्षेत्र में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी के समुचित अनुप्रयोगों से युक्त है तथा भाविपप्रा किसी भी अनदेखी संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए उसका उत्तरोत्तर उन्नयन करता रहता है।

आधार का मूलभूत स्थाप्यशिल्प न्यूनतम सूचना, इष्टतम अनभिज्ञता एवं संघित डाटाबेस के तीन मूल सिद्धांतों के अनुरूप डाटा सुरक्षा तथा निजता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। भाविपप्रा इसके साथ ही डाटा सुरक्षा तथा निजता को और सुदृढ़ बनाने के लिए सुरक्षा उपायों की अन्य परतों जैसे नियमित सुरक्षा ऑडिट इत्यादि का प्रयोग करता है। भाविपप्रा आधार डाटा की सुरक्षा के लिए विधिक उपायों सहित सभी प्रकार के हरसंभव उपाय करता हैं।

आधार अंतर्निहित रूप से इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि किसी व्यक्ति की निजता एवं सुरक्षा उसके मूलभूत अधिकारों के तौर पर की जा सके। आधार पंजीकरण के समय तथा बाद में अद्यतन के समय न्यूनतम डाटा संग्रहण से स्पष्ट है कि आधार निजता पर व्यक्त चिंताओं का सम्मान करता है और निजता का सांविधिक अधिकारों के तौर पर ध्यान रखता है। आधार सृजन एवं अद्यतन के लिए संग्रहण किया जाने वाला डाटा इतना न्यून होता है कि उससे निजता के उल्लंघन की आशंका लगभग शून्य होती है। आधार व्यवस्था में आधार नंबर बॉयोमीट्रिक डी–डुप्लिकेशन कर जारी किया जाता है, और जीवनकाल में पहचान रिकार्ड से जुड़े परिवर्तनों का प्रबंधन कर तथा पहचान के (ऑनलाइन अधिप्रमाणन) सत्यापन के लिए एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) उपलब्ध कराया जाता है।

इष्टतम अनभिज्ञता के सिद्धांत के अंतर्गत आधार में कभी किसी भी संव्यवहार विवरण, अधिप्रमाणन उद्देश्य, बैंक खाता नंबर, बैंक विवरण, पसंद–नापसंद, जाति, पारिवारिक संबंध, धर्म, आय, व्यवसाय, सम्पति, शिक्षा, मोबाइल (आधार पंजीकरण के समय संचार उद्देश्य अथवा ओटीपी प्रेषण इत्यादि के लिए भाविपप्रा में पंजीकृत करवाए गए नंबर के अलावा) अथवा अन्य कोई ऐसी सूचना, जो किसी व्यक्ति की निजता के संदर्भ में चिंता का कारण हो सकती है, का संग्रहण नहीं किया जाता है। यहां तक की जन्म तिथि अथवा जन्म स्थान जैसी किसी सूचना अथवा प्रशासनिक सीमाओं (राज्य/जिला/ताल्लुका) के उपयोग से आवास का पता आधार संख्या में अंतःस्थापित नहीं किया जाता है। आधार लिंकिंग के दौरान भी संबंधित डाटाबेस में केवल आधार धारक की स्पष्ट सहमति से केवल आधार पर आधारित सत्यापन होता है किन्तु ऐसे डाटाबेस से किसी सूचना, यहां तक कि सत्यापन से संबंधित सूचना का सहभाजन भी आधार/भाविपप्रा के साथ नहीं किया जाता।

इसके अलावा, आधार केवल पहचान की परिकल्पना पर केंद्रित है और इसके अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं। आधार अधिनियम तथा विनियमों के अंतर्गत डाटा के संरक्षण एवं निजता को और मजबूत बनाने के संबंध में अनेक प्रकार के कड़े प्रावधान किए गए हैं। आधार अधिनियम की धारा–29 में किसी भी उद्देश्य के लिए मूल बॉयोमीट्रिक का सहभाजन एवं प्रकटीकरण किया जाना प्रतिबंधित है तथा इसका उल्लंघन आधार अधिनियम की धारा 37 तथा 38 के अंतर्गत दंडनीय है, जिसके लिए तीन वर्ष तक का कारावास हो सकता है।

आधार अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2016 में घोषित विनियमों में यह सुनिश्चित किया गया है कि पंजीकरण, अधिप्रमाणन एवं अन्य संबद्ध कार्यकलापों का निर्वाह कड़ाई से विधि अनुरूप सुरक्षित एवं विधिक परिवेश में हो, जहां प्रक्रियाओं से संबद्ध सभी एजेंसियों का उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही स्पष्ट रूप में परिभाषित हो। पूर्णतः एक पहचान प्लेटफॉर्म के रूप में आधार व्यवस्था की डिजाइनिंग आधार के किसी संभावित दुरुपयोग के प्रति किसी भी प्रकार के भ्रम की आशंका खत्म कर देती है। साथ ही, अपनी पहचान को अन्य सहभागियों के सम्मुख आवश्यकतानुसार प्रमाणित करने की छूट देती है। आधार

प्लेटफॉर्म एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के बतौर नवोपायों एवं उनसे निर्मित होने वाली विभिन्न उपयोजिताओं एवं एप्लिकेशनों के लिए प्रावधान सम्पन्न हैं। आधार संख्या एक यादृच्छ संख्या है, जिसमें किसी प्रकार की आसूचना अथवा रूपरेखण सूचना निर्मिति नहीं की गई है। 12 अंकों की यह संख्या आने वाली अनेक सदियों तक जनसंख्या की पहचान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है।

4.1 सुरक्षित प्रक्रिया के माध्यम से आधार पंजीकरण

भाविप्रा ने भारत के निवासियों का आधार पंजीकरण करने के लिए रजिस्ट्रारों एवं अधिकृत पंजीकरण एजेंसियों के माध्यम से राष्ट्रव्यापी अवसंरचना स्थापित की है। रजिस्ट्रार मुख्यतः सरकारी विभागों/एजेंसियों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों से संबद्ध हैं। पंजीकरण एजेंसियों का चयन एक कड़ी चयन प्रक्रिया से किया जाता है। निवासी का पंजीकरण भाविप्रा प्रमाणित प्रचालक द्वारा भाविप्रा के सॉफ्टवेयर पर उच्चतः दृढ़, नियंत्रित, अपरिवर्तनीय एवं सुरक्षित प्रक्रिया से किया जाता है।

देश भर में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक निवासियों का पंजीकरण प्रचालकों द्वारा किया जाता है जिनका चयन कड़ी परीक्षा एवं परीक्षण के आधार पर किया गया है। प्रचालक को भी पहले अपना आधार नंबर प्राप्त करना होता है और उसे अपनी अंगुलियों की छाप तथा आधार संख्या से प्रत्येक पंजीकरण को हस्ताक्षरित करना होता है। इस प्रक्रिया से यह पूरा लेखा–जोखा मिल जाता है कि कौन सा पंजीकरण कब, कहां, किस प्रचालक ने किया तथा किसी मामले में उल्लंघन की स्थिति में प्रचालक एवं पंजीकरण एजेंसी की उत्तरदेयता तत्काल निर्धारित की जा सकती है। तदनन्तर, व्यक्ति के एकत्रित बॉयोमीट्रिक डाटा का मिलान आधार धारकों (जो वर्तमान में 120 करोड़ से अधिक हैं) के विद्यमान डाटाबेस से किया जाता है और जब कोई भी समान मिलान नहीं हो, तब ही आधार नंबर सृजित किया जाता है। इतने बड़े पैमाने का बॉयोमीट्रिक मिलान 24 घंटे के भीतर हो जाता है।

बॉयोमीट्रिक समेत सम्पूर्ण पंजीकरण डाटा 2048 बिट की कूट कुंजी से पंजीकरण के समय ही कूटित कर दिया जाता है तथा इसके पश्चात् कोई भी एजेंसी इसका अभिगमन नहीं कर सकती तथा भाविप्रा द्वारा भी इसका अभिगमन केवल स्वयं को उपलब्ध सुरक्षित अकूटन कुंजी के उपयोग से किया जा सकता है। यहां यह उल्लेख करना भी उपयुक्त होगा कि पृथ्वी पर उपलब्ध विश्व के सबसे तीव्रतम कम्प्यूटर को भी क्रूराचार के उपयोग से कूटन कुंजी को भेद पाने में करोड़ों वर्ष का समय लग सकता है। अभी तक, ऐसी कोई घटना संज्ञान में नहीं आई है जिसमें आधार के डाटाबेस से किसी पंजीकृत निवासी के मूल बॉयोमीट्रिक तक अनधिकृत पहुंच की सूचना हो।

4.2 सुरक्षित प्रक्रिया के माध्यम से आधार अधिप्रमाणन

आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया से केवल 'हां/नहीं' में प्रयुत्तर प्राप्त होते हैं। यह डाटा निजता की संरक्षा बनाए रखते हुए निवासी के पहचान दावे का अनुप्रयोगों द्वारा 'सत्यापन' करा देता है। सुविधा के सुनिश्चयन और साथ ही निवासी के पहचान डाटा के संरक्षण के लिए 'निजता एवं उद्देश्य' के बीच संतुलन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। बाह्य प्रयोक्ता एजेंसियों का आधार डाटाबेस तक अभिगमन नहीं है।

प्रत्येक ई–केवाईसी अनुरोध के लिए, निवासी द्वारा सफल अधिप्रमाणन के पश्चात् ही जनांकिक एवं फोटो डाटा का सहभाजन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होता है (निवासी बॉयोमीट्रिक/ओटीपी अधिप्रमाणन से भाविप्रा को स्पष्ट सहमति देता है कि भाविप्रा भौतिक फोटोप्रतियों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में उसके आधार पत्र के सहभाजन के लिए प्राधिकृत है)।

4.3 संयोजन रहित न्यूनतम डाटा

चूंकि आधार व्यवस्था में देश के प्रत्येक आधार धारक से संबंधित डाटा भाविप्रा के केंद्रीय निधान में होता है, अतः इसका डिजाइन न्यूनतम डाटा संग्रहण को ध्यान में रखकर इस प्रकार किया गया है कि इससे केवल पहचान संबंधी क्रियाकलाप (सृजन तथा अधिप्रमाणन) ही किए जा सकें। इस डिजाइन की अवधारणा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की गई है कि भाविप्रा निवासियों की निजता का सम्मान करता है तथा अपनी व्यवस्था में गैर–अनिवार्य डाटा का संयोजन नहीं करता है। न्यूनतम डाटा (4 गुण – नाम, पता, लिंग और जन्म

तिथि तथा 2 गुण – वैकल्पिक डाटा – मोबाइल, ई–मेल) के अलावा इसके केंद्रीय डाटाबेस में आधार का उपयोग कर रही विद्यमान व्यवस्था या अनुप्रयोगों से कोई संयोजन उपलब्ध नहीं होता है। इससे केंद्रीकृत मॉडल के स्थान पर अनिवार्य रूप से विभिन्न अनुप्रयोगों/व्यवस्थाओं (निवासियों के डाटा के विकेंद्रित मॉडल) के डाटा द्वीप तैयार हो जाते हैं, जिससे किसी निवासी से संबंधित पूर्ण जानकारी तथा उसके अधिप्रमाणन का इतिहास पता चल पाने का एक केंद्रीकृत मॉडल में बना रहने वाला जोखिम समाप्त हो जाता है।

4.4 डाटा एकीकरण नहीं

आधार व्यवस्था को विभिन्न प्रकार के डाटा का संग्रहण एवं संचयन करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है और इसीलिए यह ऐसा एकल केंद्रीय डाटा निधान नहीं बन सकता जिसमें निवासियों के बारे में सभी जानकारी मौजूद हो। इसमें सूचनाओं (जैसे पैन नंबर, ड्राइवर लाइसेंस नंबर, पीडीएस कार्ड नंबर, ईपीआईसी नंबर, इत्यादि) का कोई संयोजन किसी अन्य व्यवस्था के साथ नहीं होता है। संव्यवहार डाटा इस डिजाइन में संघित मॉडल में विनिर्दिष्ट व्यवस्था में ही भंडारित रहता है। ऐसे उपागम से निवासियों से संबंधित सूचनाएं अलग–अलग स्वरूपों में अनेक व्यवस्थाओं में भंडारित की जाती हैं जिन्हें विभिन्न एजेंसियां धारित करती हैं।

4.5 इष्टतम अनभिज्ञता

अधिप्रमाणन का डिजाइन ऐसे तैयार किया गया है कि इससे आधार व्यवस्था को न तो अधिप्रमाणन का उद्देश्य और न ही किसी प्रकार के अन्य संव्यवहार संदर्भों के सहभाजन की जानकारी अथवा सहभाजन हो पाता है। आधार अधिप्रमाणन तथा इसके प्रचालन मॉडल का निर्माण शून्य–ज्ञान व्यवस्था के रूप में किया गया है तथा यह सुरक्षा के प्रति कोई कोताही बरते बिना वैयक्तिक निजता की रक्षा स्वतः ही संव्यवहार अपरिज्ञानी बन कर करता है। किसी एजेंसी द्वारा आधार संख्या धारक का अधिप्रमाणन करने मात्र से आधार व्यवस्था को अधिप्रमाणन के उद्देश्य अथवा स्थल की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अतः आधार व्यवस्था को यह बिल्कुल ज्ञात नहीं हो पाता है कि आधार अधिप्रमाणन करने वाला व्यक्ति कोई बैंककर्मी है जो अपनी ड्यूटी पर स्वयं अपनी हाजिरी के लिए अधिप्रमाणन कर रहा है अथवा कोई अपने खाते खोलने अथवा उसमें से धन अंतरण के लिए आधार अधिप्रमाणन कर रहा है, इत्यादि।

4.6 स्थिति अपरिज्ञान

भाविपप्रा अधिप्रमाणन व्यवस्था में स्थान की कोई जानकारी नहीं होती है। आधार अधिप्रमाणन व्यवस्था को अधिप्रमाणन अनुरोध भेजने के स्थान की जानकारी नहीं होती। अतः अधिप्रमाणन के माध्यम से किसी निवासी का पथांकन करने का खतरा समाप्त हो जाता है।

4.7 विकेंद्रित डाटा तथा एक–मार्गी संयोजन

अपनी विशिष्ट डिजाइन के चलते विकेंद्रित डाटा व्यवस्था सभी डोमेन विशिष्ट संव्यवहार डाटा को आधार डाटाबेस से समाप्त कर देती है और इस तरह निवासी का विशिष्ट संव्यवहार डाटा सामान्य डाटाबेस में केंद्रित रहने की बजाय सभी उपयोक्ता एजेंसियों के बीच विकेंद्रित रहता है। यहां यह भी नोट करना चाहिए कि विभिन्न व्यवस्थाएं भाविपप्रा से आधार संख्या के उपयोग के माध्यम से संदर्भित होती हैं परन्तु भाविपप्रा द्वारा ऐसी व्यवस्थाओं के लिए अनुलोम संयोजन का अनुरक्षण नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पर बैंक खाता खोलते समय बैंक को आधार नंबर दिया जाता है परन्तु बैंक में धारित किसी डाटा अथवा बैंक खाता संख्या अथवा किसी बैंकिंग संव्यवहार विवरण तक भाविपप्रा की कोई पहुंच नहीं होती है। इस प्रकार आधार सीडिंग एक सुदृढ़ व्यवस्थित एकमार्गीय संयोजन (सही अर्थों में सत्यापन) के जरिए होती है, जिसमें आधार संख्या का समावेश लाभग्राही के डाटाबेस में बिना भाविपप्रा के डाटाबेस से किसी प्रकार के डाटा/संव्यवहार अवकर्षण/संबद्धता के होता है।

4.8 आधार डाटा की सुरक्षा

भाविपप्रा द्वारा विश्व की अत्यधिक उन्नत कूटकरण प्रौद्योगिकी के उपयोग से आधार डाटा का संव्यवहार एवं भंडारण किया जाता है। आधार आधारित अधिप्रमाणन किसी भी समकालिक अन्य व्यवस्था की तुलना में सुदृढ़ एवं सुरक्षित है। आधार

व्यवस्था में से किसी भी आधार बॉयोमीट्रिक के दुरुपयोग की स्थिति में जांच करने एवं चोरी की पहचान तथा कार्रवाई करने की क्षमता उपलब्ध है। इसके परिणामस्वरूप, स्थापना के पश्चात् से अब तक 1800 करोड़ आधार अधिप्रमाणन संव्यवहार किए जा चुके हैं तथा भाविपप्रा में उपलब्ध सूचना के अनुसार बॉयोमीट्रिक के दुरुपयोग से पहचान चोरी अथवा वित्तीय हानि होने अथवा भाविपप्रा के सर्वरों में से बॉयोमीट्रिक के अतिक्रमण अथवा रिसाव की कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई है। आधार डाटा सुरक्षा का और अधिक संवर्धन नियमित सूचना सुरक्षा आकलन एवं भाविपप्रा द्वारा विभिन्न परिव्यवस्था हितधारकों का ऑडिट करते हुए किया जाता है।

4.9 भाविपप्रा आईएसओ 27001 प्रमाणित

भाविपप्रा ने अत्यधिक सुदृढ़ सूचना सुरक्षा प्रबंधन व्यवस्था की है, जिसे एसटीक्यूसी ने आईएसओ 27001: 2013 प्रमाणन प्रदान किया है।

4.10 सीआईडीआर संरचना घोषित रक्षित व्यवस्था

राष्ट्रीय महती सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) ने भाविपप्रा–केंद्रीय पहचान डाटा निधान को सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा आश्वासन की एक ओर परत को जोड़ते हुए **"रक्षित व्यवस्था"** घोषित किया है।

भाविपप्रा द्वारा केंद्रीय पहचान डाटा निधान में सुरक्षित निवासियों के डाटा और 24x7x365 उसकी गोपनीयता, अखंडता और इस सूचना की उपलब्धता बनाए रखने को दिए गए सर्वोच्च महत्व को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित डाटा का अनुरक्षण उन नियंत्रणों से किया जाता है जो इस सूचना की महत्ता के अनुरूप हैं। सूचना व्यवस्था के लिए प्रदान की गई यह सुरक्षा सभी प्रकार के खतरों (साइबर संबंधित, केंद्रीय पहचान डाटा निधान के वर्चुअल लॉजिकल क्रॉस बार्डर इंटरफेस, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय, आंतरिक अथवा बाह्य, जानबूझकर अथवा दुर्घटनावश) से सुरक्षा प्रदान करती है।

4.11 संचालन, जोखिम, अनुपालन एवं निष्पादन व्यवस्था (जीआरसीपी)

संचालन, जोखिम, अनुपालन एवं निष्पादन व्यवस्था (जीआरसीपी) की रूपरेखा की संकल्पना भाविपप्रा के लिए सुदृढ़, व्यापक एवं सुरक्षित वातावरण निर्माण के लिए की गई है ताकि भाविपप्रा सुचारू प्रचालन करता रहे। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जीआरसीपी व्यवस्था भाविपप्रा प्रबंधन को भाविपप्रा एवं परिव्यवस्था सहभागियों के संदर्भ में दृश्यता, प्रभाव्यता एवं नियंत्रण की चौकसी प्रदान करती है।

4.12 भाविपप्रा में धोखाधड़ी प्रतिरोधन व्यवस्था

भाविपप्रा में धोखाधड़ी प्रतिरोधन के लिए सुकल्पित, बहुस्तरीय उपागम युक्त सुदृढ़ व्यवस्था है। इसका पिछले वर्ष और समेकन किया गया। फोरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना होने से भाविपप्रा की धोखाधड़ी जांच क्षमता कई गुणा बढ़ गई है।

5. आधार - शासनिक व्यवस्था सुधार हेतु एक उपकरण

5.1 वित्तीय समावेशन के लिए आधार

आधार एक विशिष्ट डिजिटल पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तित नहीं होती है। अतः वित्तीय समावेशन के लिए आधार का सशक्त रूप से उपयोग वित्तीय पते के लिए किया जा सकता है, विशेषतः उनके लिए जिन्हें भारत के वित्तीय नक्शे में हाशिए पर छोड़ दिया गया था। किसी आधार धारक को कोई भी भुगतान अंतरण करने के लिए उसकी आधार संख्या ही पर्याप्त है।

अब हाल ही तक, किसी लाभग्राही को धन अंतरण करने के लिए सरकार/संस्थान को उसके बैंक खाते, आईएफएससी कोड तथा बैंक शाखा से संबंधित विवरण की आवश्यकता होती थी जो परिवर्तनीय थे। लेकिन आधार से किसी आधार धारक के बैंक खाते में हुए किसी प्रकार के बदलाव से प्रभावित हुए बिना केवल 12 अंकों की संख्या के उपयोग से आजीवन धन प्रेषण किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की भुगतान व्यवस्थाएं जो अपनी आवश्यकतानुसार आधार संख्या का उपयोग करती हैं –

5.1.1 आधार-शक्त भुगतान व्यवस्था (एईपीएस)

आधार–शक्त भुगतान व्यवस्था एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कोई भी व्यक्ति आधार आधारित बॉयोमीट्रिक अधिप्रमाणन कर माइक्रो–एटीएम से अपने बैंक खाते से धन निकासी, जमा, धन अंतरण, इत्यादि सामान्य बैकिंग संव्यवहार कर सकता है। बैंक का चयन व्यक्ति द्वारा किया जाता है क्योंकि यह संव्यवहार व्यक्ति की उपस्थिति में ही होता है। यथा 31 मार्च 2018 तक 115 बैंकों तथा डाक विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए 3.87 लाख माइक्रो–एटीएम के जरिए इस प्लेटफॉर्म के उपयोग से 141.16 करोड़ सफल संव्यवहार किए गए हैं।

(*रेखाचित्र 8* में विगत 5 वर्षों में आधार–शक्त भुगतान व्यवस्था से किए गए संव्यवहार की प्रगति प्रदृश्य है।)

5.1.2 आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी)

आधार भुगतान ब्रिज के कार्यान्वयन से सभी सहभागियों को बैंकिंग संव्यवहार की चुनौतियों से निपटने में आसानी होती है। यह मुख्यतः सरकार–से–नागरिक (जी2सी) तथा व्यवसाय–से–उपभोक्ता (बी2सी) का अंतरण प्लेटफॉर्म है जिसमें किसी आधार धारक को निधियों का अंतरण मात्र उसकी आधार संख्या का उल्लेख करके ही किया जा सकता है। आधार से संयोजित (लिंक) बैंक खातों में आधार भुगतान ब्रिज के माध्यम से निधि का स्वतः अंतरण हो पाता है।

परिव्यवस्था स्तर पर, आधार भुगतान ब्रिज को पहले ही व्यापक स्वीकार्यता मिल चुकी है तथा अब यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित एक भुगतान व्यवस्था है। यथा 31 मार्च 2018, आधार भुगतान ब्रिज से 937 बैंक संबद्ध हैं, जिनमें सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा कई सहकारी बैंक शामिल हैं। साथ ही, 31 मार्च 2018 तक आधार भुगतान ब्रिज से 317.59 करोड़ से अधिक संचयित सफल संव्यवहार हुए जिनका मूल्य 1,08,216 करोड़ रुपए है।

(*रेखाचित्र 9 तथा 10* में विगत 5 वर्षों में आधार भुगतान ब्रिज की सफलता संव्यवहार की संख्या में तथा संव्यवहार के मूल्य में क्रमशः प्रदृश्य है।)

5.1.3 भीम आधार

भीम आधार आधार–शक्त भुगतान व्यवस्था का व्यापारी संस्करण है। इसका सृजन विभिन्न प्रकार की सेवाओं तथा वस्तुओं के लिए एक आधार धारक द्वारा व्यापारियों को भुगतान में उपभोक्ता–से–व्यवसाय (सी2बी) संव्यवहार के उद्देश्य से किया गया है। ग्रामीण परिक्षेत्र में इसके

रेखाचित्र 8. विगत पांच वर्षो में एईपीएस की प्रगति

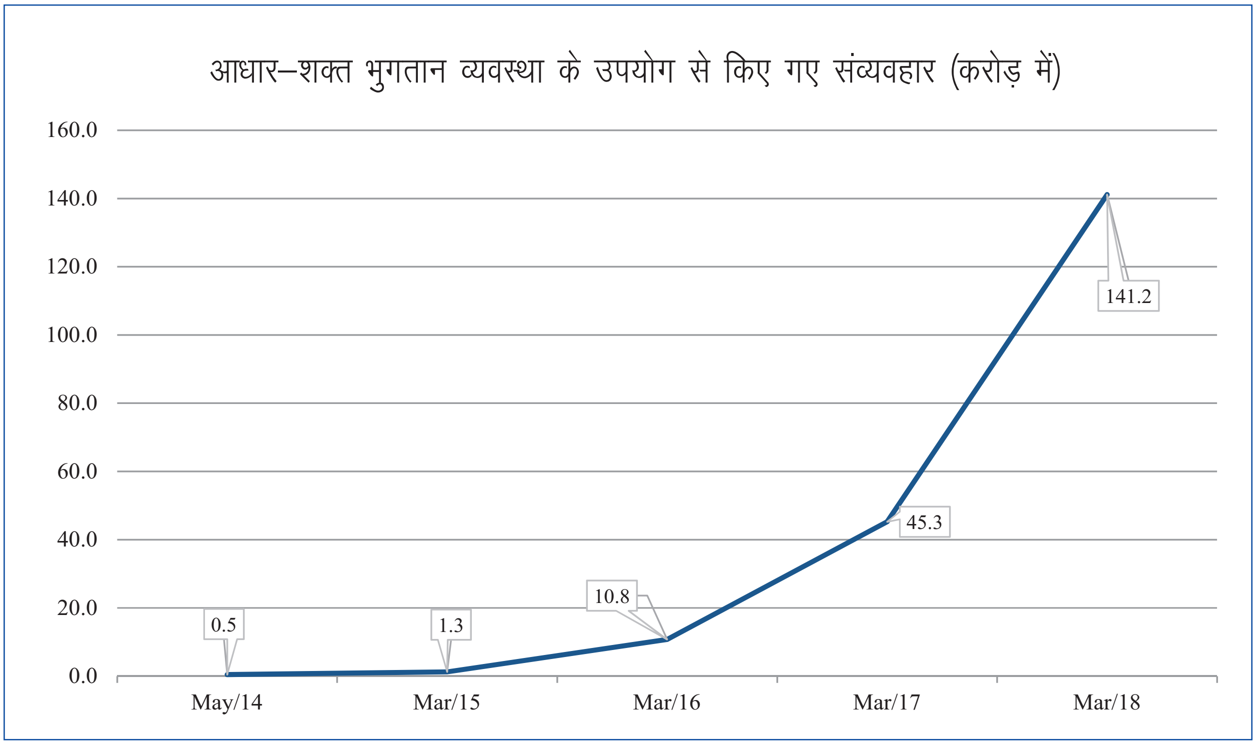

रेखाचित्र 9. आधार भुगतान ब्रिज से संव्यवहार की प्रगति

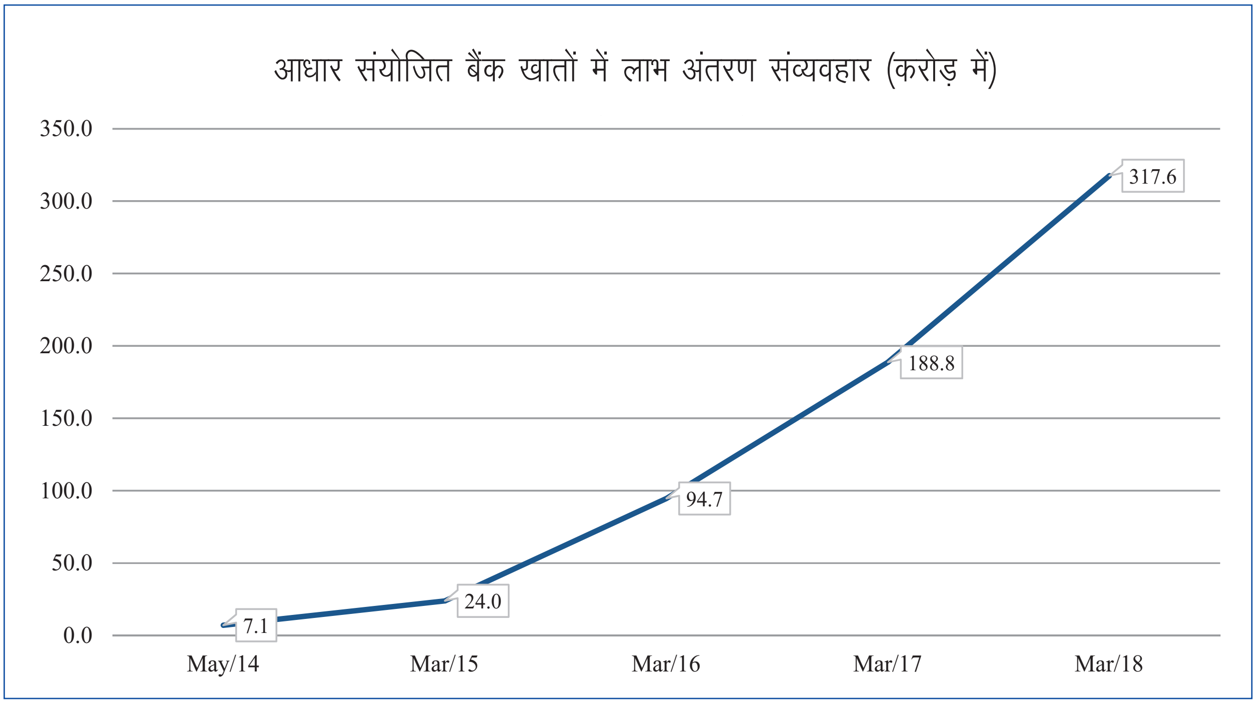

रेखाचित्र 10. आधार भुगतान ब्रिज से मूल्य में संव्यवहार की प्रगति

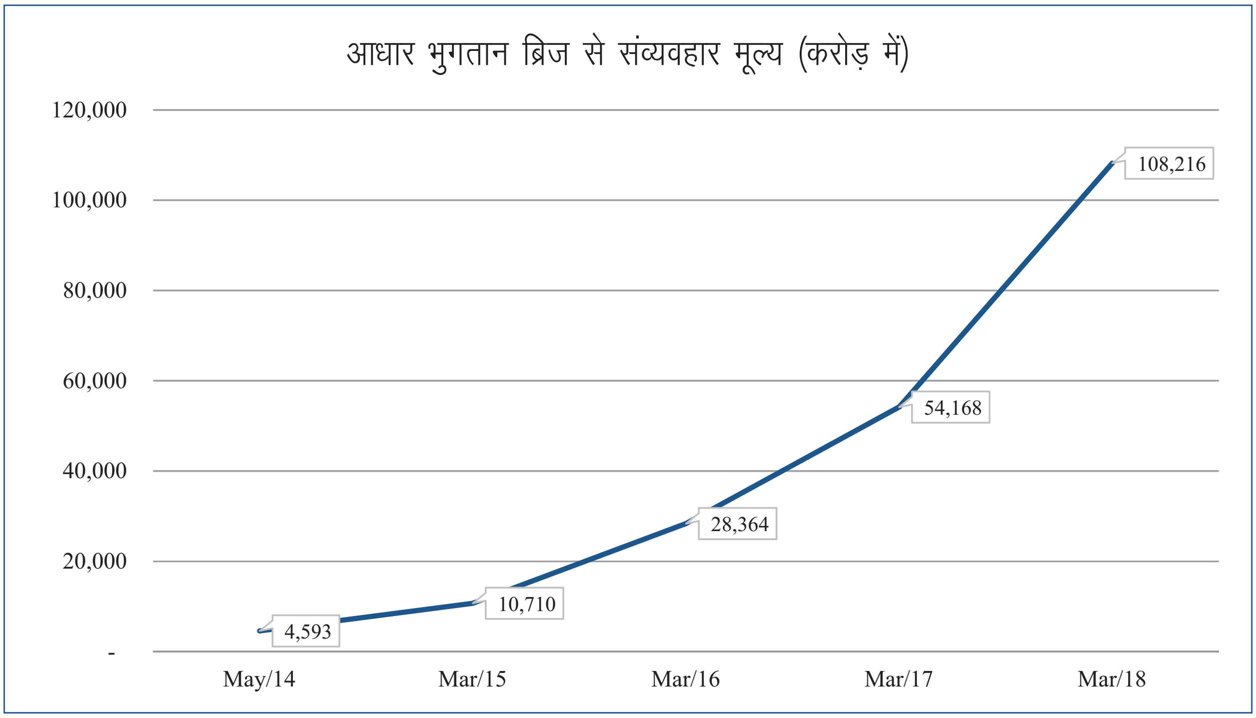

व्यापक उपयोग से जहां भुगतान व्यवस्था पूरी तरह परिवर्तित हो गई है और वहीं त्वरित एवं सुरक्षित भुगतान ने भुगतान व्यवस्था का वास्तविक डिजिटलीकरण कर दिया है।

एक व्यापारी जिसके पास एक बैंक खाता तथा निम्न लागत वाला कोई सामान्य स्मार्ट फोन है, तो वह बॉयोमीट्रिक डिवाइस प्राप्त कर तथा गूगल प्ले स्टोर से अपेक्षित ऐप डाउनलोड करके डिजिटल व्यापारी बन सकता है। इससे व्यापारी अपने ग्राहकों से नकदी रहित भुगतान प्राप्त कर सकता है। 14 अप्रैल 2017 को लोकार्पित भीम आधार ऐप का वर्तमान में 84 बैंक तथा 35,500 व्यापारी सक्रिय तौर पर उपयोग कर रहे हैं तथा 31 मार्च, 2018 तक इससे लगभग 19.53 लाख लेन–देन किए गए हैं।

5.1.4 पे टू आधार

व्यक्ति–से–व्यक्ति (पी2पी) धन अंतरण की उद्देश्यपूर्ति की इस पहल में व्यक्ति की आधार संख्या का उपयोग उसके वित्तीय पते के रूप में किया जाता है। यह सुविधा भीम ऐप के साथ एकीकृत यूपीआई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इस सुविधा के उपयोग के लिए धनांतरण प्राप्तकर्ता आधार नंबर प्राप्तकर्ता के बैंक खाते से संयोजित होना चाहिए। यथा 31 मार्च 2018, 95 से भी अधिक बैंक इसे प्रयोग कर रहे हैं और 59.15 करोड़ से भी अधिक आधार संयोजित बैंक खाते आधार का उपयोग वित्तीय पते के रूप में करते हुए धनांतरण प्राप्ति कर रहे हैं। शुरूआत से अब तक इसके उपयोग से 16.32 लाख संव्यवहार किए जा चुके हैं।

(*रेखाचित्र–11* में मई 2014 से आधार की बैंक खातों से संयोजन की प्रगति प्रदृश्य है।)

5.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में आधार

कल्याण सेवाओं में पारदर्शिता एवं कुशलता से लक्षित परिदान निश्चित करने के लिए भारत सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का प्रारम्भ जनवरी 2013 में आधार भुगतान ब्रिज तथा अन्य माध्यम से किया। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से सभी केंद्रीय योजनाओं तथा केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में किया गया है।

अब तक, प्रत्यक्ष नकद लाभ अंतरण की अनेक योजनाएं आधार भुगतान ब्रिज के माध्यम से लाभार्थियों के आधार

रेखाचित्र 11. आधार की बैंक खातों से संयोजन की प्रगति

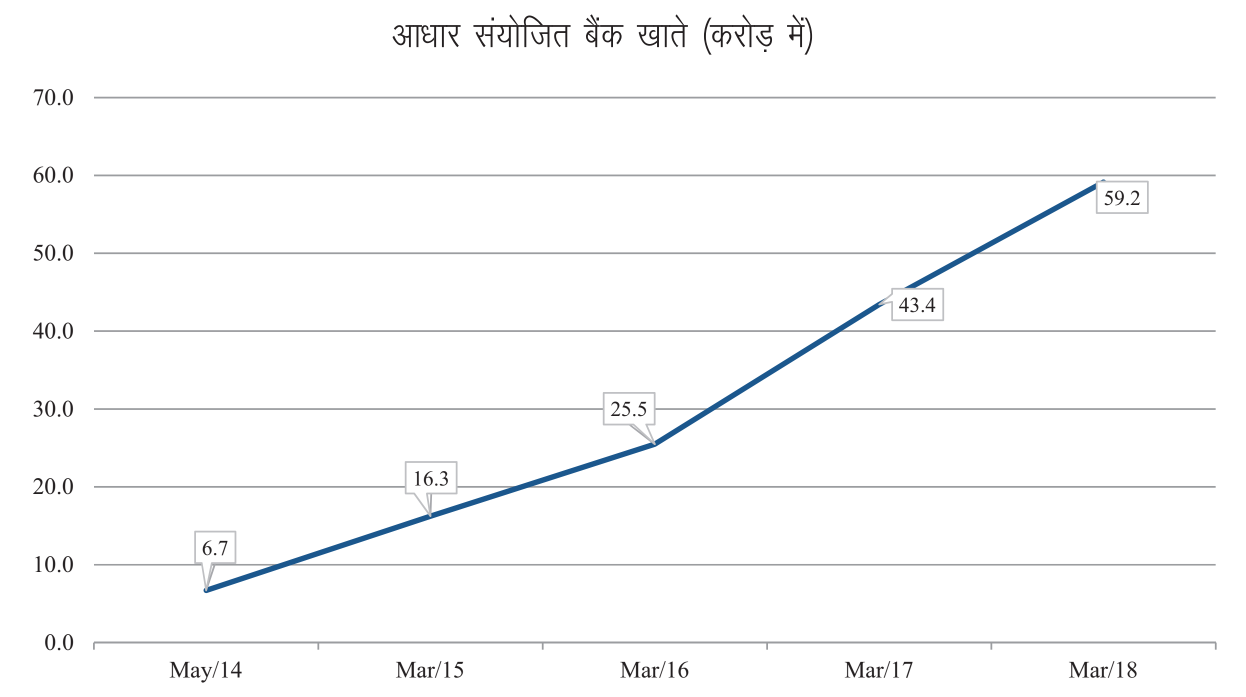

संयोजित खातों में सीधे नकदी अंतरण कर रहीं हैं। यथा 31 मार्च 2018, पहल सहित अनेक योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत 317.59 करोड़ सफल संव्यवहारों में 108,216 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। यह लाभार्थियों के बैंक खातों को आधार से संयोजित किए जाने से ही संभव हो सका है। 31 मार्च 2018 तक 59.15 करोड़ विशिष्ट आधार नंबर 87 करोड़ बैंक खातों से संयोजित किए जा चुके हैं।

5.2.1 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं हेतु जारी अधिसूचनाएं

भारत की समेकित निधि के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की किसी भी योजना में आधार का उपयोग करने के लिए यह अधिदेशात्मक है कि उस योजना से संबंधित प्रशासनिक विभाग/मंत्रालय आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 अथवा 57 के अंतर्गत पहचान दस्तावेज के रूप में आधार की आवश्यकता अधिसूचित करे। कैबिनेट सचिवालय के निर्णय के अनुसार, भाविपप्रा को अधिदेशित किया गया है कि वह आधार अधिनियम, 2016 के अनुपालन में जारी की जाने वाली ऐसी अधिसूचनाओं के मसौदे के आलेखन और निर्गमन तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय से उनके विधिवत पुनरीक्षण को सुसाध्य करवाए। तदनुसार, 31 मार्च 2018 तक भाविपप्रा (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रकोष्ठ) ने आधार अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत 144 अधिसूचनाएं जारी करवाने के लिए 35 से भी अधिक मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय कर 252 योजनाओं (केंद्र द्वारा प्रायोजित अथवा केंद्रीय सेक्टर की) का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सुगम कराया है। इसके अलावा, सात मंत्रालयों/विभागों ने आधार अधिनियम की धारा 57 के अंतर्गत 8 परिपत्र जारी किए हैं।

5.2.2 एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई एवं अपवाद प्रबधन के लिए स्पष्टीकरण निर्गमन

आधार अधिनियम, 2016 तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत निर्गत अधिसूचनाओं/परिपत्रों में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि किसी भी सेवा, सहायिकी अथवा लाभ परिदान के लिए आधार का उपयोग अधिदेशात्मक नहीं है। तथापि, विशिष्ट योजनाओं के संदर्भ में आधार की अपेक्षा में सेवाओं/लाभों/सहायिकी के

परिदान से मना न करने संबंधी निर्णयात्मक स्पष्टीकरण के लिए भाविप्रा ने निम्न परिपत्र जारी किए हैं। ये https://uidai.gov.in/legal-framework/acts/circulars.html पर उपलब्ध हैं –

- पीडीएस तथा अन्य कल्याण सेवाओं में अपवाद संचलन, दिनांक 24 अक्तूबर 2017
- अनिवासी भारतीयों (एनआरआई)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) तथा समुद्रपारीय भारतीय निवासियों (ओसीआई) के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार की उपयोज्यता, दिनांक 17 नवम्बर 2017

5.3 उपयोगी पहल

आधार कहीं भी, कभी भी ऑनलाइन सत्यापित की जा सकने वाली एक डिजिटल पहचान है तथा इसे सम्पन्न करने के लिए भाविप्रा ने इसके गुणधर्मों – विशिष्टता, अधिप्रमाणिकता, वित्तीय पता और ई–केवाईसी – के अनुरूप डिजिटल प्लेटफॉर्म सृजित किए हैं। प्रभावी शासन के लिए की गई अनेक नई पहल जिनसे आधार धारकों को कार्य सुगमता एवं जीवन सुगमता हो, निम्न हैं –

- **डिजीलॉकर :** डिजीलॉकर की सुविधा राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें आधार के उपयोग से डिजिटल लॉकर खाता खोला जा सकता है। निवासी अपने दस्तावेज जैसे शैक्षणिक प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इत्यादि, इसमें क्लाउड में अपलोड करते हैं। तदनन्तर, निवासी डिजिटल हस्ताक्षर से सहमति प्रदान कर यह सुनिश्चित करता है कि प्राप्तकर्ता इन डिजिटल दस्तावेजों का उपयोग कर सके। यथा 31 मार्च 2018, 1.16 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है और 1.48 करोड़ से अधिक दस्तावेज अपलोड किए गए हैं।
- **ई–साइन :** ई–साइन एक ऑनलाइन सेवा है जिसका विभिन्न सेवा परिदान अनुप्रयोगों के साथ ओपन एपीआई के माध्यम से एकीकरण कर आधार धारक को दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान की गई है। इसे आधार धारक के अधिप्रमाणन से डिजिटल हस्ताक्षर के लिए तैयार किया गया है।
- **जीवन प्रमाण :** जीवन प्रमाण पेंशनभोगियों के लिए आधार–शक्त डिजिटल सेवा है। केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा अन्य सरकारी संगठनों के पेंशनभोगी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस सुविधा के उपयोग से पेंशनभोगी को पेंशन के लिए पेंशन संवितरण अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यथा 31 मार्च 2018, वर्ष 2014 में इसे प्रारम्भ किए जाने के बाद से 1.64 करोड़ से भी अधिक उपयोक्ताओं ने जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं। 71 लाख से भी अधिक पेंशनभोगियों ने वर्ष 2017–18 में जीवन प्रमाण सुविधा का लाभ उठाया है।
- **ई–केवाईसी के साथ मोबाइल सिम जारी करना :** आधार ई–केवाईसी ने टेलीकॉम प्रचालकों को बिना किसी भौतिक आवेदन पत्र, पते के प्रमाण तथा अन्य पहचान दस्तावेज के कागज रहित तरीके से मोबाइल सिम जारी करने की सुविधा प्रदान की है। आधार ई–केवाईसी से एक आधार धारक तत्काल सक्रिय सिम प्राप्त कर सकता है। यथा 31 मार्च 2018, लगभग 142.9 करोड़ मोबाइल क्नेक्शनधारकों में से 85.7 करोड़ ने अपने मोबाइल आधार से संयोजित करवाए हैं।
- **आयकर रिटर्न के लिए ई–सत्यापन :** आधार के उपयोग से आयकर दाता अपने आयकर रिटर्न का ई–सत्यापन आधार ओटीपी अधिप्रमाणन से कर सकते हैं तथा अब उन्हें अपनी हस्ताक्षरित आयकर रिटर्न आयकर प्राधिकारियों को भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यथा 31 मार्च 2018, 7.19 करोड़ से भी अधिक पैन कार्ड धारकों ने अपने पैन कार्ड को आधार से संयोजित किया है तथा 2.24 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्नों का ई–सत्यापन किया गया है।
- **एम–आधार मोबाइल एप्लिकेशन :** भाविप्रा ने एम–आधार नामक एक नया मोबाइल अनुप्रयोग विकसित कर आधार संख्या धारकों को आधार डाटाबेस में उपलब्ध अपना डाटा अपने मोबाइल पर डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है। इस ऐप में आधार अधिप्रमाणन के

लिए/पश्चात्, अपने बॉयोमीट्रिक को लॉक/अनलॉक की अत्यंत सरल व त्वरित सुविधा प्रदान की गई है। हाल ही में, रेलवे तथा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने क्रमशः रेल एवं विमान यात्रियों से पहचान प्रमाण के रूप में एम–आधार को स्वीकार किए जाने के निदेश जारी किए हैं।

- **पंजीकरण एवं अद्यतन की सुगमता :** यथा 31 मार्च 2018, बैंकों तथा डाकघरों में 18,000 से भी अधिक आधार केंद्रों की स्थापना से पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित एवं पर्यवेक्षित वातावरण में सम्पन्न कराना सुनिश्चित हुआ है। इससे लोगों को अपने बैंक खातों का आधार सत्यापन कराने की प्रक्रिया में सुविधा हुई है।

6. भाविपप्रा के संगठनात्मक मामले

6.1 यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 22 तथा उसके संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02 फरवरी 2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/2/2014–स्थापना ए–III के अनुसार अपेक्षित सूचना तालिका–11 में दर्शाई गई है।

6.2 राजभाषा प्रोत्साहन

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों का अनुसरण करते हुए भाविपप्रा द्वारा अपने मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन किया गया है।

वर्ष के दौरान, भाविपप्रा मुख्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन के लिए कार्यनीति तैयार करने पर चर्चा की गई, जिससे कार्यालयीन उद्देश्यों से राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में बढ़ोतरी की जा सके। इसके अतिरिक्त, मुख्यालय में अधिकारियों को राजभाषा नीति के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से 3 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें 60 अधिकारियों द्वारा प्रतिभागिता की गई। इसके अलावा, मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों में तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आधार पर हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा नियमित आधार पर की जाती है तथा इसके आधार पर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को राजभाषा नीति के उचित अनुपालन तथा हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन दिए जाने से संबंधित निदेश जारी किए जाते हैं।

भारत सरकार के निदेशों के अनुसरण में भाविपप्रा में दिनांक 14 सितम्बर से 28 सितम्बर 2018 के दौरान हिन्दी पखवाड़े

तालिका 11. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निरोधन की वार्षिक रिपोर्ट (2017–18)

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2017–18
1.	वर्ष के दौरान प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतें	1
2.	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	1
3.	90 दिन से अधिक अवधि के बकाया मामले	शून्य
4.	वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष के प्रति जागरूकता हेतु आयोजित कार्यशालाएं	5
5.	कार्रवाई का स्वरूप	भाविपप्रा के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय में कथित यौन उत्पीड़न का एक मामला रिपोर्ट हुआ था। तथापि, संबंधित शिकायत की जांच के दौरान शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

का आयोजन किया गया। इस दौरान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भाविप्रा द्वारा जारी एक संदेश में सभी भाविप्रा कर्मचारियों को अपने रोजमर्रा के कार्य में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने की अपील की गई। साथ ही, मुख्यालय में चार प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें 88 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। पुरस्कारों का वितरण 27 अक्तूबर 2017 को आयोजित एक समारोह में किया गया।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी निदेशों के अनुसार वर्ष के दौरान राजभाषा नीति के अनुसरण की जांच के उद्देश्य से 8 में से 2 क्षेत्रीय कार्यालयों – गुवाहाटी एवं हैदराबाद का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ऐसे उपाय सुझाए गए जिनके उपयोग से सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में बढ़ोतरी हो सके।

सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भाविप्रा द्वारा प्रोत्साहन योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं, जो राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप हैं। चालू वर्ष के दौरान 7 अधिकारियों (4 मुख्यालय से तथा 3 मुंबई, लखनऊ एवं नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों से) को वर्ष 2016–17 के दौरान हिन्दी में सर्वाधिक कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया।

6.3 सिटिजन/ग्राहक चार्टर (सीसीसी)

यह नागरिकों को विशिष्ट मानकों, गुणवत्ता एवं नियत समय के भीतर सेवा परिदान इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए संगठन की ओर से सभी हितधारकों को दी गई प्रतिबद्धता का एक उपागम है। सिटिजन चार्टर भाविप्रा की वेबसाइट https://uidai.gov.in/images/ uidai_citizen_charter_final.pdf. पर उपलब्ध है। सिटिजन चार्टर की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है।

6.4 इंटरानेट एवं ज्ञान प्रबंधन पोर्टल

भाविप्रा ने आंतरिक सूचना सम्प्रेषण, बेहतर सूचना विनिमय एवं भाविप्रा कर्मचारियों के बीच कार्य सहयोग संवर्धन के उद्देश्य से एक ऑनलाइन समुदाय आधारित प्लेटफॉर्म ''इंटरानेट एवं ज्ञान प्रबंधन पोर्टल'' (केएम पोर्टल) की स्थापना की है। इस पोर्टल का उद्देश्य कम कागज प्रयोगी कार्यालय की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। केएम पोर्टल में केएम डैशबोर्ड है, जिसमें विभिन्न प्रभागों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के अद्यतन कार्यालय आदेश, परिपत्र इत्यादि अपलोड किए जाते हैं।

6.5 नोडल सूचना का अधिकार कक्ष

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) के अनुसार, भाविप्रा के मानव संसाधन प्रभाग में सूचना अधिकार प्रकोष्ठ ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदनों/अपीलों/शिकायतों तथा केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित मामलों को देखता है। साथ ही, केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देशानुसार तिमाही प्रगति रिपोर्टें तैयार कर आयोग को भेजी जाती हैं। भाविप्रा के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों की सूची का अनुरक्षण/अद्यतन नियमित रूप से सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित अन्य सांविधिक अनिवार्यताओं के साथ किया जाता है तथा उसे भाविप्रा की वेबसाइट https://www.uidai.gov.in में आरटीआई टैब के अंतर्गत प्रेषित किया जाता है।

6.6 भाविप्रा वेबसाइट

भाविप्रा की वेबसाइट www.uidai.gov.in भारत के निवासियों के लिए एकल क्लिक ऑनलाइन सेवा खिड़की होने के साथ ही विभिन्न परिव्यवस्था हितधारकों तथा जनता के लिए प्रमुख वेब सूचना केंद्र हैं। यह वेबसाइट अंग्रेजी तथा हिन्दी के अलावा भारत की अन्य 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। इस विविध भाषा विशिष्टता के कारण इस पर उपलब्ध सूचनाएं देश के प्रत्येक क्षेत्र में रहने वाले निवासियों तक पहुंच रखती हैं।

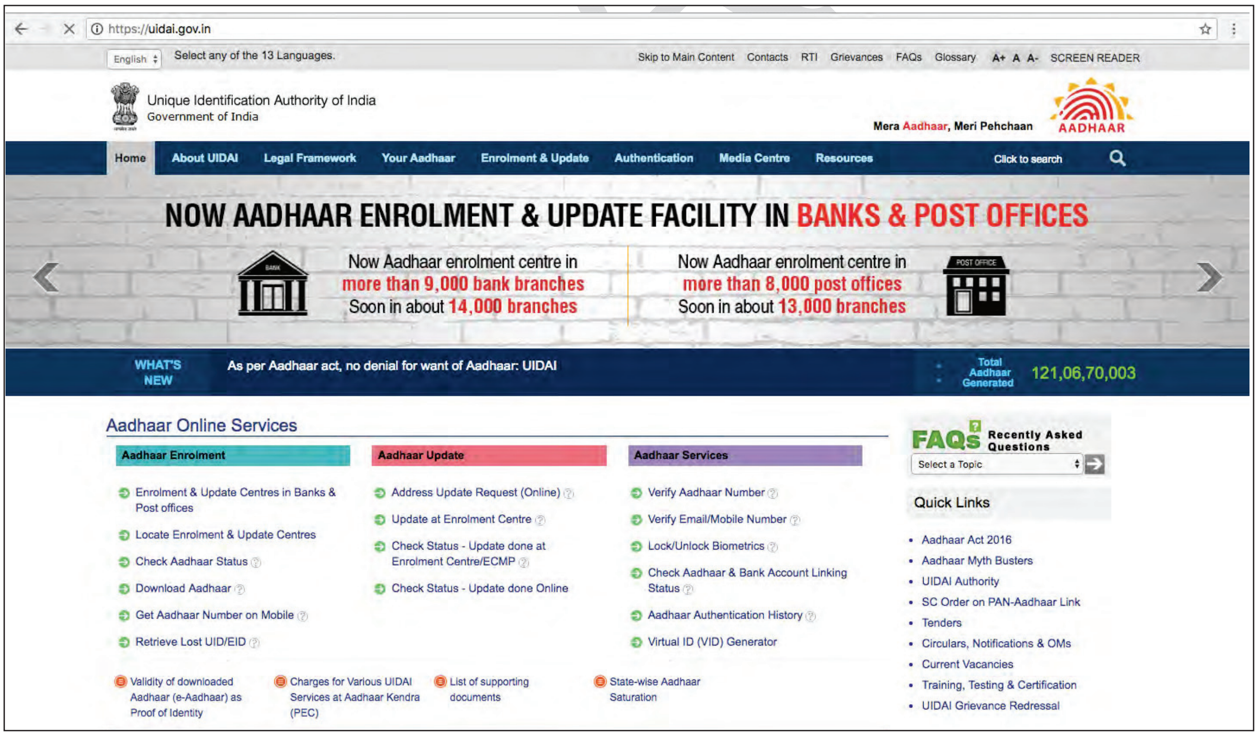

भाविपप्रा की वेबसाइट की निम्न विशिष्टताएं हैं –

1. इस वेबसाइट से आधार ऑनलाइन सेवाओं तक सीधी पहुंच प्राप्त होती है, जिससे उपयोगकर्ता को बिना किसी देरी के अपेक्षित सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिलती है।
2. इस वेबसाइट पर सरलता से मार्ग निर्देशन करने वाली विवरणिका, सार्वभौमिक समझ में आने वाले लेबल तथा खोज सुविधा/सर्चविन्डो है, जिससे अपेक्षित सूचना अत्यधिक शीघ्रता से उपलब्ध हो पाती है।
3. आधार पंजीकरण व अधिप्रमाणन प्रौद्योगिकी के सूचनाप्रद दस्तावेज, भाविपप्रा परिव्यवस्था जो आधार सेवाओं और संबद्ध व्यावसायिक प्रक्रियाओं पर जानकारी और उनको बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करती है, वेबसाइट पर उपलब्ध है।
4. नवीनतम समाचारों, प्रेस विज्ञप्तियों, वीडियो कार्यक्रमों, कार्यशालाओं तथा अभियानों, प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों इत्यादि के संबंध में नियमित अद्यतन जानकारी उपलब्ध है।
5. वेबसाइट के सम्पर्क खंड में मुख्यालय के विभिन्न प्रभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों एवं तकनीकी केंद्रों पर अधिकारियों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
6. वेबसाइट का भारत सरकार की त्वरित मूल्यांकन व्यवस्था के साथ एकीकरण किया गया है, जिससे उपयोगकर्ता पोर्टल पर ही वेबसाइट तथा अन्य आधार ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित अपना फीडबैक दे सकता है।
7. विभिन्न विषयों पर प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न 13 भाषाओं – अंग्रेजी, हिन्दी, असमी, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू एवं उर्दू में उपलब्ध करवाए गए हैं।
8. भाविपप्रा की वेबसाइट पर विजिट करने वालों की संख्या का स्नैपशॉट मासिक, अर्द्धमासिक एवं दैनिक आधार पर दर्शाया जाता है।
9. यह वेबसाइट डब्ल्यू3सी द्वारा सीएसएस एवं एचटीएमएल के लिए प्रमाणित की गई है तथा वर्तमान में इसका ऑडिट जीआईजीडब्ल्यू अनुपालन के उद्देश्य से एसटीक्यूसी द्वारा किया जा रहा है।
10. सोशल मीडिया खंड के अंतर्गत निवासियों को नवीनतम जानकारी दी जाती हैं तथा वे भाविपप्रा के फेसबुक पृष्ठ एवं ट्विटर पर प्रतिभागिता कर सकते हैं।

6.6.1 सामान्य निधान के रूप में भाविपप्रा वेबसाइट

भाविपप्रा वेबसाइट निम्न के लिए सामान्य निधान के रूप में कार्य करती हैं –

1. परिव्यवस्था सहभागियों के लिए महत्वपूर्ण नीतियां, दिशा–निर्देश, जांच सूचियां तथा अन्य ऑन–बोर्डिंग दस्तावेज को इसके संसाधन खंड में उपलब्ध कराया गया है।
2. आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 एवं इससे संबद्ध नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं एवं परिपत्रों को विधि खंड में प्रमुखता से दर्शाया गया है।
3. राज्यों तथा गैर–राज्य रजिस्ट्रारों के साथ किए गए समझौता ज्ञापन, व्यावसायिक उपयोक्ताओं के लिए निविदाएं एवं संबद्ध दस्तावेज संसाधन खंड में पंजीकरण दस्तावेज एवं भाविपप्रा दस्तावेज के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए हैं।
4. समाचार, प्रेस विज्ञप्तियां, आधार संबंधी अभियान, वीडियो एवं प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न डाउनलोड किए जा सकने वाले फॉर्मेट में मीडिया खंड में प्रदृश्य हैं।

6.6.2 आधार ऑनलाइन सेवाओं तथा अन्य पोर्टलों के लिए एकल–पहुंच अभिगमन

भाविपप्रा की वेबसाइट से निम्न सेवाओं, विश्लेषणों एवं व्यवसाय विशिष्ट पोर्टलों के लिए सीधे लिंक भी उपलब्ध कराया गया है:–

- **रेजिडेंट पोर्टल :** यह पोर्टल https://resident.uidai.gov.in/ पर उपलब्ध है। इसे विशेष रूप से निवासियों की आधार से संबंधित सभी प्रकार की जरूरतों व अपेक्षाओं जिन्हें भाविपप्रा संचलित करता है, के लिए तैयार किया गया है। रेजिडेंट पोर्टल पर निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध हैं –
  - पंजीकरण केंद्र पता करना
  - आधार स्थिति जांचना
  - आधार डाउनलोड करना
  - मोबाइल पर आधार नंबर प्राप्त करना
  - खोई हुई यूआईडी/ईआईडी प्राप्त करना
  - आधार में अपनी ई–मेल/मोबाइल नंबर की जांच करना
  - आधार विवरण ऑनलाइन अद्यतन करना
  - स्थिति जांच – ऑनलाइन अद्यतनीकरण की
  - आधार सत्यापन
  - बॉयोमीट्रिक लॉक/अनलॉक करना
  - आधार अधिप्रमाणन इतिवृत्त प्राप्त करना
- **आधार डैशबोर्ड :** विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड पर आधार पंजीकरण, अद्यतन, अधिप्रमाणन एवं ई–केवाईसी सेवाओं से संबंधित डाटा दर्शाया जाता है।

7. भावी योजनाएं

7.1 पंजीकरण एवं अद्यतन परिव्यवस्था

- **आधार डाटा प्रबंधन व्यवस्था (एडीएमएस) गुणवत्ता जांच :** भाविपप्रा द्वारा अपने आधार डाटाबेस को अद्यतन एवं सटीक स्थिति में बनाए रखने और निवासियों को समय–समय पर अपना आधार डाटा अद्यतन करने की सुविधा प्रदान की जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए आधार डाटा के गुणवत्ता सुधार को और सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए भाविपप्रा ने आधार पंजीकरण एवं डाटा अद्यतन की गुणवत्ता जांच को सुदृढ़ बनाया है।

- **आधार अद्यतन इतिवृत्त :** भाविपप्रा ने अपनी वेबसाइट से आधार धारकों को आधार अद्यतन इतिवृत्त उपलब्ध कराने की योजना बनाई है जिसका उपयोग वे अपने पते के प्रमाण, इत्यादि के लिए कर सकेंगे। इसका उपयोग नौकरी अथवा विद्यालय में प्रवेश के लिए वहां किया जा सकेगा, जहां पिछले दो से तीन वर्ष के निवास प्रमाण की प्रस्तुति की जानी आवश्यक हो।

7.2 अधिप्रमाणन परिव्यवस्था

- **चेहरा अधिप्रमाणन :** आधार पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान निवासी के चेहरे के फोटो के साथ जनांकिक विवरण (नाम, लिंग, जन्म तिथि एवं पता) एवं प्रमुख बॉयोमीट्रिक यथा अंगुलियों के निशान तथा आंख की पुतली रिकार्ड किए जाते हैं। भाविपप्रा ने चेहरा अधिप्रमाणन का कार्यान्वयन संलयन मोड में करने की योजना बनाई है, जिससे ऐसे लोगों के मामले में अधिप्रमाणन सरल हो सकेगा जिन्हें अंगुलियों के निशानों अथवा आंख की पुतली से अधिप्रमाणन करवाने में परेशानी आती है।

- **वर्चुअल पहचान :** वर्चुअल पहचान (वीआईडी) आधार से संबद्ध 16 अंकों की यादृच्छ, अस्थाई एवं प्रतिसंहरणीय पहचान है, जिसका उपयोग आधार के स्थान पर किया जा सकता है तथा वर्चुअल पहचान से आधार संख्या को पता कर पाना संभव नहीं है। किसी भी आधार के लिए किसी एक समय पर केवल एक ही सक्रिय वर्चुअल पहचान जारी की जाती है। आधार संख्या धारक अधिप्रमाणन एवं केवाईसी सेवाओं के अधिप्रमाणन में आधार संख्या के स्थान पर वर्चुअल पहचान संख्या का उपयोग कर सकता है। वर्चुअल पहचान से अधिप्रमाणन वैसे ही होता है जैसे आधार के उपयोग से किया जाता है। वर्चुअल पहचान प्रतिसंहरणीय है तथा भाविपप्रा की नीति के अनुरूप निर्धारित न्यूनतम प्रतिसंहरण अवधि की समाप्ति के पश्चात् आधार धारक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नई वर्चुअल पहचान संख्या से बदल सकता है। आधार धारकों को रेजिडेंट पोर्टल, एम–आधार, स्थाई पंजीकरण केंद्र इत्यादि में अपनी वर्चुअल पहचान के सृजन के लिए अनेक प्रकार के विकल्प उपलब्ध करवाए गए हैं। किसी ऐसे स्थान जहां एकल समय पहचान की आवश्यकता होती है, जैसे होटल चेक–इन, रेल यात्रा, एयरपोर्ट प्रवेश, आगंतुक सत्यापन, इत्यादि, वहां आधार धारक को अपना आधार नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ती अपितु इसके स्थान पर वह वर्चुअल पहचान का उपयोग बिना किसी हिचक के कर सकता है।

- **सीमित (लिमिटेड) ई–केवाईसी :** वर्तमान में भाविपप्रा ई–केवाईसी के रूप में निवासी से संबंधित जनांकिक विवरण (नाम, जन्म तिथि, लिंग एवं पता) तथा फोटो का सहभाजन करता है। तथापि, यह देखने में आया है कि सभी संस्थाओं को ऐसे पूर्ण विवरण की आवश्यकता नहीं होती है। तदनुसार, भाविपप्रा ने सीमित ई–केवाईसी के नाम से एक नई व्यवस्था प्रारम्भ की है, जिसमें भाविपप्रा केवल संबंधित संस्था की आवश्यकताओं पर आधारित सीमित जनांकिक विवरण का ही सहभाजन करेगा।

7.3 प्रचालन परिव्यवस्था

- **स्मार्ट क्यूआर कोड :** ई–आधार तथा मुद्रित आधार पत्र में विद्यमान क्यूआर कोड में जनांकिक विवरण दिया

गया होता है। भाविपप्रा ने इसे स्मार्ट क्यूआर कोड में बदलने की योजना बनाई है, जिसमें जनांकिक डाटा तथा निम्न वियोजन वाला फोटो होगा और भाविपप्रा से डिजिटल हस्ताक्षरित होगा। डिजिटल हस्ताक्षर से क्यूआर कोड में प्रदर्श डाटा का सत्यापन हो सकेगा तथा इससे आधार डाटा का ऑफलाइन सत्यापन भी किया जा सकेगा।

7.4 प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणन परिव्यवस्था

- **नव विषयवस्तु विकास एजेंसी (सीडीए) की सेवाएं प्राप्त करना :** प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणन प्रभाग वर्ष 2018 से 2021 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए एक नव विषयवस्तु विकास एजेंसी (सीडीए) की सेवाएं लेगा जो विद्यमान प्रशिक्षण एवं परीक्षण विषयवस्तु की समीक्षा कर उसे अद्यतन करेगी तथा ऑनलाइन प्रज्ञाता प्रबंधन व्यवस्था सहित सभी हितधारकों के लिए नव विषयवस्तु विकसित करेगी। साथ ही, नव विषयवस्तु विकास एजेंसी संबंधित हितधारकों को नई नीतियों एवं दिशा–निर्देशों के प्रति जागरूक करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर मास्टर प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित करेगी। प्रशिक्षण विषयवस्तु का अनुवाद अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी किया जाएगा जिससे देश भर में से विभिन्न हितभागियों तक इसकी पहुंच में बढ़ोतरी हो सके।
- **नई परीक्षण व प्रमाणन एजेंसी की सेवाएं प्राप्त करना :** प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणन प्रभाग ने नई परीक्षण एवं प्रमाणन एजेंसी की सेवाएं प्राप्त की हैं जो विद्यमान पंजीकरण कर्मचारियों एवं विभिन्न हितभागियों के लिए समय–समय पर जारी नई भूमिकाओं के लिए प्रमाणन कार्यक्रम संचालित करेगी । यह कार्यक्रम जुलाई 2018 में प्रारम्भ किए जाने की संभावना है।
- **प्रशिक्षण कैलेंडर व मास्टर प्रशिक्षण सत्र की प्रस्तुति :** प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणन प्रभाग भाविपप्रा के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए आधार पंजीकरण एवं अधिप्रमाणन सेवाओं से संबंधित मास्टर प्रशिक्षक सत्रों के आवधिक प्रशिक्षण कैलेंडर की प्रस्तुति करेगा।

7.5 ग्राहक संपर्क प्रबंधन

- हमारी मौजूदा संपर्क केंद्र अवसंरचना लगभग 5 वर्ष पुरानी है तथा वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप अनेक महत्वपूर्ण घटकों जैसे ग्राहक संपर्क प्रबंधन/सीआरएम और अवाया कम्युनिकेशन सिस्टम को उन्नत या पुनः परिकल्पित करने की आवश्यकता है ताकि प्रगतिशील विशेषताओं व ओमनी चैनल कंटेक्स्ट आधारित उपागम को एकीकृत किया जा सके। साथ ही, आने वाले वर्षों में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही उन्नति से कदमताल बनाए रखने के लिए भाविपप्रा अन्य चैनलों/सीआरएम से संबंधित नई प्रौद्योगिकियों को लागू करने में प्रयासरत है ताकि वेब इंटरफेस सुदृढ़ किया जा सके।

7.6 भाविपप्रा वेबसाइट

- **भुगतान गेटवे से ऑनलाइन सेवाएं :** भाविपप्रा ने बैंकिंग सेवा प्रदाताओं के सहयोग से अपनी मुख्य वेबसाइट के माध्यम से निवासियों को सशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। सेवा प्रदाता नेट बैंकिंग सुविधाओं के अंतर्गत भाविपप्रा की वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान के लिए लिंकेज सृजित करेंगे।

8. वित्तीय कार्य निष्पादन

8.1 वित्तीय परामर्श/सहमति

- वित्तीय निहितार्थों का उचित अधिमूल्यन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नीति एवं कार्यक्रम निरूपण गतिविधियों से संबद्धता।
- वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए परामर्श।
- ऐसे सभी मामलों पर वित्तीय परामर्श, जिनमें व्यय/स्वीकृति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से आवश्यकता संबद्ध स्वीकृति (एओएन) तथा व्यय संबद्ध स्वीकृति (ईएएस) हेतु वित्तीय प्रस्तावना की जानी है।
- निविदा/प्रस्ताव अनुरोध दस्तावेजों, अनुबंधों में सशोधन सहित अनुबंध के संबंध में वित्तीय दृष्टिकोण से पुनरीक्षा।
- भाविपप्रा के अधिकारियों की विदेश प्रतिनियुक्ति के लिए संवीक्षा एवं स्वीकृति।
- विभिन्न समितियों में प्रतिनिधित्व (निविदा खोलने तथा वित्तीय मूल्यांकन की समिति, वाणिज्यिक मोल भाव समिति, अन्य समितियां)
- अधिप्राप्ति मैनुअल के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था द्वारा 'सम्यक् तत्परता' तथा अधिप्राप्ति एवं अनुबंधों के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नियमों एवं विनियमों तथा दिशानिदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करना।

8.2 बजट निर्माण

- बजट का निर्माण तथा संबद्ध कार्य (बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं अनुपूरक सहायता, पुनर्विनियोजन इत्यादि) ।
- मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यात्मक प्रभागों के मध्य बजट का निर्धारण।
- मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के व्यय एवं लेखांकन कार्यकलापों की निगरानी एवं नियंत्रण।

8.3 व्यय एवं रोकड़ प्रबंधन

- वेतन एवं भत्तों का भुगतान तथा मुख्यालय के कर्मचारियों के वैयक्तिक दावों का निपटान।
- आपूर्तिकर्ताओं के माल एवं सेवाओं से संबंधित प्रत्येक प्रकार के बिलों का भुगतान।
- सभी लेखा बहियों का रख–रखाव तथा वार्षिक वित्तीय विवरणों का निर्माण।

8.4 आंतरिक लेखापरीक्षा

- मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों/तकनीकी केंद्रों के कार्यात्मक प्रभागों की लेखापरीक्षा के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करना।
- लेखापरीक्षा के लिए श्रमशक्ति की तैनाती, लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप प्रदान करना तथा उससे संबंधित प्रभाग/क्षेत्रीय कार्यालय/तकनीकी केंद्र को जारी करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के अनुपालन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई।

8.5 अन्य कार्यकलाप

- नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक/लोक लेखा समिति/भाविपप्रा के संबंध में ऑडिट पैरा से जुड़े मामले।
- लेखापरीक्षा महानिदेशक का कार्यालय, पीएंडटी, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑडिट पैरा के संबंध में कार्यात्मक प्रभागों द्वारा दिए उत्तर/अनुपालन की पुनरीक्षा।
- आर्थिक सर्वेक्षण के लिए सामग्री उपलब्ध कराना, इत्यादि।

8.6 बजट एवं व्यय

- वित्त वर्ष 2017–18 के लिए भाविपप्रा के अनुमोदित बजट आकलन तथा संशोधित आकलन क्रमशः 900.00 करोड़ रुपए तथा 1200.00 करोड़ रुपए हैं। 1200.00 करोड़ रुपए के संशोधित आकलन की तुलना में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 1150

करोड़ आबंटित किए गए तथा वर्ष के दौरान 1148.34 करोड़ रुपए व्यय किए गए।

- वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 1375.00 करोड़ रुपए के बजट आकलन अनुमोदित किए गए हैं।
- भाविपप्रा की संस्थापना के पश्चात् से बजट एवं व्यय का विवरण तालिका–12 में तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट एवं व्यय का सारांश तालिका–13 में दिया गया है।

तालिका 12. बजट एवं व्यय (संस्थापना के पश्चात् से)

वर्ष	बजट आकलन (रुपए करोड़ में)	संशोधित आकलन (रुपए करोड़ में)	व्यय (रुपए करोड़ में)
2009–10	120.00	26.38	26.21
2010–11	1,900.00	273.80	268.41
2011–12	1,470.00	1,200.00	1,187.50
2012–13	1,758.00	1,350.00	1,338.72
2013–14	2,620.00	1,550.00	1,544.44
2014–15	2,039.64	1,617.73	1,615.34
2015–16	2,000.00	1880.93	1680.44
2016–17	1140.00	1135.27	1132.84
2017–18	900.00	1200.00*	1148.34
* अंतिम आबंटन 1150.00 करोड़ रुपए है।			

तालिका 13. बजट एवं व्यय (2017-18)

प्रचालन शीर्ष	वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान (रुपए करोड़ में)	वर्ष 2017–18 में प्राप्त निधियां (रुपए करोड़ में)	31 मार्च, 2018 तक समेकित व्यय (रुपए करोड़ में)	वर्ष 2017–18 में स्वीकृत निधियों के प्रति व्यय प्रतिशत (रुपए करोड़ में)
31 – अनुदान सहायता सामान्य	714.98	919.98	918.96	99.89
35 – पूंजी परिसम्पतियों के निर्माण के लिए अनुदान सहायता	145.02	185.02	185.02	100.00
36 – वेतन के लिए अनुदान सहायता	40.00	45.00	44.36	98.58
योग	900.00	1150.00	1148.34	99.86

9. भाविपप्रा का वर्ष 2017-18 का लेखापरीक्षित विवरण

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (आधार अधिनियम, 2016), की धारा 26 (2) के साथ पठित नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्त अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न तुलन पत्र और उस अवधि के आय व व्यय लेखा/प्राप्ति व भुगतान लेखों की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारा दायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, वर्गीकरण, श्रेष्ठ लेखांकन रीतियों के अनुरूप, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में केवल लेखांकन संव्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां अंतर्निहित हैं। विधियों, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) के अनुपालन में वित्तीय लेन–देनों एवं दक्षता–सह निष्पादन पहलुओं इत्यादि, यदि कोई हो, पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों की रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से दी जाती हैं।

3. हमने लेखापरीक्षण भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि लेखापरीक्षा की योजना बनाने और उसे निष्पादित करने में हम यह तार्किक आश्वासन प्राप्त कर सकें कि वित्तीय विवरण किसी वस्तुपरक मिथ्या कथन से मुक्त हों। लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणियों में धनराशियों के समर्थन में प्रमाणों और प्रकटीकरणों की जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और सार्थक अनुमानों के साथ–साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा, हमारी राय के संबंध में तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि:

i. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में आवश्यक थे।

ii. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र और आय व व्यय लेखा/प्राप्ति व भुगतान लेखा आधार अधिनियम, 2016 की धारा 26 (1) के अधीन महालेखानियंत्रक द्वारा अनुमोदित 'लेखों का एकरूप प्रपत्र' में तैयार किया गया है।

iii. हमारी राय में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा समुचित लेखा–बहियां और अन्य संगत अभिलेख अनुरक्षित किए गए हैं।

iv. हम यह भी प्रतिवेदित करते हैं कि:

अचल आस्तियां (पट्टे पर धारित भूमि) (अनुसूची–8) 9.87 करोड़ रुपए मूल्यह्रास 251.32 करोड़ रुपए

लेखांकन अनुसूची 26 के खंड 62 के अनुसार, प्रारंभिक पहचान के बाद, एक अमूर्त आस्ति को अपनी लागत से हर तरह के संचित परिशोधन और किसी भी संचित क्षति को कम करते

हुए आगे ले जाया जाना चाहिए। यूआईडीएआई के पास 24 जून, 2011 से 30 वर्ष की अवधि के लिए 9.87 करोड़ रुपए धनराशि की जमीन पट्टे पर है, किन्तु इसने पट्टे की अवधि तक पट्टे के खर्च को परिशोधित नहीं किया है। इसके फलस्वरूप वर्तमान खर्चों के साथ–साथ घाटे को 2.21 करोड़ रुपए कम बताया गया है।

अनुदान सहायता

वर्ष के दौरान यूआईडीएआई ने 1150 करोड़ रुपए की प्राप्त अनुदान सहायता में से 1149.59 करोड़ रुपए का उपयोग किया और 0.41 करोड़ रुपए शेष रहे।

(i). पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के अध्यधीन, हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि इस रिपोर्ट में लेखा परीक्षा किए गए तुलन पत्र और आय व व्यय लेखा/प्राप्ति व भुगतान लेखा लेखाबहियों के अनुरूप हैं।

(ii). जहां तक–

क. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) कार्यदशाओं के तुलन पत्र और

ख. उस तिथि को समाप्त वर्ष के अधिशेष आय व व्यय लेखे का संबंध है, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऊपर कथित महत्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध–I में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्यधीन लेखांकन नीतियों और लेखा–टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणियां भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और निष्कपट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(संगीता चौरे)
महानिदेशक, लेखा परीक्षा
(डाक एवं दूरसंचार)

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध–1

हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार लेखापरीक्षण की सामान्य कार्यप्रणाली में लेखा बहियों और अभिलेखों की जांच की गई तथा अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास में, हम यह भी प्रतिवेदित करते हैं कि:

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

यूआईडीएआई में प्रशासनिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु अगस्त/सितम्बर 2011 में आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली शुरू की गई थी। आन्तरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को आवश्यक सुधार के लिए उप महानिदेशक (वित्त) को प्रस्तुत किया गया है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

(क) आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में धन परिप्रेक्ष्यों के साथ विभिन्न परियोजनाओं में मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावकारिता पैरामीटरों का मूल्यांकन भी शामिल है।

(ख) लेखापरीक्षा का परिमाण और लंबित पैरा

आंतरिक लेखापरीक्षा में यूआईडीएआई मुख्यालय के साथ–साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुरक्षित सभी लेखों के रिकार्ड की सामान्य समीक्षा की गई। सामान्य समीक्षा के अलावा आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभारी द्वारा चयनित, वर्ष के न्यूनतम एक माह के लेखा अभिलेखों की व्यापक जांच भी की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि वर्ष 2016–17 और 2017–18 के दौरान लंबित 92 पैराओं का अभी निपटारा किया जाना बाकी है।

(ग) यूआईडीएआई में आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति

मुख्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में, व्यय और अंतर्निहित प्रक्रिया और क्रियाविधियों की लेखापरीक्षा त्रैमासिक आधार पर की गई थी।

क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रौद्योगिकी केन्द्र की आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में, लेखापरीक्षा वर्तमान वार्षिक आधार पर की गई थी।

आंतरिक लेखापरीक्षा में जांच की सीमा और प्रकृति में निम्नलिखित शामिल है:

(क) अनुपालन/नियमितता के मामले;

(ख) वित्तीय मामले;

(ग) गैर–वित्तीय मामले; और

(घ) मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावकारिता के मामले।

(घ) प्राप्तियों की जांच

यूआईडीएआई का संबंधित प्रभाग यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है कि सभी प्रकार के राजस्व (शुल्क/अर्थदंड आदि) या देयताओं को सही और समुचित रूप से मूल्यांकन, वसूली और भारत की समेकित निधि में जमा कर दिया गया है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा में यह देखने के लिए अनिवार्यतः जांच की जाती है कि यूआईडीएआई द्वारा सभी राजस्व प्राप्तियों और वसूलियों के संग्रहण और लेखाकरण की प्रभावी जांच हेतु पर्याप्त विनियम और प्रक्रियायें निर्धारित की गई है और उनका समुचित अनुपालन किया जा रहा है।

3. अचल आस्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

अचल आस्तियों के रजिस्टरों को मैनुअली अनुरक्षित नहीं किया गया है। अचल आस्तियों का विवरण कम्प्यूटरीकृत रूप में उपलब्ध है। यूआईडीएआई में आस्तियों/भंडार का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है।

4. समान–सूची (इनवेंटरी) के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

यूआईडीएआई में सामान–सूची (इनवेंटरी) का रखरखाव नहीं किया जा रहा है।

5. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

यूआईडीएआई सांविधिक देयताओं के भुगतान में तत्पर है। तथापि, स्रोत पर की गई कटौती के मामले में 65.95 लाख रुपए की राशि के संबंध में चूक/विवाद है, जिसका निपटारा होना बाकी है।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
उप–निदेशक (एएमजी–II)

अस्वीकरण: प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी लिखित रिपोर्ट ही मान्य होगी।

31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(राशि / रु.)

क्र. सं.	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष
	देयताएं		
1.	आधारभूत / पूंजीगत निधि	1	11,736,227,846.32
2.	आरक्षित और अधिशेष	2	-
3.	निर्धारित / अक्षय निधियां	3	-
4.	प्रतिभूत ऋण और उधारी	4	-
5.	अप्रतिभूत ऋण और उधारी	5	-
6.	आस्थगित ऋण देयताएं	6	-
7.	वर्तमान देयताएं और प्रावधान	7	1,192,006,608.57
	कुल		**12,928,234,454.89**
	आस्तियां		
1.	अचल आस्तियां	8	9,236,480,121.77
2.	निर्धारित / अक्षय निधियों से निवेश	9	-
3.	अन्य निवेश	10	693,806,214.00
4.	वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	11	2,997,948,119.12
5.	विविध व्यय (उस सीमा तक जहां उसे बट्टे खाते नहीं डाला गया हो अथवा समायोजित नहीं किया गया हो)		-
	कुल		**12,928,234,454.89**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	25	-
	आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां	26	-

नोटः– तुलन–पत्र की सभी अनुसूचियां लेखों का भाग होंगी।

ह0 / –	ह0 /	ह0 /
सहायक महानिदेशक	उप महानिदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि / रू.)

क्र. सं.	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष
	आय		
1	सेवाओं से आय	12	-
2	अनुदान / सबसिडी	13	9,649,800,000.00
3	शुल्क / अभिदान	14	-
4	निवेश से आय (निधि में अंतरित निर्धारित अक्षय निधियों से निवेश पर आय)	15	-
5	रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-
6	अर्जित ब्याज	17	-
7	अन्य आय	18	
8	तैयार सामग्रियों और प्रगतिरत कार्य के स्टॉक में वृद्धि / (कमी)	19	-
	कुल (क)		**9,649,800,000.00**
	व्यय		
1	स्थापना व्यय	20	417,801,249.95
2	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	617,200,636.80
3	परिचालन व्यय	22	8,162,713,218.31
4	अनुदान, सबसिडी आदि पर व्यय	23	-
5	ब्याज	24	-
6	मूल्यह्रास (साल के अंत में नेट अनुसूची– 8 के तदनुरूप)		2,513,205,144.30
	कुल (ख)		**11,710,920,249.36**
	व्यय पर आय की अतिरिक्त शेष राशि (क–ख)		**(2,061,120,249.36)**
	स्पेशल रिजर्व में स्थानांतरण हेतु (प्रत्येक निर्दिष्ट करें)		-
	जनरल रिजर्व से / को स्थानांतरण		-
	शेष बतौर अधिशेष / (घाटा) आधारभूत / पूंजीगत निधि के लिए		**(2,061,120,249.36)**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	25	-
	आकस्मिक देयताएं और लेखा पर नोट्स	26	-

नोटः – आय और व्यय लेखों की सभी अनुसूचियां लेखों का भाग होंगी।

ह0 / –	ह0 / –	ह0 / –
सहायक महानिदेशक	उप महानिदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

(राशि / रु.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष
	प्राप्तियां	
1.	प्रारंभिक शेष	
	क. नकदी	291,000.00
	ख. बैंक राशि	-
	i. चालू खातों में	-
	ii. जमा खातों में	-
	iii. बचत खाते	-
2.	प्राप्त अनुदान / सबसिडी	-
	क. भारत सरकार से	-
	i. अनुदान सहायताः सामान्य	9,199,800,000.00
	ii. अनुदान सहायता : वेतन	450,000,000.00
	iii. अनुदान सहायताः पूंजी	1,850,200,000.00
	ख. राज्य सरकार से	-
	ग. अन्य सूत्रों से (विवरण) पूंजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदान अलग से दिखाया जाए।	-
3.	सेवाओं से आय	979,649,065.69
4.	निवेश से आय	-
	क. निर्धारित / अक्षय निधि	-
	ख. स्वयं की निधि (अन्य निवेश)	11,135,091,322.00
5.	प्राप्त ब्याज	-
	क. बैंक जमा राशियों पर	61,687,823.00
	ख. ऋण, अग्रिम आदि	-
	ग. अन्य	-
6.	अन्य आय (निविदा शुल्क, आरटीआई शुल्क आदि)	794,641.48
7.	जुर्माना और परिनिर्धारित हर्जाना	553,705,885.00
8.	स्क्रैप की बिक्री	17,991,138.00
9.	मुख्यालय से प्राप्त धन	868,692,278.00
10.	अन्य प्राप्तियॉ	-
	क. एनपीएस	-
	ख. छुट्टी वेतन पेंशन अंशदान	-
	ग. प्रतिभूति / बयाना जमा	4,080,000.00
	घ. अग्रिमों की वापसी	-

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष
	i. एलटीसी	4,864,173.00
	ii. कार अग्रिम	6,324.00
	iii. सामान्य कार्यालय व्यय	1,229,064.00
	iv. कम्प्यूटर अग्रिम	25,937.00
	v. अन्य अग्रिम	52,850.00
	ङ जीएसटी/टीडीएस	57,359,152.84
	च. राज्य प्राधिकरणों द्वारा वापस किया गया अग्रिम	519,934,317.00
	छ. ठेकेदारों द्वारा वापस किया गया अग्रिम	16,300.00
	ज. विविध प्राप्तियां	-
	कुल	**25,705,471,271.01**
	भुगतान	
1.	स्थापना व्यय	377,499,508.91
2.	अन्य प्रशासनिक व्यय	621,060,272.12
3.	परिचालन खर्च	7,915,653,957.32
4.	विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि से भुगतान	-
5.	किए गए निवेश और जमा राशि	-
	क. निर्धारित/अक्षय निधि से	-
	ख. स्वयं के धन से (निवेश–अन्य)	11,305,450,000.00
6.	अचल आस्ति और पूंजी प्रगति कार्यों पर व्यय	-
	क. अचल आस्तियों की खरीद	691,204,809.54
	ख. पूंजी प्रगति कार्यों पर व्यय	412,542,687.00
7.	अधिशेष धन/ऋण की वापसी	-
	क. भारत सरकार को	904,427,865.00
	ख. राज्य सरकार को	-
	ग. अन्य धन प्रदाताओं को	-
8.	वित्त प्रभार (ब्याज)	-
9.	क्षेत्रीय कार्यालयों को दिए गए फंड	868,692,278.00
10.	अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)	-
	क. एनपीएस	-
	ख. छुट्टी वेतन पेंशन अंशदान	-
	ग. जमा बयाना राशि (ईएमडी)	-
	घ. अग्रिम	-

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष
	i. सामान्य कार्यालय व्यय	1,613,405.00
	ii. कार अग्रिम	6,324.00
	iii. कम्प्यूटर	25,937.00
	iv. एलटीसी	6,947,480.00
	v. राज्य प्राधिकरणों	1,825,622,827.00
	ङ. आयकर	7,072,806.00
	च. ठेकेदारों को अग्रिम	79,675,856.00
	छ. केएसआईआईडीसी को अग्रिम किराया	3,367,140.00
	ज. विद्युत विभाग के पास जमा	12,421,762.00
	झ. सीआईएसएफ के पास जमा	51,424,200.00
	ञ. यूपीसीआईडीसीओ के पास जमा (किराया)	308,464.00
	ट. सीपीडब्लूडी के पास जमा (हैदराबाद)	120,000.00
	ठ. बयाना वापसी	4,000,000.00
	ड. निविदा शुल्क वापसी	1,500.00
11.	अंत शेष	-
	क. नकदी	325,920.00
	ख. बैंक बकाया	-
	i. चालू खातों में	616,006,272.12
	ii. जमा खातों में	-
	iii. बचत खातों में	-
	कुल	**25,705,471,271.01**

ह0/–	ह0/–	ह0/–
सहायक महानिदेशक	उप महानिदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची 1—आधारभूत/पूंजीगत निधि
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का संरूपित भाग

(राशि/रु.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष
1.	वर्ष के प्रारंभ की स्थिति के अनुसार शेष राशि	11,951,222,736.08
2.	जोड़ः आधारभूत राशि/पूंजीगत निधि हेतु योगदान	1,846,125,359.60
3.	जोड़/(घटा)ः आय और व्यय खाते से अंतरित शुद्ध आय/(व्यय) के शेष	(2,061,120,249.36)
	वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार शेष राशि	**11,736,227,846.32**

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
उप महानिदेशक

अनुसूची 2—आरक्षित और अधिशेष
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का संरूपित भाग

(राशि / रु.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	
1.	**आरक्षित पूंजी**		
	पिछले लेखों के मुताबिक		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	घटानाः वर्ष के दौरान कटौतियां		
2.	**पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति**		
	पिछले लेखों के अनुसार		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	घटानाः वर्ष के दौरान कटौतियां		
3.	**विशेष आरक्षिति**		
	पिछले लेखों के अनुसार		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	घटानाः वर्ष के दौरान कटौतियां		
4.	**सामान्य आरक्षिति**		
	पिछले लेखों के अनुसार		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	घटानाः वर्ष के दौरान कटौतियां		
	कुल		

ह0 / –
सहायक महानिदेशक

ह0 / –
उप महानिदेशक

आधार

अनुसूची 3–निर्धारित/अक्षय निधियां
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का संरूपित भाग

(राशि/रु.)

क्र. सं.	विवरण	निधिवार विवरण				कुल
		निधि वेतन	निधि सामान्य	निधि अचल आस्तियां	निधि राजस्व	वर्तमान वर्ष
1.	**निधियों का अथ शेष**					
2.	**निधियों में परिवर्धन**					
	क. दान/ अनुदान					
	ख. निधि के निवेश से आय					
	ग. लाइसेंस से आय एवं एनआरडी					
	घ. जुर्माना, हर्जाना एवं डिसइंसेंटिव					
	ङ. स्क्रैप की बिक्री					
	च. अन्य आय					
	कुल (1 + 2)					
3.	**निधियों के उद्देश्यों की दिशा में उपयोग/व्यय**					
	क. पूंजीगत व्यय					
	i. अचल आस्ति					
	ii. अन्य					
	कुल					
	ख. राजस्व व्यय					
	i. वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि					
	ii. किराया					
	iii. अन्य प्रशासनिक व्यय					
	ग. केंद्र सरकार के पास जमा					
	कुल					
	कुल (3)					
	वर्ष के अंत में निवल शेष (1+2-3)					

टिप्पणियाँ 1) अनुदान के लिए निर्धारित शर्तों के आधार प्रासंगिक शीर्षों का प्रकटीकरण किया जाएगा।

2) केंद्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्ति योजना निधियों को अलग निधि के रूप में दर्शाया जाना चाहिए और किन्हीं अन्य निधियों के साथ न मिलाया जाए।

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
उप महानिदेशक

अनुसूची 4—सुरक्षित ऋण और उधारी
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का संरूपित भाग

(राशि / रु.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष
1.	**केंद्र सरकार**	
2.	**राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)**	
3.	**वित्तीय संस्थाएं**	
	क. मियादी ऋण	
	उपचित और देय ब्याज	
4.	**बैंक:**	
	क. मियादी ऋण	
	उपचित और देय ब्याज	
	ख. अन्य ऋण (निर्दिष्टि करें)	
	उपचित ब्याज और देय	
5.	**अन्य संस्थाएं और एजेंसियां**	
6.	**डिबेंचर्स और बांड**	
7.	**अन्य (निर्दिष्ट करें)**	
	कुल	

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि

ह0/—
सहायक महानिदेशक

ह0/—
उप महानिदेशक

अनुसूची 5—असुरक्षित ऋण और उधारी
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का संरूपित भाग

(राशि/रु.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष
1.	**केंद्र सरकार**	
2.	**राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)**	
3.	**वित्तीय संस्थाए**	
	क. मियादी ऋण	
	उपचित और देय ब्याज	
4.	**बैंक:**	
	क. मियादी ऋण	
	उपचित और देय ब्याज	
	ख. अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	
	उपचित ब्याज और देय	
5.	अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	
6.	डिबेंचर्स और बांड	
7.	सावधि जमा	
8.	अन्य (निर्दिष्ट करें)	
	कुल	

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि

ह0/—
सहायक महानिदेशक

ह0/—
उप महानिदेशक

अनुसूची 6—आस्थगित ऋण देयताएं
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का संरूपित भाग

(राशि / रु.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष
1.	पूंजी उपकरणों और अन्य आस्तियों के दृष्टिबंधक द्वारा प्रतिभूत स्वीकृतियां	
2.	अन्य	
	कुल	

नोटः एक वर्ष के भीतर देय राशि

ह0 / —
सहायक महानिदेशक

ह0 / —
उप महानिदेशक

अनुसूची 7–वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का भाग बनाया गया

(राशि/रु.)

क्र. सं.	विवरण		चालू वर्ष
	वर्तमान देयताएं		
1.	**स्वीकृतियां**		
2.	**विविध लेनदार**		
	क. माल एवं सेवाएँ हेतु		154,304,209.90
	ख. अन्य		80,000.00
3.	**प्राप्त अग्रिम**		
4.	**उपचित अदेय ब्याजः–**		
	क. जमानती ऋण/उधार	-	-
	ख. गैर–जमानती ऋण/उधार	-	-
5.	**सांविधिक देयताएंः–**		
	क. अतिदेय	-	-
	ख. अन्य		(168,965,771.91)
6.	**अन्य वर्तमान देयता**		
क.	**अनुदान – पूंजी निर्माण**		
	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	1,850,200,000.00	-
	कमः वर्ष के दौरान उपयोग किए गए अनुदान	1,846,125,359.60	4,074,640.40
ख.	**अनुदान – वेतन**		
	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	450,000,000.00	-
	कमः आय को हस्तांतरित राजस्व अनुदान	450,000,000.00	-
ग.	**अनुदान –सामान्य**		
	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	9,199,800,000.00	-
	कमः आय को हस्तांतरित राजस्व अनुदान	9,199,800,000.00	-
घ.	**प्रतिधारित आय – केंद्र सरकार**		
	क. निधि के निवेश से प्राप्त आय	61,687,823.00	-
	ख. लाइसेंस से आय एवं एनआरडी	979,649,065.69	-
	ग. जुर्माना, हर्जाना एवं डिसइंसेंटिव	553,705,885.00	-
	घ. स्क्रैप की बिक्री	17,991,138.00	-

क्र. सं.	विवरण		चालू वर्ष
	ङ. ब्याज से आय	3,776,230.00	-
	च. अन्य आय	794,641.48	-
		1,617,604,783.17	-
	कमः केंद्र सरकार को वापस कर दिया गया	904,427,865.00	713,176,918.17
	कुल (क)		**702,669,996.56**
	प्रावधान		
1.	कराधान के लिए		-
2.	ग्रेच्युटी		-
3.	अधिवर्षिता/पेंशन अंशदान		-
4.	संचित छुट्टी नकदीकरण		-
5.	व्यापार वारंटियां/दावे		-
6.	देय छुट्टी वेतन		-
7.	अन्य (वेतन, सामान्य कार्यालय और अन्य व्यय देय)		489,336,612.01
	कुल (ख)		**-**
	कुल (क + ख)		**1,192,006,608.57**

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
उप महानिदेशक

अनुसूची 8—अचल आस्तियां

(राशि / रु.)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्षारंभ की स्थिति के अनुसार लागत / मूल्यांकन (01/04/2017)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति के अनुसार लागत / मूल्यांकन	01/04/2017 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियां	31/03/2018 को	31/03/2018 को	गत वर्ष 31/03/2017 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अचल आस्तियां										
1. भूमि										
क. पूर्ण स्वामित्व में	351,338,050.00	-	-	351,338,050.00	-	-	-	-	351,338,050.00	351,338,050.00
ख. पट्टे पर	98,764,050.00	-	-	98,764,050.00	-	-	-	-	98,764,050.00	98,764,050.00
कुल (1)	**450,102,100.00**	**-**	**-**	**450,102,100.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**450,102,100.00**	**450,102,100.00**
2. कार्यालय भवन और डाटा सेंटरः										
क. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर	874,475,125.00	95,026,060.00		969,501,185.00	9,066,191.00	14,521,886.14		23,588,077.14	945,913,107.86	865,408,934.00
ख. पट्टे पर दी गई भूमि पर	1,150,000,000.00	-	-	1,150,000,000.00	32,595,410.96	18,208,333.80	-	50,803,744.76	1,099,196,255.98	1,117,404,589.04
ग. स्वामित्व वाले फ्लैट्स	-									
घ. इकाई से असंबंधित भूमि पर सुपरस्ट्रक्चर	-	-		-	-	-	-	-	-	-
कुल (2)	**2,024,475,125.00**	**95,026,060.00**	**-**	**2,119,501,185.00**	**41,661,601.96**	**32,730,219.94**	**-**	**74,391,821.90**	**2,045,109,363.84**	**1,982,813,523.04**
3. संयंत्र मशीनरी और उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. मशीनरी और उपकरण	1,889,843,401.22			1,889,843,401.22	220,967,982.51	119,690,082.08		340,658,064.59	1,549,185,336.63	1,668,875,418.71
ख. प्रौद्योगिकी बुनियादी सुविधाएं (सर्वर एवं डीपीयू)	14,565,827,491.00	-	-	14,565,827,491.00	8,341,138,632.16	2,285,447,714.42	-	10,626,586,346.58	3,939,241,144.42	6,224,688,858.84
ग. यूबीसीसी बुनियादी सुविधाएं	-	-		-	-	-		-	-	-
घ. सूचना प्रौद्योगिकी (सॉफ्टवेयर)	1,840,096.40	333,301,778.00	-	335,141,874.40	1,683,183.10	32,098,467.25	-	33,781,650.36	301,360,224.04	156,913.30
कुल (3)	**16,457,510,988.62**	**333,301,778.00**	**-**	**16,790,812,766.62**	**8,563,789,797.77**	**2,437,236,263.75**	**-**	**11,001,026,061.53**	**5,789,786,705.09**	**7,893,721,190.85**

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्षारंभ की स्थिति के अनुसार लागत / मूल्यांकन (01/04/2017)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति के अनुसार लागत / मूल्यांकन	01/04/2017 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियां	31/03/2018 को	31/03/2018 को	गत वर्ष 31/03/2017 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. वाहन	-	777,682.00	-	777,682.00		18,707.69	-	18,707.69	758,974.31	
5. फर्नीचर एवं फिक्सचर	76,779,030.97	9,030,218.30	-	85,809,249.27	14,448,538.00	7,413,151.72	-	21,861,689.72	63,947,559.55	62,330,492.97
6. कार्यालयी उपकरण	55,778,381.94	1,829,573.92		57,607,955.86	37,849,656.93	6,740,610.62	-	44,590,267.55	13,017,688.31	17,928,725.01
7. कंप्यूटर/पेरिफेरल (डेस्कटॉप, प्रिंटर एवं अन्य)	89,814,701.56	306,265,026.89		396,079,728.45	81,257,489.18	25,798,111.72		107,055,600.90	289,024,127.55	8,557,212.38
8. विद्युत स्थापना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. पुस्तकालय किताबें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य अचल आस्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. लैपटाप एवं टेबलेट	22,502,186.10	2,920,837.67	-	25,423,023.77	16,824,688.24	2,418,265.80		19,242,954.04	6,180,069.73	5,677,497.86
ख. मोबाइल फोन	6,886,029.84	979,439.00	-	7,865,468.84	5,646,006.39	849,813.06	-	6,495,819.45	1,369,649.39	1,240,023.44
कुल (10)	29,388,215.94	3,900,276.67	-	33,288,492.61	22,470,694.63	3,268,078.86	-	25,738,773.49	7,549,719.12	6,917,521.30
चालू वर्ष का योग (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	19,183,848,544.03	750,130,615.78	-	19,933,979,159.81	8,761,477,778.47	2,513,205,144.30	-	11,274,682,922.78	8,659,296,237.77	10,422,370,765.55
गत वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रगतिरत कार्य पूंजी	164,941,303.00	412,242,581.00	-	577,183,884.00	-	-	-	-	577,183,884.00	164,941,303.00
कुल	19,348,789,847.03	1,162,373,196.78	-	20,511,163,043.81	8,761,477,778.47	2,513,205,144.30	-	11,274,682,922.78	9,236,480,121.77	10,587,312,068.55

(उपर्युक्त में शामिल किराया, खरीद आधार पर आस्तियों की लागत के बारे में टिप्पणी दी जानी है।)

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
उप महानिदेशक

अनुसूची 9–निर्धारित /अक्षय निधि से निवेश
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का संरूपित भाग

(राशि/रु.)

क्र. स.	विवरण	चालू वर्ष
1.	सरकारी प्रतिभूतियां	
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	
3.	शेयर	
4.	डिबेंचर्स और बांड	
5.	समनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम	
6.	अन्य (स्पष्ट किया जाना है)	
	कुल	

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
उप महानिदेशक

अनुसूची 10 – अन्य निवेश
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का संरूपित भाग

(राशि/रु.)

क्र. सं.	विवरण		चालू वर्ष
1.	सरकारी प्रतिभूतियां		-
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों		-
3.	शेयर		-
4.	डिबेंचर्स और बांड		-
5.	सहायक कंपनियां और संयुक्त वेंचर्स		-
6.	अन्य (स्पष्ट किया जाना है)		-
	क. ऑटो स्वीप के रूप में बैंकों में सावधि जमा		170,358,678.00
	ख. एफडी प्रोजेक्ट– ईआईएल		-
	प्रारंभिक शेष	37,00,00,000	-
	जोड़ें: अर्जित ब्याज	37,76,230	-
	जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	14,96,71,306	523,447,536.00
	कुल		**693,806,214.00**

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
उप महानिदेशक

अनुसूची 11 – वर्तमान आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम इत्यादि
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का संरूपित भाग

(राशि/रु.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष
	ए. वर्तमान आस्तियां	
1.	**वस्तु सूची:–**	
	क. स्टोर और स्पेयर्स	-
	ख. अबद्ध उपकरण	-
	ग. व्यापारिक स्टॉक	-
	i. तैयार सामग्री	-
	ii. प्रगति अधीन – कार्य	-
	iii. कच्चा माल	-
2.	**विविध देनदार**	
	क. छः महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	-
	ख. अन्य	-
3.	**हस्तगत रोकड़ (चेक/ड्राफ्ट एवं इम्प्रैस्ट सहित)**	325,920.00
4.	**बैंकों में शेष राशि**	
	क. अनुसूचित बैंकों के साथ	-
	i. चालू खातों में	616,006,272.12
	ii. मियादी जमा खातों में (उपान्त राशि सहित)	-
	iii. बचत बैंक जमा खातों में	-
	ख. गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ:–	-
	i. चालू खातों में	-
	ii. मियादी जमा खातों में (उपान्त राशि सहित)	-
	iii. बचत बैंक जमा खातों में	-
5.	**डाकघर बचत खाते**	
6.	**अन्य**	
	कुल (ए)	-
	बी. ऋण, अग्रिम एवं अन्य आस्तियां	-
1.	**ऋण**	-
	क. एलटीसी अग्रिम	2,310,826.00
	ख. सामान्य कार्यालय व्यय	331,491.00
	ग. संस्था के समान कार्यक्रमों/उद्देश्यों में लगी हुई अन्य संस्थाएं।	-

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष
	घ. अन्य (स्पष्ट करें)	-
2.	**नकदी या वस्तु में या प्राप्य मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम एवं अन्य राशि**	
	क. पूंजी खाते में	-
	ख. पूर्व–भुगतान	3,367,140.00
	ग. प्रतिभूति जमा	78,061,429.00
	घ. अन्य	-
	i. टीडीएस प्राप्य	7,072,806.00
	ii. डीएवीपी, राज्य सरकार (आईसीटी सहायता), डीओपी आदि।	2,249,707,730.00
	iii. ठेकेदार	40,764,505.00
3.	**उपाचित आय**	
	क. निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर	-
	ख. अन्य. निवेश पर	-
	ग. ऋण और अग्रिम पर	-
	घ. अन्य (अप्राप्य देय आय रुपए .... सहित है)	-
4.	**प्राप्य दावे**	
	कुल (बी)	
	कुल (ए + बी)	**2,997,948,119.12**

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
उप महानिदेशक

अनुसूची 12 – सेवाओं से आय
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का भाग बनाया गया

(राशि/रु.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष
1.	प्रमाणीकरण सेवाएं	
2.	नामांकन सेवा	
3.	अन्य (निर्दिष्ट करें)	
	कुल	

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
उप महानिदेशक

अनुसूची 13 – अनुदान/सहायिकी
(प्राप्त किए गए अविकल्पी अनुदान और सहायिकी)
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि/रु.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष
1.	केंद्र सरकार	-
	क. अनुदान – वेतन	450,000,000.00
	ख. अनुदान – सामान्य	9,199,800,000.00
2.	राज्य सरकार (सरकारें)	-
3.	सरकारी एजेंसियां	-
4.	संस्थान/कल्याण निकाय	-
5.	अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं	-
6.	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-
	कुल	**9,649,800,000.00**

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
उप महानिदेशक

अनुसूची 14 – शुल्क/अभिदान
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार
आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि/रु.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष
1.	प्रवेश शुल्क	
2.	वार्षिक शुल्क/सदस्यता	
3.	संगोष्ठी/कार्यक्रम का शुल्क	
4.	व्यावसायिक/परामर्शी शुल्क	
5.	लाइसेंस शुल्क	
6.	अन्य (स्पष्ट करें)	
	कुल	

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
उप महानिदेशक

अनुसूची 15 – निवेशों से आय
(निधि की अंतरित निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय)
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि/रु.)

क्र. सं.	विवरण	निर्धारित कोष से निवेश	अन्य निवेश
		चालू वर्ष	चालू वर्ष
1.	**ब्याज**		
	क. सरकार प्रतिभूतियों पर		
	ख. बांड/डिबेंचर्स		
	ग. अन्य		
2.	**लाभांश**		
	क. शेयरों पर		
	ख. म्युचुअल फंड पर		
	ग. अन्य (स्पष्ट करें)		
	कुल		
	निर्धारित/अक्षय निधि में अंतरित		

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
उप महानिदेशक

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार
आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि / रु.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष
1.	रॉयल्टी से आय	
2.	प्रकाशनों से आय	
3.	अन्य (स्पष्ट करें)	
	कुल	

ह0 / –
सहायक महानिदेशक

ह0 / –
उप महानिदेशक

अनुसूची 17– अर्जित ब्याज
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार
आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि/रु.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष
1.	**सावधि जमा राशियों पर**	
	क. अनुसूचित बैंकों से	
	ख. गैर–अनुसूचित बैंकों से	
	ग. संस्थानों से	
	घ. अन्य लोग	
2.	**बचत खातों पर**	
	क. अनुसूचित बैंकों से	
	ख. गैर–अनुसूचित बैंकों से	
	ग. डाकघर बचत खाते	
	घ. अन्य	
3.	**ऋणों पर**	
	क. कर्मचारियों/स्टाफ	
	ख. अन्य	
4.	**ऋणों एवं प्राप्य/राशियों पर ब्याज**	
	कुल	

नोट . स्रोत पर कर कटौती को सूचित किया जाए।

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
उप महानिदेशक

अनुसूची 18 – अन्य आय
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि/रु.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष
1.	आस्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ	
	क. स्वामित्व वाली संपत्ति	
	ख. आस्तियों अनुदान के बाहर का अधिग्रहण, या निःशुल्क प्राप्त	
2.	जारी परिनिर्धारिती हर्जाना, अर्थदंड	
3.	विविध सेवाओं के लिए शुल्क	
4.	किराया	
5.	विविध आय	
	कुल	

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
उप महानिदेशक

अनुसूची 19—तैयार सामग्रियों के स्टॉक एवं प्रगति अधीन कार्यों में वृद्धि / (कमी) 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि/रु.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष
1.	अंतिम स्टॉक	
	क. तैयार सामग्रियां माल	
	ख. प्रगतिरत कार्य	
2.	घटावः प्रारंभिक शेष	
	क. तैयार सामग्रियां	
	ख. प्रगतिरत कार्य	
	निवल वृद्धि/(कमी) [1-2]	
	कुल	

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
उप महानिदेशक

अनुसूची 20–स्थापना व्यय
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि / रु.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष
1.	वेतन और मजदूरी	365,211,066.70
2.	समयोपरि भत्ता	-
3.	भत्ते और बोनस	21,895,836.00
4.	चिकित्सा उपचार	2,305,151.00
5.	शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति	
6.	घरेलू यात्रा व्यय	23,212,257.25
7.	विदेश यात्रा व्यय	961,434.00
8.	नियोक्ता अंशदान	4,215,505.00
9.	ग्रेच्युटी अंशदान	-
10.	अवकाश वेतन पेंशन अंशदान	-
11.	कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति एवं सेवा निवृत्ति लाभ पर व्यय	-
12.	कर्मचारी कल्याण व्यय	-
13.	अन्य (स्पष्ट करें)	-
	कुल	**417,801,249.95**

ह0 / –
सहायक महानिदेशक

ह0 / –
उप महानिदेशक

अनुसूची 21–अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि / रु.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष
1.	खरीद	-
2.	श्रम और प्रसंस्करण व्यय	
3.	आंतरिक ढुलाई एवं परिवहन	-
4.	विद्युत एवं शक्ति	28,028,816.00
5.	जल प्रभार	1,216,055.06
6.	बीमा	-
7.	मरम्मत और रख–रखाव	39,067,366.70
8.	उत्पाद शुल्क	-
9.	किराया, दर एवं कर	385,614,719.00
10.	वाहन चालन एवं रख–रखाव	-
11.	डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार	-
12.	मुद्रण और स्टेशनरी	4,135,182.00
13.	यात्रा एवं वाहन व्यय	-
14.	संगोष्ठी / वर्कशॉप पर व्यय	-
15.	अभिदान व्यय	-
16.	शुल्कों पर व्यय	-
17.	लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	-
18.	आतिथ्य व्यय	4,476,535.58
19.	पेशेवर प्रभार	2,596,606.00
20.	पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	491,055.00
21.	भर्ती व्यय	-
22.	अशोध्य एवं संदिग्ध कर्ज / अग्रिमों के लिए प्रावधान	-
23.	अपलिखित अप्रतिलभ्य शेष	-
24.	पैकिंग शुल्क	-
25.	मालभाडा एवं अग्रेषण प्रभार	-
26.	वितरण व्यय	-
27.	विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	4,060,522.18
28.	कानूनी प्रभार	13,419,202.00
29.	संविदा स्टाफ को भुगतान (एमटीओ, परिचर आदि)	57,995,569.00
30.	बैठक शुल्क	150,000.00
31.	वार्षिक रखरखाव शुल्क	-
32.	कार्यालय–व्यय	75,949,008.28
	कुल	**617,200,636.80**

ह0 / –
सहायक महानिदेशक

ह0 / –
उप महानिदेशक

अनुसूची 22—परिचालन खर्च
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि / रु.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष
1.	**नामांकन, प्रमाणीकरण और अपडेशन**	
	क. पंजीयकों को सहायता	3,613,539,388.00
	ख. गुणवत्ता नियंत्रण (एबीआईएस पूर्व)	38,737,738.00
	ग. विज्ञापन और प्रचार	310,653,241.00
	घ. बीपीओ अद्‌यतन लागत	154,220,173.00
2.	**प्रौद्योगिकी संचालन**	
	क. कार्यालय व्यय	1,091,116,514.44
	ख. किराया, दरें और कर	-
	ग. पेशेवर सेवाएं / प्रबंधित सेवा प्रदाता लागत	588,076,526.00
	घ. एचसीएल (एमएसपी) को भुगतान	844,973,210.00
	ङ. सीआईएसएफ को भुगतान	-
	च. केएम पोर्टल विकास शुल्क	14,054,558.00
3.	**लॉजिस्टिक्स एवं अन्य संचार**	
	क. मुद्रण लागत	409,985,616.38
	ख. डिस्पैच लागत	3,640.00
	ग. टीएफएन / संपर्क केन्द्र लागत	319,094,924.00
	घ. शिकायत निवारण संचालक	8,256,801.00
	ङ. अन्य शुल्क	-
4.	**आधार सक्षम अनुप्रयोग**	
	क. राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को आईसीटी सहायता	76,622,942.00
	ख. माइक्रो एटीएम सहायता	48,930,000.00
	ग. आधार आधारित अनुप्रयोगों का विकास	-
	घ. एईए / राज्य संबंधित व्यक्ति	-
	ङ. अन्य शुल्क	-
5.	**अन्य समर्थन संचालन**	
	क. डीएमएस	501,529,650.00
	ख डीएमएस – क्यूसी	24,702,110.00

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष
	ग. जीआरसीपी	44,380,398.00
	घ. प्रशिक्षण एवं परीक्षण/प्रमाणन	908,406.00
6.	**यूबीसीसी ऑपरेशंस**	
	क. ओ ई	-
	ख. ओ ए ई	-
	ग. सहायता अनुदान	-
7.	**भौतिक सुरक्षा**	
	क. वेतन	54,531,101.00
	ख. कार्यालय व्यय	7,419,896.54
	ग. किराया, दरें और कर	4,095,788.00
	घ. अन्य शुल्क	-
8.	**सूचना प्रौद्योगिकी**	
	क. कार्यालय व्यय	6,880,596.95
	ख. किराया, दरें और कर	-
	ग. व्यावसायिक सेवाएं (पीएमयू, टीएसयू, अन्य ठेके)	-
	घ. अन्य व्यय	-
9.	**पूर्वोत्तर क्षेत्र (यूआईडीएआई)**	
	क. लॉजिस्टिक और अन्य संचार	-
	ख. अन्य शुल्क	-
	कुल	**8,162,713,218.31**

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
उप महानिदेशक

अनुसूची 23 – अनुदान, सबसिडी आदि पर व्यय
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि/रु.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष
1.	संस्थानों/संगठनों को दिया अनुदान	
2.	संस्थानों/संगठनों को दी गई सबसिडी	
	कुल	

नोट – संस्थाओं के नाम, उनकी गतिविधियों अनुदान की राशि के साथ–साथ सबसिडी का भी खुलासा हो।

ह0/–
सहायक महानिदेशक

ह0/–
उप महानिदेशक

अनुसूची 24 – ब्याज
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि / रु.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष
1.	ब्याज	
	क. नियत ऋणों पर	
	ख. अन्य ऋणों पर	
	ग. अन्य (स्पष्ट करें)	
2.	बैंक प्रभार	
	कुल	

ह0 / –
सहायक महानिदेशक

ह0 / –
उप महानिदेशक

अनुसूची 25—महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लेखों का संरूपित भाग

भूमिका

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) एक सांविधिक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं व सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016, जिसे ''आधार अधिनियम, 2016'' संदर्भित किया गया है, के प्रावधानों के तहत 12 जुलाई 2016 को की गई थी। सांविधिक प्राधिकरण की स्थापना से पहले यूआईडीएआई तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के सम्बद्ध कार्यालय के रूप में इसकी राजपत्रित अधिसूचना सं. ए–43011/02/2009–प्रशा.1 दिनांक 28 जनवरी 2009 के अन्तर्गत कार्य कर रहा था। बाद में, 12 सितम्बर 2015 को सरकार ने कार्य आबंटन नियमों में संशोधन करके यूआईडीएआई को तत्कालीन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सम्बद्ध किया था।

यूआईडीएआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है और आठ क्षेत्रीय कार्यालय बंगलुरू, हैदराबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, नई दिल्ली, रांची, मुंबई और चंडीगढ़ तथा केंद्रीय पहचान डाटा रिपॉजिटरी ऑपरेशन के कार्यालय बंगलुरू व मानेसर में हैं।

आधार अधिनियम, 2016 की धारा 26 की उप–धारा (1) यह निर्धारित करता है कि प्राधिकरण उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा उसे ऐसे प्रारूप में, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के बाद केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा। इस संबंध में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (वार्षिक लेखों के विवरण का प्रारूप) नियम अभी केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना है।

1. <u>लेखांकन का आधार</u>

1.1 वित्तीय विवरण महा–लेखानियंत्रक द्वारा निर्धारित ''केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखों का एकरूप प्रपत्र'' में तैयार किया जाता है।

1.2 लेखा प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है।

2. <u>निवेश</u>

2.1 दीर्घकालिक निवेशों के तौर पर वर्गीकृत निवेश लागत आधार पर वहन किये गए हैं। अस्थाई निवेश के अलावा अन्य गिरावट के लिए प्रावधान इस तरह के निवेश की लागत में वहन किया गया है।

2.2 ''चालू'' के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत और उचित मूल्य में से न्यूनतम पर वहन किए गए हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में हुई कमी के लिए प्रावधान, प्रत्येक निवेश के लिए वैयक्तिक आधार पर किया जाता है न कि वैश्विक आधार पर।

2.3 लागत में अधिग्रहण व्यय जैसे कि ब्रोकरेज, स्टाम्प अंतरण शामिल हैं।

3. <u>अचल आस्तियां</u>

3.1 *मूर्त आस्तियां* – मूर्त आस्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षतियां, यदि कोई हों, से कम करके वहन किया जाता है। अचल आस्तियों की लागत मूल्य में से किसी तरह की व्यावसायिक छूट और रियायत, कोई आयात शुल्क और अन्य कर (उन्हें छोड़कर जिन्हें कर प्राधिकरणों से वसूल किया जा सकता है), कोई प्रत्यक्षतः खर्च जो इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए किसी आस्ति को तैयार करने में हुआ हो, अन्य आकस्मिक खर्च और उधारी पर ब्याज जो स्थायी आस्तियों के पूर्ण अधिग्रहण के संबंध में हो, इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए आस्ति निर्माण की तिथि तक शुद्ध प्रभाव से शामिल हैं।

मूर्त आस्तियां की खरीद/पूर्ण होने के बाद इन पर अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब ऐसे व्यय के परिणामस्वरूप उस आस्ति के निष्पादन के पिछले आकलन मापदंड से परे भावी लाभों में वृद्धि हो रही हो।

3.2 *प्रगतिरत पूंजीगत कार्य* – ऐसी आस्तियों जो अपने निर्दिष्ट उपयोग के लिए तैयार नहीं है, के निर्माण पर हुए व्यय को लागत में से हानि (यदि कोई हो) को कम करते हुए 'प्रगतिरत 'पूंजीगत कार्य'' के अधीन अग्रेनीत किया जाता है। लागत में खरीद मूल्य सहित आयात शुल्क और गैर–वसूलीयोग्य कर, कोई अन्य प्रत्यक्षतः देय लागत शामिल है।

3.3 *अमूर्त आस्तियां* – अमूर्त आस्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षतियां, यदि कोई हों, से कम करके वहन किया जाता है। अचल आस्तियों की लागत मूल्य में से किसी तरह की व्यावसायिक छूट और रियायत, कोई आयात शुल्क और अन्य कर (कर प्राधिकरणों से वसूल किए जाने वालों के अन्यत्र), कोई प्रत्यक्षतः खर्च जो इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए किसी आस्ति को तैयार करने में हुआ हो, अन्य आकस्मिक खर्च और उधारी पर ब्याज जो स्थायी आस्तियों के पूर्ण अधिग्रहण के संबंध में हो, इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए आस्ति निर्माण की तिथि तक शुद्ध प्रभाव से शामिल हैं। अमूर्त आस्तियां की खरीद/पूर्ण होने के बाद इन पर अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब ऐसे व्यय के परिणामस्वरूप उस आस्ति के निष्पादन के पिछले आकलन मापदंड से परे भावी लाभों में वृद्धि हो रही हो।

सॉफ्टवेयर खरीद से संबंधित लागत को 'अमूर्त आस्तियां'' के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। सॉफ्टवेयर की लागत को 5 प्रतिशत के अवशेष मूल्य के साथ स्ट्रेट लाइन विधि पर 3 वर्ष की अवधि के अन्दर परिशोधित किया जाता है।

3.4 *गैर–मौद्रिक अनुदान* – गैर–मौद्रिक अनुदान (समग्र निधि को छोड़कर) से प्राप्त अचल आस्तियों को बताए गए मूल्य पर पूंजीगत अंशदान में समतुल्य जमा द्वारा पूंजीकृत किया जाता है।

4. मूल्यह्रास

4.1 अचल आस्तियां के मूल्यह्रास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन विधि से आस्तियों की प्रभावी कालावधि एवं 5% अवशेष मूल्य (लैपटॉप, टेबलेट के मामले में 10%) रखते हुए निम्नानुसार किया गया है:

क्र. सं.	आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास दर	अवधारण अवधि	अभ्युक्तियां
1	सर्वर, नेटवर्क, स्टोरेज, सुरक्षा उपकरण, अन्य बायोमैट्रिक उपकरण, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट	15.83%	6 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।।
2.	डेस्कटॉप, मॉनीटर, प्रिंटर, स्कैनर, स्विच, अन्य आईटी उपकरण	31.67%	3 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।।
3	सॉफ्टवेयर	31.67%	3 वर्ष	यूआईडीएआई की आंतरिक नीति के अनुसार
4	मोबाइल हैंडसैट	47.50%	2 वर्ष	यूआईडीएआई की आंतरिक नीति के अनुसार (5% अवशेष मूल्य सहित)
5	लैपटॉप, टेबलेट	30%	3 वर्ष	यूआईडीएआई की आंतरिक नीति के अनुसार (10% अवशेष मूल्य सहित)
6	कार्यालय उपस्कर	19%	5 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।।

क्र. सं.	आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास दर	अवधारण अवधि	अभ्युक्तियां
7	फर्नीचर और फिक्चर्स	9.50%	10 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II
8	भवन	1.58%	60 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II
9	संयंत्र और मशीनरी	6.33%	15 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II
10	वाहन (कार)	11.88%	8 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II

4.2 वर्ष के दौरान अचल आस्तियां में वृद्धि/कमी के संबंध में मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर माना जाता है।

4.3 5,000 रुपए या इससे कम लागत की सभी आस्ति का पूर्ण प्रावधान किया गया है।

5. सरकारी अनुदान/सहायता

5.1 परियोजनाओं की स्थापना की पूंजीगत लागत हेतु अंशदान की प्रकृति के सरकारी अनुदान को वर्ष के दौरान उपयोग की सीमा तक आधारभूत राशि में अंशदान के रूप में लिया जाता है।

5.2 राजस्व की प्रकृति या वेतन व्यय के संबंध में सरकारी अनुदान को पूरी तरह वर्ष के दौरान उपयोग की सीमा तक आय व व्यय में लिया जाता है।

5.3 सरकारी अनुदान/सहायता का हिसाब प्राप्ति आधार पर किया जाता है।

6. सरकारी सहायता के अलावा अन्य प्राप्तियां

यूआईडीएआई लाइसेंस वितरण, परिनिर्धारित हर्जाना, अर्थदंड, स्क्रैप की बिक्री, सावधि जमाओं पर ब्याज से राजस्व प्राप्त करता है। आधार अधिनियम, 2016 की धारा 25 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा संग्रहीत फीस या राजस्व भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा।

7. विदेशी मुद्रा लेन–देन

7.1 विदेशी मुद्रा में लेन–देन का हिसाब लेन–देन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर अंकित किया जाता है।

7.2 चालू आस्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों और चालू देयताओं को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और परिणामतः लाभ/हानि को, विदेशी मुद्रा की देयता अचल आस्ति से संबंधित होने पर तो अचल आस्तियों की लागत से समायोजित किया जाता है, और अन्य मामलों में इसे राजस्व के रूप विचारा गया है।

ह0/–	ह0/–
सहायक महानिदेशक	उप महानिदेशक

अनुसूची 26–आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लेखों का संरूपित भाग

1. प्रारंभिक शेष

यूआईडीएआई, मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की आस्तियों और देयताओं का प्रारंभिक शेष की निम्नलिखित आधार पर पहचान की जाती है:

क. वर्ष 2010 से मार्च, 2017 तक की अवधि तक की अचल आस्तियों के विवरण को मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और केंद्रीय पहचान डाटा रिपॉजिटरी ऑपरेशंस के कार्यालयों द्वारा अनुरक्षित विवरण के अनुसार लेखबद्ध किया गया है।

ख. देयताओं के ऊपर आस्ति के आधिक्य को 01 अप्रैल, 2017 को आधारभूत निधि के शेष में अंतरित किया गया है।

2. आकस्मिक देयताएं

क. वैसे दावे जिनको संस्था के विरुद्ध ऋण के रूप में नहीं माना गया – शून्य

ख. निम्न के संबंध में:

1. संस्था द्वारा/की ओर से बैंक गारंटी – शून्य

2. संस्था की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख–पत्र – शून्य

3. बैंक द्वारा डिस्काउंट किए गए बिल – शून्य

ग. स्रोत पर की गई कटौती की चूकों के संबंध में विवादित मांग – वित्तीय वर्ष 2017–18 में मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में – 18,85,000/–रु. । इसके अलावा, निम्नलिखित विवरण के अनुसार पिछली अवधियों के लिए स्रोत पर की गई कटौती की चूकों के संबंध में आय–कर विभाग द्वारा किए गए दावे निम्नलिखित हैं।

वित्त वर्ष	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	योग
मुख्यालय			1,35,690		400	220	30,120	16,62,220	18,28,650
रांची							45,280	5,710	50,990
गुवाहाटी		150	14,790						14,940
चंडीगढ़			66,650	1,73,010	20,050	5,610	3,23,180	67,880	6,56,380
बंगलुरू	33,580	23,620	2,89,370	16,640	1,310	62,740	9,400	31,090	4,67,750
हैदराबाद							210	1,390	1,600
मुंबई	6,64,690					800		1,16,710	7,82,200
लखनऊ	13,220	26,240		95,060		5,810			1,40,330
नई दिल्ली		24,070	2,02,460	5,29,420	10,730				7,66,680
समग्र योग	**7,11,490**	**74,080**	**7,08,960**	**8,14,130**	**32,490**	**75,180**	**4,08,190**	**18,85,000**	**47,09,520**

घ. सेवा–कर – शून्य

ङ. निगम कर – शून्य

च. आदेशों के गैर–निष्पादन, किन्तु संस्था द्वारा विवादित हेतु पार्टियों के दावों के संबंध में – शून्य

छ. वेंडरों के साथ करार के संबंध में – 23,48,42,733 रूपये की राशि रोकी गई है और यह राशि सरकारी खातों में जमा हैं तथा प्रबंधन के विचाराधीन हैं।

ज. 31 मार्च, 2018 को निम्नलिखित विवरण के अनुसार पार्टियों के 23,12,16,469 रूपये की राशि के लिए यूआईडीएआई के विरूद्ध न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में :

क्र. सं.	मुकदमा दायरकर्ता	किसके विरूद्ध मुकदमा	किस न्यायालय में मामला लंबित	याचिकाकर्ता का वित्तीय दावा
1	मैसर्स अरूण कुमार	बिहार सरकार एवं अन्य	पटना उच्च न्यायालय	1,73,29,265.00
2	मैसर्स टुलिप टेलिकॉम लिमिटेड	यूआईडीएआई	दिल्ली उच्च न्यायालय	8,71,31,446.00
3	मैसर्स सेरको बीपीओ प्रा. लि.	यूआईडीएआई	जिला न्यायालय, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली	3,28,33,758.00
4	मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन	यूआईडीएआई	जिला न्यायालय, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली	8,95,00,000.00
5	मैसर्स आई–एनर्जाइज़र आईटी सर्विसेज़ प्रा. लि.	यूआईडीएआई	जिला न्यायालय, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली	44,22,000.00

नोटः उपर्युक्त के अलावा कुछ अन्य मामले भी लंबित हैं, जिनका वित्तीय प्रभाव सुनिश्चत नहीं किया जा सकता है।

3. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत लेखा में निष्पादित की जाने वाली शेष और प्रावधान संविदाओं का अनुमानित मूल्य और जिनके (अग्रिमों के निवल) लिए प्रावधान नहीं किया गया है – शून्य।

4. पट्टा बाध्यताएं

संयंत्र और मशीनरी के लिए वित्तीय पट्टा व्यवस्थाओं के तहत किराए हेतु भावी बाध्यताओं के संबंध में धनराशि – शून्य

5. सेवानिवृत्ति हितलाभ

सेवानिवृत्ति हितलाभ के समक्ष कोई देयता नहीं है, क्योंकि यूआईडीएआई के सभी कर्मचारी अन्य मंत्रालयों/विभागों और सरकारी एजेंसियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त हैं।

6. चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

6.1 प्रबंधन के विचार में, चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम, व्ययवसाय के सामान्य तरीके में प्राप्त की गयी राशि है, जो तुलन–पत्र में दिखाई गई कुल राशि के बराबर है।

6.2 इसमें डीएवीपी, डाक कार्यालय, राज्य सरकारों आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों को दिए गए अग्रिम हैं, जिन्हें वित्तीय विवरण

में अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है और इनको इन एजेंसियों से बीजक (इंवॉइस) प्राप्त होने पर व्यय के रूप में बुक किया जाएगा।

7. <u>कराधान</u>

यूआईडीएआई के पास लाइसेंस फीस, परिनिर्धारित हर्जाना और पेनल्टी, सावधि जमा, स्क्रैप की बिक्री आदि के संबंध में प्राप्तियां हैं, जिन्हें प्राप्ति एवं भुगतान खाते में अलग से दर्शाया गया है। हालांकि, आयकर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि इन प्राप्तियों को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाना है। आयकर में छूट प्राप्ति के लिए यूआईडीएआई ने फा. सं. जी.14012/43/2016–यूआईडीएआई/फिन (पार्ट) दिनांक 27 अप्रैल 2018 के जरिए सीबीडीटी के समक्ष मामला प्रस्तुत किया है।

8. पूर्व की प्रथाओं के अनुरूप, आधार के सृजन हेतु डी–डुप्लिकेशन लागत के समक्ष व्यय की पूर्ति पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए प्राप्त अनुदानों से की गई है। हालांकि, उक्त को खाते में पूंजीकृत नहीं किया गया है।

9. मानेसर और बेंगलुरु में भवन के पूंजीकरण उपलब्ध अभिलेखों में किया गया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (भवन निर्माण कार्य के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता) से अंतिम खातों को, लेखा खातों को अंतिम रूप देने तक, प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. यह पहली बार है, जब संगठन के वित्तीय विवरणों को तैयार किया गया है। अतः पिछले वित्त वर्ष के तदनुरूपी आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

11. 1 से 26 तक की अनुसूचियां संलग्न हैं, जो 31 मार्च, 2018 के अनुसार तुलन–पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाते के अभिन्न अंश के रूप में हैं।

ह0/–	ह0/–	ह0/–
सहायक महानिदेशक	उप महानिदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

10. अनुलग्नक

10.1 अनुलग्नक 1–आधार अधिनियम

दिनांक 29 फरवरी 2016 को मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत सरकार ने 3 मार्च 2016 को लोकसभा में आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) विधेयक, 2016 प्रस्तुत किया। विधेयक पर चर्चा की गई तथा संसद ने इसे 16 मार्च 2016 को पारित कर दिया और 25 मार्च 2016 को इसे राष्ट्रपति महोदय की सहमति प्राप्त हो गई। विधायी विभाग द्वारा आम सूचना के लिए इस अधिनियम का प्रकाशन भारत के अधिकारिक राजपत्र, असाधारण, भाग 2, भाग–1, दिनांक 26 मार्च 2016 (2016 का अधिनियम संख्या 18; जिसे ''आधार अधिनियम, 2016'' के नाम से जाना जाता है) को किया गया था। अधिनियम की विभिन्न धाराएं अधिसूचित किए जाने के पश्चात् आधार अधिनियम, 2016 का प्रवर्तन 12 सितम्बर 2016 को हुआ।

आधार अधिनियम, 2016 में सुशासन, कार्य कौशल, पारदर्शिता एवं उन लक्षित सहायिकियों, लाभों एवं सेवाओं के परिदान के प्रावधान हैं, जिन पर व्यय भारत की समेकित निधि से भारत के निवासी व्यक्तियों को उनकी निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान संख्या (आधार नाम से ज्ञात) तथा इससे संबंधित मामलों अथवा आकस्मिक कार्यों के लिए किया जाता है।

आधार अधिनियम, 2016 की प्रमुख विशेषताएं नीचे सूचीबद्ध हैं –

1. धारा 1 : आधार का सांविधिक मूलतत्व एवं घोषणा की तिथि से अधिनियम का प्रवर्तन।
2. धारा 3 : प्रत्येक निवासी आधार प्राप्त करने का पात्र है। निवासी वह है जो तत्काल पूर्व एक वर्ष में 182 दिन अथवा अधिक समय से भारत में निवास कर रहा है।
3. धारा 7 : इसके अंतर्गत भारत की समेकित निधि से सरकारी लाभों, सहायिकियों अथवा सेवाओं की प्राप्ति के लिए केंद्र/राज्य के मंत्रालयों/विभागों को व्यक्तियों की पहचान के लिए आधार की अपेक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है।
4. धारा 8 : आधार धारक द्वारा आधार अधिप्रमाणन एवं सहमति ।
5. धारा 29 : सूचना सहभाजन पर प्रतिबंध :

   क. आधार एवं पहचान सूचना के संग्रहण के लिए निवासी की सहमति की आवश्यकता।

   ख. आधार का उपयोग केवल आधार अथवा अधिप्रमाणन के संग्रहण के समय प्रकट किए गए उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए।

   ग. सहमति प्राप्त कर आधार का सहभाजन पात्रता निर्धारण के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ किया जा सकता है।

   घ. मूल बॉयोमीट्रिक का सहभाजन किसी भी एजेंसी के साथ कभी भी नहीं किया जा सकता तथा इनका उपयोग किसी भी अन्य उद्देश्य से नहीं किया जा सकता।

   ङ आधार का प्रकाशन, प्रदर्शन अथवा प्रस्तुति सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर नहीं किया जा सकता।
6. धारा 40 तथा 42 : प्रतिरूप तैयार करने, अनधिकृत रूप से विस्तार करने/सूचना का सहभाजन करने की स्थिति के लिए दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं, जिनमें जुर्माने तथा/अथवा 3 वर्ष की सजा की व्यवस्था है, जो व्यक्तियों एवं कम्पनियों, दोनों के संबंध में लागू है।

7. धारा 57 : यह सक्षमता प्रदान करने की धारा है जिसके अंतर्गत राज्यों अथवा किसी भी कॉर्पोरेट अथवा व्यक्ति को किसी कानून के अनुसरण में किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार मांगने की अनुमति दी गई है।

अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया भाविपप्रा की वेबसाइट पर लिंक https://uidai.gov.in/images/the_aadhaar_act_2016.pdf में उपलब्ध आधार अधिनियम, 2016 देखें।

10.2 अनुलग्नक 2 – आधार विनियम

आधार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत निम्न विनियमों एवं उनके संशोधन अधिसूचित किए गए हैं :–

क्र.सं.	विनियम	प्रकाशन तिथि
1	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (प्राधिकरण की बैठकों में कार्य संचालन), विनियम (2016 का संख्या 1)	14 सितम्बर 2016
2	आधार (पंजीकरण एवं अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 का संख्या 2)	14 सितम्बर 2016
3	आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 (2016 का संख्या 3)	14 सितम्बर 2016
4	आधार (डाटा सुरक्षा) विनियम, 2016 (2016 का संख्या 4)	14 सितम्बर 2016
5	आधार (सूचना का सहभाजन) विनियम, 2016 (2016 का संख्या 5)	14 सितम्बर 2016
6	आधार (पंजीकरण एवं अद्यतन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का संख्या 1)	15 फरवरी 2017
7	आधार (पंजीकरण एवं अद्यतन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2017	7 जुलाई 2017
8	आधार (पंजीकरण एवं अद्यतन) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2017	11 जुलाई 2017
9	आधार (पंजीकरण एवं अद्यतन) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का संख्या 5)	31 जुलाई 2017
10	आधार (पंजीकरण एवं अद्यतन) (पाचवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का संख्या 1)	12 जनवरी 2018

ऊपर उल्लिखित विनियमों से भाविपप्रा को अपने रोजमर्रा के कार्यों में सहायता प्राप्त होती है। ये विनियम भाविपप्रा की वेबसाइट https://uidai.gov.in/legal-framework/acts/regulations.html पर उपलब्ध हैं। विनियमों से संबंधित किसी प्रकार के अद्यतन शीर्ष लिंक से संदर्भित किए जा सकते हैं।

10.3 अनुलग्नक 3 – आधार परिपूर्णता (राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र वार आधार परिपूर्णता 31 मार्च, 2018				
क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल जनसंख्या (संभावित 2017)	जारी किए गए आधार की संख्या (लाइव)	परिपूर्णता प्रतिशत 2017 (लाइव)
1	दिल्ली	181,10,349	213,37,759	117.8 प्रतिशत
2	गोवा*	15,21,000	15,65,186	102.9 प्रतिशत
3	चंडीगढ़*	11,10,820	11,38,109	102.5 प्रतिशत
4	हिमाचल प्रदेश*	72,46,418	73,98,678	102.1 प्रतिशत
5	हरियाणा*	274,43,256	279,65,279	101.9 प्रतिशत
6	पंजाब*	293,44,896	297,92,650	101.5 प्रतिशत
7	केरल	350,43,531	355,70,052	101.5 प्रतिशत
8	तेलंगाना	380,42,884	384,29,166	101.0 प्रतिशत
9	उत्तराखंड	109,56,753	108,40,125	98.9 प्रतिशत
10	लक्षद्वीप	70,214	69,270	98.7 प्रतिशत
11	दादरा और नगर हवेली	3,73,636	3,63,580	97.3 प्रतिशत
12	दमन और दीव*	2,16,981	2,09,869	96.7 प्रतिशत
13	गुजरात*	630,00,000	602,87,183	95.7 प्रतिशत
14	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	4,14,057	3,93,733	95.1 प्रतिशत
15	पुडुचेरी	13,56,199	1,281,433	94.5 प्रतिशत
16	छत्तीसगढ़	281,25,421	264,78,774	94.1 प्रतिशत
17	पश्चिम बंगाल	967,75,592	909,95,375	94.0 प्रतिशत
18	झारखंड	366,72,687	343,01,276	93.5 प्रतिशत
19	तमिलनाडु	758,44,451	708,71,197	93.4 प्रतिशत
20	ओडिशा	449,12,901	419,21,760	93.3 प्रतिशत
21	महाराष्ट्र	1195,81,739	1114,83,235	93.2 प्रतिशत
22	कर्नाटक	654,26,566	607,97,063	92.9 प्रतिशत
23	आंध्र प्रदेश*	523,75,124	484,87,590	92.6 प्रतिशत
24	मध्य प्रदेश	808,94,777	729,54,447	90.2 प्रतिशत
25	त्रिपुरा	40,00,638	3600663	90.0 प्रतिशत
26	सिक्किम	6,62,250	583761	88.1 प्रतिशत
27	उत्तर प्रदेश*	2245,58,257	1968,11,361	87.6 प्रतिशत
28	राजस्थान	768,02,294	665,62,518	86.7 प्रतिशत
29	बिहार	1171,53,097	986,01,366	84.2 प्रतिशत
30	मिजोरम	11,88,971	9,91,462	83.4 प्रतिशत
31	मणिपुर	29,66,130	24,02,225	81.0 प्रतिशत
32	अरूणाचल प्रदेश	15,06,749	11,66,512	77.4 प्रतिशत
33	जम्मू–कश्मीर	134,77,325	98,87,881	73.4 प्रतिशत
34	नगालैंड	21,58,431	12,24,506	56.7 प्रतिशत
35	मेघालय	32,30,132	7,12,382	22.1 प्रतिशत
36	असम	340,68,394	27,65,855	8.1 प्रतिशत
	योग	**13166,32,920**	**11802,43,283**	**89.6** प्रतिशत

* राज्य द्वारा प्रदान किए गए डाटा के अनुसार

आधार परिपूर्णता 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग

31 मार्च, 2018

क्र.सं.	राज्य का नाम	जनसंख्या (0 से 5 वर्ष) (संभावित 2017)	जारी किए गए आधार की संख्या (लाइव)	परिपूर्णता प्रतिशत 2017 (लाइव)
1	हरियाणा*	23,32,132	21,80,900	93.5 प्रतिशत
2	चंडीगढ़*	85,344	71,689	84.0 प्रतिशत
3	हिमाचल प्रदेश*	5,56,155	4,61,418	83.0 प्रतिशत
4	उत्तराखंड	10,01,656	7,36,728	73.6 प्रतिशत
5	गोवा'	1,05,537	77,204	73.2 प्रतिशत
6	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	31,336	21,855	69.7 प्रतिशत
7	ओडिशा	39,11,286	25,93,163	66.3 प्रतिशत
8	आंध्र प्रदेश*	37,34,030	24,08,482	64.5 प्रतिशत
9	झारखंड	40,58,481	25,46,819	62.8 प्रतिशत
10	पश्चिम बंगाल	77,68,876	47,60,199	61.3 प्रतिशत
11	पुडुचेरी	1,02,384	61,953	60.5 प्रतिशत
12	लक्षद्वीप	5,506	3,275	59.5 प्रतिशत
13	तेलंगाना	28,51,150	16,85,379	59.1 प्रतिशत
14	पंजाब*	22,36,373	13,07,636	58.5 प्रतिशत
15	गुजरात*	56,91,693	32,02,482	56.3 प्रतिशत
16	दमन और दीव*	17,408	9,732	55.9 प्रतिशत
17	दादरा और नगर हवेली	39,844	21,832	54.8 प्रतिशत
18	छत्तीसगढ़	27,98,276	15,26,033	54.5 प्रतिशत
19	कर्नाटक	54,01,369	29,08,634	53.8 प्रतिशत
20	दिल्ली	14,93,086	7,98,677	53.5 प्रतिशत
21	मणिपुर	2,79,728	1,45,525	52.0 प्रतिशत
22	मध्य प्रदेश	83,25,183	41,81,598	50.2 प्रतिशत
23	तमिलनाडु	55,49,847	26,63,626	48.0 प्रतिशत
24	उत्तर प्रदेश*	230,87,656	105,50,066	45.7 प्रतिशत
25	महाराष्ट्र	99,62,603	43,52,048	43.7 प्रतिशत
26	केरल	25,74,753	11,11,923	43.2 प्रतिशत
27	बिहार	144,06,511	57,68,600	40.0 प्रतिशत
28	त्रिपुरा	3,51,528	1,10,241	31.4 प्रतिशत
29	अरूणाचल प्रदेश	1,55,707	48,573	31.2 प्रतिशत
30	सिक्किम	46,137	14,383	31.2 प्रतिशत
31	मिजोरम	1,32,118	37,953	28.7 प्रतिशत
32	राजस्थान	81,72,765	17,51,007	21.4 प्रतिशत
33	जम्मू–कश्मीर	15,19,560	1,41,718	9.3 प्रतिशत
34	नगालैंड	2,14,973	2,220	1.0 प्रतिशत
35	असम	35,11,666	7,337	0.2 प्रतिशत
36	मेघालय	4,42,621	595	0.1 प्रतिशत
योग		**1229,55,279**	**582,71,502**	**47.4 प्रतिशत**

*राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार

आधार परिपूर्णता 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग 31 मार्च, 2018				
क्र.सं.	राज्य का नाम	जनसंख्या (5 से 18 वर्ष) (संभावित 2017)	जारी किए गए आधार की संख्या (लाइव)	परिपूर्णता प्रतिशत 2017 (लाइव)
1	दमन और दीव *	42,606	46,999	110.3 प्रतिशत
2	दिल्ली	44,77,432	48,60,496	108.6 प्रतिशत
3	हरियाणा *	62,98,256	65,89,459	104.6 प्रतिशत
4	पंजाब *	59,76,811	61,80,412	103.4 प्रतिशत
5	हिमाचल प्रदेश *	15,10,725	15,24,283	100.9 प्रतिशत
6	चंडीगढ़ *	2,54,976	2,48,191	97.3 प्रतिशत
7	गोवा '	2,92,922	2,81,236	96.0 प्रतिशत
8	दादरा और नगर हवेली	96,154	89,377	93.0 प्रतिशत
9	केरल	73,19,453	65,69,974	89.8 प्रतिशत
10	आंध्र प्रदेश *	112,98,419	101,05,993	89.4 प्रतिशत
11	गुजरात *	161,33,670	140,54,143	87.1 प्रतिशत
12	तेलंगाना	93,22,573	81,15,267	87.0 प्रतिशत
13	पुडुचेरी	2,85,672	2,48,219	86.9 प्रतिशत
14	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	90,875	78,514	86.4 प्रतिशत
15	झारखंड	114,48,664	98,68,988	86.2 प्रतिशत
16	लक्षद्वीप	16,275	13,869	85.2 प्रतिशत
17	छत्तीसगढ़	79,64,576	67,76,342	85.1 प्रतिशत
18	कर्नाटक	154,17,818	131,06,709	85.0 प्रतिशत
19	तमिलनाडु	162,48,270	136,10,255	83.8 प्रतिशत
20	महाराष्ट्र	289,59,486	241,15,054	83.3 प्रतिशत
21	उत्तराखंड	31,71,638	26,34,387	83.1 प्रतिशत
22	त्रिपुरा	9,87,389	8,19,529	83.0 प्रतिशत
23	मध्य प्रदेश	238,17,315	195,31,551	82.0 प्रतिशत
24	मणिपुर	7,10,106	5,76,985	81.3 प्रतिशत
25	ओडिशा	116,37,057	94,53,023	81.2 प्रतिशत
26	मिजोरम	3,22,162	2,52,312	78.3 प्रतिशत
27	बिहार	393,71,350	306,50,473	77.8 प्रतिशत
28	पश्चिम बंगाल	242,70,795	185,77,115	76.5 प्रतिशत
29	राजस्थान	237,24,646	174,56,134	73.6 प्रतिशत
30	उत्तर प्रदेश *	736,00,388	531,81,333	72.3 प्रतिशत
31	सिक्किम	1,76,412	1,22,246	69.3 प्रतिशत
32	अरूणाचल प्रदेश	4,87,748	3,32,567	68.2 प्रतिशत
33	जम्मू–कश्मीर	38,81,053	22,36,809	57.6 प्रतिशत
34	नगालैंड	6,83,257	2,92,937	42.9 प्रतिशत
35	मेघालय	10,65,297	1,55,326	14.6 प्रतिशत
36	असम	96,82,590	3,95,426	4.1 प्रतिशत
योग		**3610,44,839**	**283151934**	**78.4 प्रतिशत**

*राज्य द्वारा प्रदान किए गए डाटा के अनुसार

10.4 अनुलग्नक 4 – पहचान प्रमाण/पता प्रमाण दस्तावेज

नाम तथा फोटो के साथ सक्षम पहचान प्रमाण दस्तावेज

1. पासपोर्ट
2. पैन कार्ड
3. राशन/पीडीएस फोटो कार्ड
4. मतदाता पहचान
5. ड्राइविंग लाइसेंस
6. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी सरकारी फोटो पहचान कार्ड/सेवा फोटो पहचान पत्र
7. मनरेगा जॉब कार्ड योजना
8. मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी फोटो पहचान
9. शस्त्र लाइसेंस
10. फोटो बैंक एटीएम कार्ड
11. फोटो क्रेडिट कार्ड
12. पेंनशनर फोटो कार्ड
13. स्वतंत्रता सेनानी फोटो कार्ड
14. किसान फोटो पासबुक
15. सीजीएचएस/ईसीएचएस फोटो कार्ड
16. डाक विभाग द्वारा जारी नाम और फोटो वाले पता कार्ड
17. पत्र शीर्ष पर राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी फोटो पहचान प्रमाणपत्र
18. संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेशों/प्रशासन द्वारा जारी विकलांगता पहचान कार्ड/विकलांग चिकित्सा प्रमाणपत्र

सक्षम आवास प्रमाण दस्तावेज, जिसमें परिवार के मुखिया के साथ संबंध का उल्लेख किया गया हो

1. पीडीएस कार्ड
2. मनरेगा जॉब कार्ड योजना
3. सीजीएचएस/राज्य सरकार/ईसीएचएस/ईएसआईसी मेडिकल कार्ड
4. पेंनशन कार्ड
5. सेना कैंटीन कार्ड
6. पासपोर्ट
7. जन्म रजिस्ट्रार, नगर निगम और अन्य अधिसूचित स्थानीय सरकारी निकायों, जैसे तालुका, तहसील आदि द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र।
8. किसी अन्य केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा जारी परिवार पात्रता दस्तावेज
9. सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र

सक्षम जन्म तिथि प्रमाण दस्तावेज

1. जन्म प्रमाणपत्र
2. एसएसएलसी सर्टिफिकेट
3. पासपोर्ट
4. पत्रशीर्ष पर समूह ए राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र
5. पैन कार्ड
6. किसी भी सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मार्कशीट
7. जन्म तिथि के साथ सरकारी फोटो पहचान कार्ड/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
8. केंद्रीय/राज्य पेंनशन भुगतान आदेश
9. केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड या पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना फोटो कार्ड

नाम तथा पते के साथ सक्षम पता प्रमाण दस्तावेज

1. पासपोर्ट
2. बैंक स्टेटमेंट/पासबुक
3. डाकघर खाता विवरण/पासबुक
4. राशन कार्ड
5. मतदाता पहचान
6. ड्राइविंग लाइसेंस
7. सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र
8. बिजली बिल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)
9. जल बिल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)
10. टेलीफोन लैंडलाइन बिल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)
11. संपत्ति कर रसीद (1 साल से अधिक पुरानी नहीं)
12. क्रेडिट कार्ड विवरण (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)
13. बीमा पॉलिसी
14. बैंक के हस्ताक्षरित पत्र शीर्ष पर फोटो पहचान
15. पंजीकृत कंपनी के पत्र शीर्ष पर हस्ताक्षरित फोटो पहचान
16. मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों द्वारा जारी हस्ताक्षरित पत्र शीर्ष पर फोटो पहचान
17. मनरेगा जॉब कार्ड योजना
18. शस्त्र लाइसेंस
19. पेंनशनर कार्ड
20. स्वतंत्रता सेनानी कार्ड
21. किसान पासबुक
22. सीजीएचएस/ईसीएचएस कार्ड
23. सांसद अथवा विधायक अथवा राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा पत्रशीर्ष पर जारी पते सहित फोटो पहचान प्रमाणपत्र
24. ग्राम पंचायत प्रमुख या उसके समकक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी पते का प्रमाणपत्र (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)
25. आयकर आकलन आदेश
26. वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र
27. पंजीकृत बिक्री/लीज/किराया अनुबंध
28. डाक विभाग द्वारा जारी फोटो युक्त पता कार्ड
29. राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो सहित जारी जाति और निवास प्रमाणपत्र
30. संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र/प्रशासन द्वारा जारी विकलांगता पहचान कार्ड/विकलांग चिकित्सा प्रमाणपत्र
31. गैस कनेक्शन बिल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)
32. पति/पत्नी का पासपोर्ट
33. माता–पिता का पासपोर्ट (अवयस्क के मामले में)
34. केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा जारी आवास आबंटन पत्र जो 3 साल से अधिक पुराना न हो
35. सरकार द्वारा पते सहित जारी विवाह प्रमाणपत्र

11. शब्द-लघुरूपण

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
एबीआईएस	स्वचालित बॉयोमीट्रिक पहचान व्यवस्था
एडीएमएस	आधार दस्तावेज प्रबंधन व्यवस्था
एईए	आधार–शक्त अनुप्रयोग
एईबीएएस	आधार–शक्त बॉयोमीट्रिक उपस्थिति व्यवस्था
एईपीएस	आधार–शक्त भुगतान व्यवस्था
एओएन	आवश्यकता की स्वीकृति
एपीबी	आधार भुगतान ब्रिज
एपीआई	एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस
एएसए	अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी
एएसके	आधार संपर्क केंद्र
एटीएम	स्वचालित टेलर मशीन
एयूए	अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी
बी2सी	व्यवसाय से उपभोक्ता
बीएएस	बॉयोमीट्रिक उपस्थिति व्यवस्था
बीई	बजट अनुमान
बीएफडी	सर्वश्रेष्ठ फिंगर डिटेक्शन
भीम	भारत इंटरफेस फॉर मनी
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
सी2बी	उपभोक्ता–से–व्यवसाय
सीएजी	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
सीसीसी	निवासी / ग्राहक चार्टर
सीसीएफ	संपर्क केंद्र फर्म
सीडीए	विषयवस्तु विकास एजेंसी
सीईएलसी	बाल पंजीकरण लाइट क्लाइंट
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीजीएचएस	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना
सीआईसी	केंद्रीय सूचना आयोग

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
सीआईडीआर	केंद्रीय पहचान डाटा निधान
सीपीआईओ	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
सीआरएम	ग्राहक संपर्क प्रबंधन
सीएसएस	व्यापक शैली पत्रक
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीडीजी	उप महानिदेशक
डीईआईटीवाई	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीएलओ	जिला स्तर अधिकारी
डीओबी	जन्म तिथि
डीओटी	दूरसंचार विभाग
ईएएस	व्यय संबद्ध स्वीकृति
ईसीएचएस	पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना
ईजीओएम	मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह
ईआईडी	पंजीकरण पहचान
ईपीआईसी	मतदाता फोटो पहचान पत्र
ईएसआईसी	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
एफएए	प्रथम अपीलीय प्राधिकरण
एफएक्यू	प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
जी2सी	सरकार–से–उपभोक्ता
जीआईजीडब्ल्यू	भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशा–निर्देश
जीआरसीपी–एसपी	संचालन, जोखिम, अनुपालन और निष्पादन–सेवा प्रदाता
जीएसटी	माल एवं सेवा कर
एचबीए	गृह निर्माण अग्रिम
एचओएफ	परिवार मुखिया
एचक्यू	मुख्यालय
एचआर	मानव संसाधन
एचटीएमएल	हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज
आईएएस	भारतीय प्रशासनिक सेवा
आईसीटी	सूचना व संचार तकनीक
आईडी	पहचान (दस्तावेज़)

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
आईईसी	सूचना, शिक्षा और संचार
आईएफएससी	भारतीय वित्त व्यवस्था संहिता
आईएनआर	भारतीय रुपया
आईआरएम	आंतरिक समीक्षा बैठक
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईटीआर	आय कर रिटर्न
आईवीआरएस	इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस प्रणाली
केएम पोर्टल	ज्ञान और प्रबंधन पोर्टल
केयूए	ई–केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानो
एलपीजी	रसोई गैस
एमईए	विदेश मंत्रालय
एमईआईटीवाई	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
मनरेगा	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एमओआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एमपीएलएस	मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग
एमएसडी	माइक्रोसॉफ्ट गतिशीलता
एनसीआईआईपीसी	राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र
एनपीसीआई	भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनपीआर	राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका
एनपीएस	नेशनल पेंशन सिस्टम
एनआरआई	अनिवासी भारतीय
एनएसएपी	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
ओसीआई	भारत के समुद्रपारीय नागरिक
ओई	परिचालन खर्च
ओएई	अन्य प्रशासनिक व्यय
ओएलआईसी	राजभाषा कार्यान्वयन समिति
ओएम	कार्यालय ज्ञापन

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
ओटीपी	एकल समय पासवर्ड
पी2पी	बिंदु से बिंदु
पी2पी	व्यक्ति से व्यक्ति
पीएसी	लोक लेखा समिति
पहल	प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ
पैन	स्थायी खाता संख्या
पीबीएक्स	निजी शाखा विनिमय
पीडीएफ	वहनीय दस्तावेज़ स्वरूप
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
पीईसी	स्थायी पंजीकरण केंद्र
पीआईडी	व्यक्तिगत पहचान डाटा
पीआईओएस	भारतीय मूल के व्यक्ति
पीएमयू	परियोजना प्रबंधन इकाई
पीओए	पते का प्रमाण
पीओआई	पहचान का प्रमाण
पीओआर	रिश्ते का प्रमाण
पीआरआई	पंचायती राज संस्थान
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
क्यूसी	गुणवत्ता जांच
आरएएस	त्वरित मूल्यांकन व्यवस्था
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरडी	पंजीकृत उपकरण
आरई	संशोधित अनुमान
आरएफपी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आरजीआई	भारत के रजिस्ट्रार जनरल
आरओ	क्षेत्रीय कार्यालय
आरपीबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एसआईएम	ग्राहक पहचान मॉड्यूल
एसएसएलसी	माध्यमिक स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
एसएसयूपी	स्वयं–सेवा अद्यतन पोर्टल
एसटीक्यूसी	मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणपत्र
टीसीए	परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी
टीएफएन	टोल फ्री नंबर
टीएसयू	तकनीकी सहायता इकाई
यूआईडी	विशिष्ट पहचान
यूआईडीएआई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यूपीआई	एकीकृत भुगतान इंटरफेस
यूआरएल	यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर
यूआरएन	अद्यतन अनुरोध संख्या
यूटी	केंद्र शासित क्षेत्र
वीआईडी	वर्चुअल आईडी
डब्ल्यूउसी	विश्वव्यापी वेब संघ

आधार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण